

अध्याय 3

लेन—देनों की लेखापरीक्षा

अध्याय 3 – लेन–देनों की लेखापरीक्षा

शासन के विभागों एवं उनके संरचना घटक के साथ ही साथ स्वायत्त निकायों के लेन–देनों की लेखापरीक्षा में अनेक प्रकरण, जिनमें संसाधनों के प्रबंधन में कमियाँ और आर्थिक एवं औचित्य के मापदण्डों के मानकों के पालन में विफलतायें प्रकाश में आये। इन समस्त प्रकरणों को उत्तरोत्तर प्रस्तरों में व्यापक उद्देश्यों के शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग

3.1 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा

3.1.1 प्रस्तावना

जीवन बनाये रखने एवं अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। सुरक्षित खाद्य वस्तुओं से मृत्यु दर में कमी एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देशों में खाद्य सुरक्षा, निम्न स्तर की स्वच्छता एवं सफाई के कारण जन स्वास्थ्य स्तर, चिन्ता का विषय है।

संविधान के अनुच्छेद 47 में यह प्रावधान है कि राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि लोगों के पोषण स्तर का विकास एवं उनके जीवन स्तर को बढ़ाने तथा जन स्वास्थ्य में सुधार को सुनिश्चित करें। इस प्रयोजन हेतु खाद्य वस्तुओं से सम्बन्धित कानूनों¹ तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक व्यूरो की स्थापना, विज्ञान आधारित मानकों को प्रतिस्थापित करने तथा खाद्य सामग्रियों के उत्पादन, भण्डारण, वितरण, बिक्री एवं आयात तथा सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हेतु भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 प्रतिपादित किया गया (मई 2011) इस अधिनियम के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2006, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला एवं नमूना विश्लेषण विनियम 2011, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम 2011, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 सम्पूर्ण भारत में 5 अगस्त 2011 से प्रभावी किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 5 अगस्त 2011 से राज्य में अधिनियम को लागू किया तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को सम्पूर्ण राज्य में शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करने हेतु अधिकार दिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लागू होने के पश्चात् दिनांक 31 मार्च 2016 तक कुल 4.04 लाख पंजीकृत छोटे खाद्य कारोबारकर्ता एवं 0.46 लाख लाइसेंस प्राप्त खाद्य कारोबारकर्ता थे, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने वर्ष 2012-16 के दौरान राज्य में कुल ₹ 202.60 करोड़ अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु व्यय किया।

¹ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, खाद्य अपमिश्रण नियम 1955, तथा विभिन्न नियन्त्रण आदेश जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसमें दुध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 सम्मिलित था, दिनांक 05 अगस्त 2011 से प्रतिस्थापित किया गया था।

संगठनात्मक ढांचा

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, समग्र रूप से प्रशासन हेतु उत्तरदायी है तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियम और विनियमों को राज्य स्तर पर कुशलतापूर्वक लागू करने हेतु उत्तरदायी है। जिला स्तर पर आयुक्त के अधीन अभिहीत अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य व्यापार करोबारकर्ताओं के लाइसेंस निर्गमन के एवं पंजीकरण करने, विश्लेषण के लिए नमूनों का संग्रहण करने तथा अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों तथा राज्य सरकार एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वारा निर्गत आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

3.1.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय, राज्य की तीन राजकीय प्रयोगशालायें (लखनऊ, आगरा एवं वाराणसी) एवं 10 चयनित जनपदों के अभिहीत अधिकारियों के कार्यालय (आगरा, बदायूँ, चन्दौली, गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली एवं वाराणसी) के वर्ष 2011-16 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश के साथ प्रारम्भिक बैठक दिनांक 20.04.2016 को आयोजित की गयी थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र तथा मानदंडों पर चर्चा की गयी तथा शासन द्वारा इन्हें स्वीकार किया गया। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शासन के उत्तरों (दिसम्बर 2016) को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के साथ दिनांक 9 दिसम्बर 2016 को समापन बैठक आयोजित की गयी जिसमें शासन ने लेखापरीक्षा द्वारा की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.3 लाईसेंस एवं पंजीकरण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार के लाईसेंस एवं पंजीकरण) विनियम 2011 के नियम 2.1 के अनुसार देश में समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को बुनियादी स्वच्छता एवं सुरक्षा आवश्यकताओं को बनाये रखने के लिए लाईसेंस एवं पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम के नियम 2.1.1 में छोटे कारोबारकर्ताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। नियम 1.2.4.(ब) के अनुसार ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनकी वार्षिक आय ₹ 12.00 लाख से अधिक नहीं है, अथवा जिनकी

- (i) खाद्य उत्पादन क्षमता (दुग्ध अथवा दुग्ध उत्पादन तथा मांस एवं मांस उत्पादन के अतिरिक्त) 100 किलोग्राम/लीटर प्रतिदिन से अधिक नहीं है, अथवा
- (ii) प्रतिदिन 500 लीटर तक दुग्ध संग्रह एवं रख-रखाव की क्षमता है। अथवा
- (iii) दो बड़े जानवर या 10 छोटे जानवर या प्रतिदिन 50 कुक्कुट (पोल्ट्री बर्ड्स) के वध करने की क्षमता हो अथवा कम हो, छोटे खाद्य कारोबारकर्ता होंगे

विनियम 2.1.2 में यह प्राविधानित है कि विनियम 2.1.1. में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति कोई भी खाद्य व्यापार तब तक नहीं प्रारम्भ कर सकेगा जब तक कि उसके पास राज्य लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध लाईसेंस न हो।

3.1.3.1 खाद्य कारोबारकर्ताओं को चिह्नित करने हेतु सर्वेक्षण न किया जाना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता बिना लाईसेंस के खाद्य वस्तुओं का व्यापार आरम्भ अथवा जारी नहीं रख सकेंगे।

नमूना जॉच में 10 जनपदों के अभिलेखों की जॉच में यह पाया गया कि ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जो बिना वैध पंजीकरण/लाईसेंस के व्यापार कर रहे हैं उनको चिह्नित करने हेतु अभिहीत अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा वर्ष 2011-16 में सर्वेक्षण कार्य नहीं किया था।

सर्वेक्षण के अभाव में जिला स्तर पर ऐसा कोई तन्त्र उपलब्ध नहीं था जिससे कि खाद्य कारोबारकर्ताओं की कुल संख्या का आकलन किया जा सकता। परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी खाद्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए अधिसूचित मानकों के अनुपालन, बिक्री और भण्डारण सहित उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने में सक्षम नहीं थे।

इस प्रकार कोई ऐसा आश्वासन नहीं था कि जनपदों में व्यापार कर रहे समस्त छोटे कारोबारकर्ता वास्तव में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अथवा लाईसेंस प्राप्त थे।

शासन ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2016) कि प्रवर्तन कार्मिकों की कमी के कारण सर्वेक्षण कार्य बाधित रहा। शासन की उत्तर से स्वतः पुष्टि होती है कि राज्य में बिना पंजीकरण व्यापार करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं की संख्या की जानकारी नहीं थी।


संस्तुति: राज्य के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को चिह्नित करने के लिए विभाग को नियमित रूप से सर्वेक्षण कार्य सुनिश्चित करना चाहिए ताकि अधिनियम के अन्तर्गत उनका पंजीकरण/लाईसेंस सुनिश्चित किया जा सके।

3.1.3.2 लाईसेंस

खाद्य कारोबारियों को बिना निरीक्षण किये लाईसेंस प्रदान किया जाना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के नियम 2.1.4 एवं 2.1.5 के प्रावधानों के अनुसार आवेदन पहचान संख्या निर्गत किये जाने के पश्चात लाईसेंस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था जो विशेष रूप से इस प्रकार के कार्य करने हेतु नामित हों को परिसर की सुरक्षा, स्वच्छता एवं सफाई की स्थिति आदि की जॉच के लिए निर्देशित करेगा। इस प्रकार की निरीक्षण आव्याकी प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उस अवधि को छोड़कर जो कि आवेदनकर्ता द्वारा लिया गया हो। सत्यापन के उपरान्त सम्बन्धित लाईसेंस प्राधिकारी प्रार्थना पत्र पर विचार करेंगे तत्पश्चात् या तो लाईसेंस प्रदान करेगा अथवा अस्वीकार कर सकता है। लाईसेंस की प्रक्रिया चार्ट 1 में प्रदर्शित की गयी है।

चार्ट 1: लाईसेंस की प्रक्रिया



आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2016 तक कुल 45868 खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्गत लाईसेंस में से केवल 20190 (44 प्रतिशत) खाद्य कारोबारकर्ताओं का निरीक्षण लाईसेंस निर्गत करने के पूर्व किया गया तथा शेष 25678 (56 प्रतिशत) लाईसेंस परिसर की सुरक्षा, स्वच्छता तथा सफाई की स्थिति का निरीक्षण किये बिना निर्गत किये गये थे।

10 में से 08 नमूना जाँच के जनपदों में 71 से 99 प्रतिशत लाईसेंस सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता, सफाई और स्वच्छता स्थिति आदि की जाँच किये बिना कारोबारकर्ताओं को जारी किये गये थे। विस्तृत विवरण सारिणी 1 में प्रदर्शित है।

सारिणी 1: नमूना जाँच के जिलों में खाद्य कारोबारकर्ताओं को बिना निरीक्षण किये निर्गत लाईसेंस

क्र. सं.	जनपद का नाम	31.03.2016 तक खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्गत लाईसेंस	कारोबारकर्ताओं को बिना निरीक्षण किये निर्गत लाईसेंस	प्रतिशत (4/3)
1	2	3	4	5
1.	आगरा	2,996	2,920	97
2.	बदायूँ	517	369	71
3.	चन्दौली	153	134	88
4.	गौतमबुद्ध नगर	1,538	1,291	84
5.	लखीमपुर खीरी	836	830	99
6.	रायबरेली	427	360	84
7.	सीतापुर	344	335	97
8.	वाराणसी	2,454	2,206	95
योग		9,265	8,445	91

(स्रोत: आयुक्त खाद्य सुरक्षा, लखनऊ)

इस प्रकार स्वच्छता की स्थिति, सुरक्षित भण्डारण, सुरक्षित वितरण और पौष्टिक खाद्य वस्तुओं हेतु पंजीकरण/लाईसेंस प्रदान करने से पूर्व आवश्यक जाँच न किया जाना खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में अत्यधिक शिथिलता दर्शाता है।

शासन द्वारा बताया गया कि पूर्णकालिक अभिहीत अधिकारियों तथा प्रवर्तन कार्मिकों की कमी के कारण निरीक्षण कार्य नहीं किये जा सके। आगे यह भी कहा गया है कि अभिहीत अधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित निरीक्षण किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

पूर्ण दस्तावेजों के बिना जारी किये गये लाईसेंस

खाद्य सुरक्षा विनियम 2011 के नियम 2.1.3 में यह प्राविधान है कि लाईसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन लाईसेंस प्राधिकारी को निर्दिष्ट प्रपत्र में स्व-सत्यापित घोषणाओं के साथ दिया जायेगा।

नमूना जाँच के जनपदों के अभिहीत अधिकारियों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो जनपदों (लखीमपुर खीरी तथा हाथरस) में बिना आवश्यक दस्तावेजों/सूचनाओं यथा आश्वासन/समझौतापत्र, बिक्री, निर्माण, खाद्य वस्तुओं के भण्डारण सम्बन्धी अभिलेखों को निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किये बिना 18 लाईसेंस (**परिशिष्ट 3.1.1**) निर्गत किये गये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाईसेंस निर्गत करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के समय यह उल्लेख था कि आवश्यक अभिलेख/सूचनायें बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी। तथापि, खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा न तो आवश्यक सूचनायें/अभिलेख प्रस्तुत किये गये और न ही अभिहीत अधिकारियों द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया।

समस्त सूचनाओं के अभाव में खाद्य कारोबारकर्ताओं के सम्बन्ध में उनकी पहचान, जिम्मेदारी, लाईसेंस शुल्क और परिसर की स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

शासन द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण की जाँच के उपरान्त जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

3.1.3.3 लाईसेंस/पंजीकरण निर्गत करने में विलम्ब

लाईसेंस निर्गत करने में विलम्ब

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के नियम 2.1.4 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन प्राप्ति पहचान संख्या के निर्गमन की तिथि से 60 दिन के अन्दर सम्बन्धित लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा लाईसेंस निर्गत किया जायेगा।

नमूना जाँच किये गये जनपदों में 1640 लाईसेंस प्रकरणों की लेखापरीक्षा (40 प्रकरण प्रतिवर्ष प्रति जनपद) की जाँच में यह पाया गया कि लाईसेंस अवधि 2012-16 के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को लाईसेंस विलम्ब से निर्गत किये गये थे। लाईसेंस निर्गत करने में विलम्ब का अवधिवार विश्लेषण का विवरण सारणी 2 में दिया गया है।

सारणी 2: लाईसेंस निर्गत करने में विलम्ब

क्र. सं.	जनपद का नाम	जाँच किये गये प्रकरण	लाईसेंस निर्गमन में विलम्ब (दिनों में)			विलम्ब के प्रकरणों की संख्या
			01-30	31-180	>180	
1	आगरा	160	0	0	0	0
2	बदायूँ	160	2	2	0	4
3	चन्दौली	181	3	1	0	4
4	गौतमबुद्ध नगर	172	21	29	5	55
5	हाथरस	160	3	20	3	26
6	कानपुर नगर	120	1	13	1	15
7	लखीमपुर खीरी	160	8	25	12	45
8	रायबरेली	200	13	16	3	32
9	सीतापुर	160	7	3	0	10
10	वाराणसी	167	7	33	4	44
योग		1640	65	142	28	235

(स्रोत: चयनित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

उपरोक्त सारणी में यह देखा जा सकता है कि निर्धारित 60 दिनों की अवधि के पश्चात् 235 प्रकरणों (14 प्रतिशत) में लाईसेंस जारी किये गये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 28 लाईसेंस धारकों को 180 दिनों से अधिक के असामान्य विलम्ब से लाईसेंस निर्गत किये गये थे।

इस प्रकार विभाग द्वारा लाईसेंस जारी करने में असामान्य विलम्ब होना, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में विभाग की अत्यधिक शिथिलता प्रदर्शित करता है।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया गया कि लाईसेंस एवं पंजीकरण के आनलाइन फाइलिंग तथा पंजीकरण को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

पंजीकरण निर्गत करने में विलम्ब

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम के नियम 2.1.1(3) में यह प्रावधान किया गया है कि पंजीकरण प्राधिकारी को जब भी पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होता है तो ऐसे आवेदनों पर विचार करेंगे और आवेदन प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर या तो पंजीकरण

प्रदान करेंगे अथवा कारण का लिखित उल्लेख करते हुए आवेदन अस्थीकार करेंगे अथवा निरीक्षण हेतु नोटिस जारी करेंगे। निरीक्षण आदेश की दशा में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा परिसर की सुरक्षा, स्वच्छता एवं सफाई की स्थिति से संतुष्ट होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रदान किया जायेगा।

नमूना जॉच किये गये पंजीकरण के 390 मामलों (10 प्रकरण प्रतिवर्ष प्रति जनपद) की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2012-16 के दौरान 95 प्रकरणों (24 प्रतिशत) में छोटे खाद्य कारोबारकर्ताओं को पंजीकरण प्रमाणपत्र अत्यधिक विलम्ब से जारी किये गये थे। नमूना जॉच किये गये जनपदों में वर्ष 2011-12 के दौरान कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया गया था। विलम्ब से निर्गत किये गये प्रकरणों का विश्लेषण सारणी 3 में किया गया है।

सारणी 3: पंजीकरण निर्गत करने में विलम्ब

क्र. सं.	जनपद का नाम	जॉच किये गये प्रकरण	पंजीकरण निर्गमन में विलम्ब (दिनों में)			विलम्ब के प्रकरणों की संख्या
			01-30	31-180	>180	
1	आगरा	40	06	09	01	16
2	बदायूँ	40	03	00	00	03
3	चन्दौली	40	01	10	00	11
4	गौतमबुद्ध नगर	40	02	07	02	11
5	हाथरस	40	04	06	00	10
6	कानपुर नगर	30	01	02	00	03
7	लखीमपुर खीरी	40	03	11	01	15
8	रायबरेली	40	02	05	00	07
9	सीतापुर	40	07	10	01	18
10	वाराणसी	40	01	00	00	01
योग		390	30	60	05	95

(स्रोत: चयनित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

उपरोक्त सारणी में यह देखा जा सकता है कि 390 प्रकरणों में 95 प्रकरणों (24 प्रतिशत) में पंजीकरण विलम्ब से निर्गत किये गये थे। इनमें से 65 प्रकरण वे भी सम्मिलित थे जिनमें 30 दिन से अधिक का विलम्ब हुआ था। विलम्ब से पंजीकरण निर्गत किये जाने की अधिकतम संख्या सीतापुर, आगरा एवं लखीमपुर खीरी में थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि पर्यवेक्षणीय एवं प्रवर्तन कार्मिकों की कमी के कारण तथा खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण छोटे खाद्य कारोबारकर्ताओं को पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत करने में विलम्ब हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पंजीकरण में विलम्ब वर्ष 2015-16 में हुआ था। जबकि इस वर्ष अभिहीत अधिकारियों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संख्या में (84 प्रतिशत अभिहीत अधिकारी 89 प्रतिशत खाद्य सुरक्षा अधिकारी) गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई थी।

3.1.3.4 वैध लाइसेंस/पंजीकरण के बिना खाद्य कारोबार किया जाना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31(1) तथा 31(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी खाद्य कारोबारी लाइसेंस प्राप्त किये अथवा पंजीकरण कराये बिना खाद्य कारोबार आरम्भ तथा जारी नहीं रख सकता।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि विभाग के पास प्रदेश में व्यापार कर रहे कुल खाद्य कारोबारकर्ताओं की संख्या का कोई ऑकड़ा/सूचना

उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार के ऑकड़ों/सूचनाओं के अभाव में प्रदेश में अपंजीकृत/गैर लाइसेंसी कारोबारकर्ताओं की संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

यद्यपि नमूना जॉच किये गये 10 चयनित जनपदों में लेखापरीक्षा द्वारा 1250 नमूनों की जॉच की गयी (वर्ष 2011-16 के दौरान 125 नमूने प्रति जनपद) जिन्हें अभिहीत अधिकारियों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं से विश्लेषण हेतु संग्रहीत किये गये थे, में यह पाया गया कि 335 (27 प्रतिशत) खाद्य कारोबारी बिना वैध लाइसेंस (पंजीकरण प्रमाणपत्र) के कारोबार कर रहे थे और 844 (68 प्रतिशत) खाद्य कारोबारियों के पंजीकरण/लाइसेंस के सम्बन्ध में अभिहीत अधिकारियों के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। विस्तृत विवरण सारणी 4 में दिया गया है।

सारणी 4: अपंजीकृत खाद्य कारोबारी तथा ऐसे प्रकरण जिनमें पंजीकरण/लाइसेंस उपलब्ध नहीं था

क्र. सं.	जनपद का नाम	चयनित सैम्पल प्रकरणों की संख्या	अपंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं की संख्या	पंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं की संख्या	खाद्य कारोबारकर्ता जिनका लाईसेंस/पंजीकरण उपलब्ध नहीं था ²
1	आगरा	125	-	-	125
2	बदायूँ	125	70	21	34
3	चन्दौली	125	08	-	117
4	गौतमबुद्ध नगर	125	74	26	25
5	हाथरस	125	70	06	49
6	कानपुर नगर	125	-	-	125
7	लखीमपुर खीरी	125	113	11	01
8	रायबरेली	125	-	07	118
9	सीतापुर	125	-	-	125
10	वाराणसी	125	-	-	125
योग		1,250	335(27)	71 (6)	844 (68)

(चोत: चयनित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि 335 अपंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं में से (परिशिष्ट 3.1.2) 283 (84 प्रतिशत) से संग्रहीत नमूने अधिनियम में दिये गये मानकों की पुष्टि नहीं करते थे।

इस प्रकार से इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में विभाग की अत्यन्त शिथिलता थी, परिणाम स्वरूप अधिकांश कारोबारी बिना रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस के कारोबार कर रहे थे। खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता, स्वच्छता तथा स्वच्छता की स्थिति प्रदेश में खराब थी और लोगों के स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया तथा बताया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

शीरा हेतु वैध लाइसेंस के बिना खाद्य व्यापार किया जाना

‘खाद्य कोड एवं नाम’ की धारा 11.3 की सारणी 2 में शीरा खाद्य वस्तु के रूप में परिभाषित है। अग्रेतर धारा 26(2)(iii) के अनुसार कोई भी खाद्य कारोबारी स्वयं या उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कोई भी खाद्य सामग्री जिसके लिए लाइसेंस वांछित है का निर्माण, भण्डारण, बिक्री अथवा वितरण नहीं कर सकता।

² बदायूँ 25: चन्दौली 08: हाथरस 68: गौतमबुद्ध नगर 69: एवं लखीमपुर खीरी 113 प्रकरण।

चयनित जनपदों के अभिहीत अधिकारियों के वर्ष 2011-16 के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो जनपदों (सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी) में 9 चीनी मिलों, जो कि चीनी उत्पादन के लिए केन्द्रीय लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त लाइसेंस धारक थी, के द्वारा बिना लाइसेंस के शीरे का भण्डारण तथा बिक्री की जा रही थी (**परिशिष्ट 3.1.3**)

अधिनियम के अनुसार प्रवर्तन कार्य हेतु जनपद के अभिहीत अधिकारी जिम्मेदार थे परन्तु उन्होंने दोषी कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं किये।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

3.1.3.5 खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत न किया जाना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के नियम 2.1.13(1) में यह प्रावधानित है कि लाइसेंस प्राप्त विनिर्माता खाद्य कारोबारी प्रतिवर्ष 31 मई से पहले उस वर्ष के दौरान लेन-देनों को दर्शाते हुए ब्योरा प्रस्तुत करे और जिन प्रकरणों में कारोबारकर्ताओं द्वारा वार्षिक विवरण जमा करने में विलम्ब हुआ हो उन पर ₹ 100 प्रतिदिन की दर से जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।

नमूना जाँच के 09 जनपदों के अभिलेखों में पाया गया कि मई 2012 से मई 2015 के दौरान सभी खाद्य वस्तुओं के विनिर्माताओं द्वारा अपने वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये थे। यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में न तो कोई गम्भीर प्रयास किया गया और न ही दोषी कारोबारकर्ता पर कोई दण्ड अधिरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त चयनित जनपदों के अभिहीत अधिकारियों द्वारा वर्ष 2011-16 के मध्य निर्माणकर्ता लाइसेंसधारियों के वार्षिक रिटर्न से सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि विनिर्माता खाद्य कारोबारकर्ताओं को वार्षिक रिटर्न जमा करने तथा दोषी कारोबारियों के विरुद्ध दण्ड अधिरोपण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

3.1.3.6 लाभार्थियों के सर्वेक्षण के दौरान संज्ञानित तथ्य

लेखापरीक्षा दल तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ तीन जिलों रायबरेली, आगरा, तथा वाराणसी में 27 खाद्य कारोबारियों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाये गये:

जैसा कि कहा गया है कि खाद्य कारोबारकर्ताओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पूर्व निरीक्षण सम्बन्धी सूचना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी, लेखापरीक्षा रैण्डम रूप से सात छोटे कारोबारकर्ताओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया कारोबारकर्ताओं के पंजीकरण प्रमाण पत्र में यह पाया गया कि उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र बिना कारोबार स्थल की शुद्धता एवं स्वच्छता के विषय में आश्वस्त हुए निर्गत किये गये थे।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार लाइसेंस और पंजीकरण) नियमन, 2011 के नियम 2.1.4(6) के प्रावधान के अनुसार लाइसेंस की सत्य प्रतिलिपि को व्यापार स्थल के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यद्यपि, लाभार्थी सर्वेक्षण में पाया गया कि 27 में से 7 खाद्य कारोबारकर्ताओं के कारोबार स्थल के किसी भी स्थान पर लाइसेंस की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्शित नहीं की गयी थी।

छोटे कारोबारियों के सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-16 के दौरान उनके द्वारा बिक्री किये जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के

लिए 27 में से 9 कारोबारियों के खाद्य वस्तुओं के नमूने विश्लेषण के लिए संग्रहीत नहीं किये गये थे जिनमें उन जनपदों के पांच प्रतिष्ठित कारोबारी भी सम्मिलित थे।

3.1.4 निरीक्षण तथा नमूना संग्रहण

3.1.4.1 सावधिक निरीक्षण न किया जाना

खाद्य सुरक्षा मानक विनियम 2011 के नियम 2.1.1 के उपनियम–6 में यह प्रावधान किया गया है कि पंजीकरण प्राधिकारी अथवा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अधिकृत संस्था पंजीकृत प्रतिष्ठानों का वर्ष में कम से कम एक बार खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा हेतु निरीक्षण करेंगे। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अभिहीत अधिकारियों द्वारा आवश्यक संख्या में निरीक्षण नहीं किये गये थे। पंजीकृत छोटे कारोबारकर्ताओं के निरीक्षण में 23 से 27 प्रतिशत की कमी वर्ष 2012-16 के दौरान थी। इसी प्रकार लाईसेंस प्राप्त खाद्य कारोबार कर्ताओं के विषय में वर्ष 2011-16 के दौरान प्रदेश में अभिहीत अधिकारियों द्वारा 14 से 24 प्रतिशत कारोबारियों का खाद्य सुरक्षा के लिए निर्धारित निरीक्षण मानक के अनुसार नहीं किया गया था। खाद्य कारोबारकर्ताओं का आवधिक निरीक्षण न किये जाने का विवरण सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5: खाद्य कारोबारकर्ताओं का आवधिक निरीक्षण न किया जाना

वर्ष	छोटे कारोबारकर्ता जिनका आवधिक निरीक्षण नहीं हुआ					लाईसेंस धारक कारोबारकर्ता जिनका आवधिक निरीक्षण नहीं हुआ					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	पंजीकृत	निरीक्षित	अनिरीक्षित	प्रतिशत (अनिरीक्षित)	लाईसेंस धारक	निरीक्षित	अनिरीक्षित	प्रतिशत (अनिरीक्षित)	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
2011-12	45,961	45,961	0	0	11,245	11,152	93	1											
2012-13	87,721	67,204	20,517	23	13,835	11,894	1,941	14											
2013-14	1,36,815	1,04,820	31,995	23	13,419	11,025	2,394	18											
2014-15	1,68,260	1,28,071	40,189	24	18,413	13,912	4,501	24											
2015-16	1,24,100	90,501	33,599	27	19,544	15,426	4,118	21											

(स्रोत: आयुक्त खाद्य सुरक्षा, लखनऊ)

चयनित जनपदों की लेखापरीक्षा में देखा गया कि खाद्य सुरक्षा और मानक के निर्धारित मानदण्डों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 49 से 81 प्रतिशत पंजीकृत कारोबारकर्ताओं का निरीक्षण वर्ष 2012-16 के दौरान नहीं किया गया था। (**परिशिष्ट 3.1.4**)। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि अभिहीत अधिकारी द्वारा लाईसेंसधारी खाद्य कारोबारियों के निरीक्षण में 31 से 52 प्रतिशत तक की कमी थी (**परिशिष्ट 3.1.4**)।

इस प्रकार विभाग में पर्याप्त कार्मिकों की कमी के कारण अधिकांश कारोबारकर्ताओं के खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता, तथा स्वच्छता की स्थिति का आवश्यक निरीक्षण सुनिश्चित करने में विभाग असफल रहा।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए बताया कि निरीक्षण अधिकारियों की कमी के कारण मानक के अनुसार निरीक्षण नहीं किया जा सका। आगे यह भी बताया कि कर्मचारियों की स्थिति में वर्तमान में सुधार किया गया है और मानक के अनुसार निरीक्षण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3.1.4.2 खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपर्याप्त नमूना संग्रहण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 38(1)(क) में यह प्रावधान किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी किसी ऐसे खाद्य या किसी खाद्य पदार्थ का नमूना ले सकेंगे जो इन्हें मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु आशयित प्रतीत होता है या विक्रय किया गया है या ऐसे किसी खाद्य पदार्थ या वस्तु का नमूना ले सकेंगे जो इन्हें किसी ऐसे परिसर में मिलता है जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाये गये विनियमों या किये गये आदेशों के अधीन कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में आवश्यकता पड़ सकती है।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नमूना संग्रहण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की स्वेच्छा से रैण्डम रूप से एकत्रित किये गये थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को उद्देश्यात्मक, पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा खाद्य वस्तु की गुणवत्ता जाँच हेतु नमूना संग्रहण के लिए कोई मानदण्ड, अवधि एवं लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। वर्ष 2012-16 के दौरान संग्रहीत नमूनों का विस्तृत विवरण सारणी 6 में दिया गया है।

सारणी 6: वर्ष 2012-16 में राज्य में नमूना एकत्र का विवरण

वर्ष	खाद्य कारोबारकर्ताओं की संख्या			कुल संग्रहीत नमूना	प्रतिशत कालम 5 का 4 से
	पंजीकृत	लाइसेंस धारक	योग		
1	2	3	4	5	6
2012-13 ³	87,721	13,835	1,01,556	11,712	12
2013-14	1,36,815	13,419	1,50,234	11,579	8
2014-15	1,68,260	18,413	1,86,673	14,295	8
2015-16	1,24,100	19,544	1,43,644	17,821	12

(चोत: आयुक्त खाद्य सुरक्षा, लखनऊ)

जैसा कि उपरोक्त सारणी में यह देखा जा सकता है कि राज्य में केवल 8 से 12 प्रतिशत नमूने (एक से अधिक नमूने एक कारोबारी से संग्रहीत) प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष राज्य में व्यवसाय कर रहे खाद्य कारोबारियों से संग्रहीत किये गये थे।

10 चयनित जनपदों में वर्ष 2012-16 के दौरान पंजीकृत/लाईसेंसधारी कारोबारियों की कुल संख्या में से 6 से 13 प्रतिशत नमूने संग्रहीत किये गये थे (परिशिष्ट 3.1.5)। इस प्रकार उद्देश्य, मानदण्ड एवं लक्ष्य निर्धारित किये बिना गुणवत्ता जाँच हेतु नमूना संग्रहण यह प्रदर्शित करता है कि नमूने के चयन की प्रणाली पारदर्शी नहीं थी और खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा एवं गुणवत्ता के बारे में पर्याप्त आश्वासन नहीं था जो कि आम जनता के लिए बनायी अथवा उसकी बिक्री की जा रही थी।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया।

संस्तुति: प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उनके क्षेत्र के अन्तर्गत खाद्य वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी के नमूना संग्रहण के लिए विभाग को पारदर्शिता से लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिससे कि राज्य में विक्रय किये जाने वाले निर्मित खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा के विषय में पर्याप्त आश्वासन मिल सके।

³ विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 नमूना एकत्र विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

केन्द्रीय लाइसेंसधारी खाद्य कारोबारकर्ताओं का अपर्याप्त निरीक्षण

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के आदेशानुसार केन्द्रीय लाइसेंस प्राप्त इकाइयों के सम्पूर्ण प्रवर्तन की कार्यवाही का उत्तरदायित्व अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य सरकार की है।

अभिहीत अधिकारी हाथरस के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 22 केन्द्रीय लाइसेंस प्राप्त खाद्य कारोबारकर्ताओं में से मात्र दो लाइसेंसधारकों के खाद्य वस्तुओं के नमूनों का संग्रहण वर्ष 2011-16 के दौरान किया गया था। यह भी देखा गया कि एक प्रतिष्ठित ब्रान्ड इकाई “किनले” जो कि बोतलबन्द पानी का विनिर्माण कर रही थी, से भी गुणवत्ता जाँच के लिए नमूने संग्रहीत नहीं किये गये थे।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि केन्द्रीय लाइसेंसधारियों के नियमित निरीक्षण के लिए निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3.1.4.3 नमूना एकत्र करने हेतु धनावंटन न किया जाना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 38(3) के प्रावधान के अनुसार नमूना एकत्रित करने का मूल्य जहाँ से कोई नमूना संग्रहीत किया जाता है वहाँ उस वस्तु की विक्रीत दर से आकलित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को नमूना मूल्य का भुगतान किया जायेगा।

नमूना जाँच में चयनित अभिहीत अधिकारियों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि खाद्य वस्तुओं के गुणवत्ता जाँच के लिए संग्रहीत नमूनों की लागत का भुगतान करने के लिए वर्ष 2011-16 में कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था। अग्रेतर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संग्रहीत किये गये नमूनों की संख्या एवं दर से सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था।

इस प्रकार संग्रहीत नमूनों की लागत (यदि भुगतान की गयी हो) का अनुमान सम्प्रेक्षा में नहीं किया जा सका।

शासन ने उत्तर में कहा कि संग्रहीत नमूनों की लागत हेतु भुगतान सम्बन्धी पंजिका के रख-रखाव के निर्देश जारी किये गये हैं।

3.1.4.4 नमूना विश्लेषण के लिए कम शुल्क की वसूली

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (प्रयोगशाला एवं नमूना विश्लेषण) नियमन 2011 के अध्याय 2 पैरा 2.3.1 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि नमूना जाँच हेतु दिनांक 5 अगस्त 2011 से जाँच शुल्क ₹ 1,000 प्रति नमूना देय होगा।

नमूना जाँच में चयनित तीन प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निर्धारित शुल्क ₹ 1,000 प्रति नमूना के स्थान पर अगस्त 2011 से दिसम्बर 2014 की अवधि में रेलवे से ₹ 100 प्रति नमूना तथा अन्य सरकारी एवं निजी पार्टियों से ₹ 200 प्रति नमूना का शुल्क लिया गया था। इस प्रकार से प्रयोगशाला आगरा, लखनऊ एवं वाराणसी प्रयोगशालाओं द्वारा रेलवे तथा निजी पार्टियों (**परिशिष्ट 3.1.6**) से ₹ 0.12 करोड़ का कम शुल्क वसूल किया गया था। शासन ने कहा कि जांचोपरान्त जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3.1.5 मानव संसाधन तथा बुनियादी अवसंरचना

3.1.5.1 मुख्य संवर्ग में मानव संसाधन की कमी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा आयुक्त अपने आदेश द्वारा अभिहीत अधिकारी की नियुक्ति करेगे, जो कि उपखण्डीय मजिस्ट्रेट के पद से नीचे के नहीं होगें और जो लाइसेंस प्रदान अथवा निरस्त करने की शक्तियाँ रखेगे और खाद्य कारोबारी के यहाँ निरीक्षण करने का आदेश देगे।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मुख्य संवर्ग में अभिहीत अधिकारियों, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अत्यधिक कमी थी। वर्ष 2011-16 के दौरान संवर्गावार स्वीकृत पदों एवं कार्यरत पदों की स्थिति का विस्तृत विवरण सारिणी 7 में दिया गया है।

सारणी 7: स्वीकृत पदों और कार्यरत पदों का पदवार विवरण

वर्ष	अभिहीत अधिकारी			मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी			खाद्य सुरक्षा अधिकारी		
	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी (प्रतिशत)
2011-12	75	0	75 (100)	78	58	20 (26)	662	287	375(57)
2012-13	75	0	75 (100)	78	58	20 (26)	662	287	375(57)
2013-14	75	0	75 (100)	78	58	20 (26)	662	287	375(57)
2014-15	75	38	37 (50)	78	78	00 (00)	662	229	433(65)
2015-16	75	70	05 (07)	78	65	13 (17)	662	431	231(35)

(स्रोत: आयुक्त खाद्य सुरक्षा, लखनऊ)

अवधि 2011-15 के दौरान अभिहीत अधिकारी के संवर्ग में 50 से 100 प्रतिशत तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी संवर्ग में 57 से 65 प्रतिशत की कमी थी। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अभिहीत अधिकारियों तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की उपलब्धता में सुधार हुआ, परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी संवर्ग में अत्यधिक कमी बनी रही।

मुख्य संवर्ग के कमियों के कारण प्रवर्तन गतिविधियाँ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई जैसा कि पैरा 3.1.3.1 से 3.1.3.3 तथा 3.1.4.2 में वर्णित है। शासन ने सम्प्रेक्षा आपत्ति को स्वीकार किया।

3.1.5.2 राज्य प्रयोगशालाओं में तकनीकी कार्मिकों की कमी

वर्ष 2011-16 के दौरान 6 प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक अधिकारी, सूक्ष्म जीव विज्ञानी तथा खाद्य विश्लेषक के अधिकांश स्वीकृत पद रिक्त थे। विस्तृत विवरण सारिणी 8 में दिया गया है।

सारणी 8: 2011-16 की अवधि में तकनीकी कार्मिकों के लिए स्वीकृत पद और कार्यरत पदों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी (प्रतिशत में)
1	संयुक्त आयुक्त	01	00	01 (100)
2	वैज्ञानिक अधिकारी-I	07	00	07 (100)
3	वैज्ञानिक अधिकारी-II	07	01	06 (86)
4	सूक्ष्म जीव विज्ञान	06	00	06 (100)
5	वरिष्ठ विश्लेषक (खाद्य)	19	07	12 (63)
6	लैब टेक्नीशियन	18	04	14 (78)

(स्रोत: राज्य प्रयोगशाला, लखनऊ)

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि:

वर्ष 2011-16 के मध्य 14 वैज्ञानिक (ग्रेड-I तथा ग्रेड-II) के स्वीकृत पदों के सापेक्ष मात्र एक वैज्ञानिक कार्यरत थे जो 6 प्रयोगशालाओं का कार्य देख रहे थे।

सूक्ष्म जीव विज्ञान के 6 स्वीकृत पदों के सापेक्ष कोई तैनाती नहीं थी।

वर्ष 2011-16 के मध्य वरिष्ठ खाद्य विश्लेषक के 63 प्रतिशत और प्रयोगशाला सहायक के 78 प्रतिशत स्वीकृत पद रिक्त थे।

तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण समय से नमूनों को विश्लेषित कर परीक्षण प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने का कार्य प्रभावित हुआ था।

शासन ने उत्तर में कहा है कि प्रयोगशालाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए सेवा विनियम तैयार किये जा रहे हैं। जो यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के क्रियान्वयन के पाँच वर्ष के उपरान्त भी आवश्यक विनियम नहीं बनाये गये।

3.1.5.3 राज्य प्रयोगशाला में उपकरणों की अनुपलब्धता

राज्य प्रयोगशाला लखनऊ की विशेषज्ञ समिति जिसमें जन विश्लेषक, शासकीय विश्लेषक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट सम्मिलित थे, नवम्बर 2012 में अनुशंसा की थी कि प्रयोगशालाओं में खाद्य सामग्रियों⁴ के विश्लेषण के समुचित कार्य हेतु उपकरणों की आवश्यकता है।

राज्य प्रयोगशाला आगरा के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि आवश्यक उपकरणों की कमी के कारण दूध पाउडर एवं आइसक्रीम में प्रोटीन सामग्री और घुलनशील पदार्थों का परीक्षण, रंगीन खाद्य पदार्थों में रंग परीक्षण, दूध में यूरिया का परीक्षण, खाद्य तेलों एवं मसालों में वाष्पशील तेल का परीक्षण, खाद्य तेल एवं वसा में असावुनीकरण पदार्थ का परीक्षण तथा पीने योग्य पानी, पेय पदार्थ एवं सभी खाद्य पदार्थों में भारी धातुओं का परीक्षण नहीं किया जा रहा था। राज्य प्रयोगशाला आगरा में उपकरणों की अनुपलब्धता का विवरण सारणी 9 में दिया गया है:

सारणी 9: प्रयोगशाला में अनुपलब्ध उपकरणों का विवरण

क्र. सं.	उपकरण का नाम	प्रयोग	मानक जिनकी जाँच नहीं की जा सकी
1	डिजीटल सेन्ट्रीफ्यूज मशीन	तरल खाद्य वस्तुओं में घुलनशीलता की जाँच करने के लिए	घुलनशीलता
2	यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	खाद्य वस्तुओं में रंग सामग्री और यूरिया सामग्री की जाँच करने के लिए	यूरिया सामग्री की जाँच
3	एटामिक एक्सार्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	खाद्य वस्तुओं, पानी और पेय पदार्थ में भारी धातु की जाँच करने के लिए	तत्वों की मात्रा
4	हाई परफारमेन्स लिकिचड क्रोमैटोग्राफ	खाद्य वस्तुओं, पानी और पेय पदार्थ में भारी धातु की जाँच करने के लिए	कार्बनिक यौगिकों की मात्रा की पहचान हेतु
5	डाइजेस्ट यूनिट चैम्बर	दूध और आइसक्रीम में प्रोटीन की मात्रा की जाँच करने के लिए	प्रोटीन की मात्रा
6	डीन स्टार्क अप्रैटस	चाय और खाद्य वस्तुओं में नमी की मात्रा की जाँच करने के लिए	नमी की मात्रा
7	आल माइक्रोबायोलाजिकल इस्ट्रूमेण्ट्स	सभी माइक्रोबायोलाजिकल परीक्षण के लिए	माइक्रोबायोलाजिकल परीक्षण

(स्रोत: खाद्य विश्लेषक, आगरा)

⁴ (i) तरल खाद्य वस्तुओं में घुलनशीलता की जाँच करने के लिए डिजीटल सेन्ट्रीफ्यूज मशीन (ii) यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर खाद्य वस्तुओं में रंग सामग्री और यूरिया सामग्री की जाँच करने के लिए (iii) एटामिक एक्सार्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर खाद्य वस्तुओं, पानी और पेय पदार्थ पीने में भारी धातु की जाँच करने के लिए (iv) डाइजेस्ट यूनिट चैम्बर दूध और आइसक्रीम में प्रोटीन की मात्रा की जाँच करने के लिए (v) डीन स्टार्क अप्रैटस चाय और खाद्य वस्तुओं में नमी की मात्रा की जाँच करने के लिए (vi) आल माइक्रोबायोलाजिकल इस्ट्रूमेण्ट्स सभी माइक्रोबायोलाजिकल परीक्षण के लिए।

राज्य प्रयोगशाला, आगरा जिसके अन्तर्गत चित्रकूट, फैजाबाद, गोरखपुर, झाँसी और मेरठ जनपद आच्छादित थे, में इस प्रकार आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण आम जनता द्वारा सामान्य रूप से उपभोग किये जाने वाले खाद्य पदार्थों में प्रदूषित और खतरनाक पदार्थों के प्रयुक्त होने की जाँच नहीं की गयी थी।

अभिलेखों की अग्रेतर जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये 500 नमूनों की जाँच प्रतिवेदन में से 81 जाँच प्रतिवेदन (दाल के 19 प्रकरण, चाय के 7 प्रकरण सरसों के तेल के 40 प्रकरण, बोतल बंद पेयजल के 05 प्रकरण और 10 सेमी कार्बोनेटेड वाटर) में विनियम में प्रावधानित आवश्यक मानकों की जाँच नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोतल बंद पेयजल के 51 निर्धारित मानकों में से तीन, दाल के 8 निर्धारित मानकों में से 5 सरसों के तेल के लिए 13 निर्धारित मानकों में से 6 से 7 चाय के लिए 7 निर्धारित मानकों में से 2 सेमी कार्बोनेटेड वाटर के लिए 17 निर्धारित मानकों में से केवल एक का ही विश्लेषण किया गया परन्तु जाँच आख्या में इन खाद्य पदार्थों को उपभोग हेतु सुरक्षित घोषित किया गया था।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि वाराणसी एवं लखनऊ की प्रयोगशालाओं में खाद्य पदार्थों की जाँच में सूक्ष्म जीव विज्ञानी परीक्षण, भारी धातु एवं कीटनाशी जाँच हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। उपकरणों की कमी का विवरण **परिशिष्ट 3.1.7** में दिया गया है।

चूंकि प्रयोगशालाओं में निर्धारित मानकों की जाँच नहीं की जा सकी। जिससे सामान्य जन-मानस में अधोमानक/असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

शासन द्वारा उपकरणों के न उपलब्ध होने के सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। अनौचित्यपूर्ण नमूनों के जाँच के सम्बन्ध में शासन ने कहा कि क्षेत्रीय प्रयोगशाला लखनऊ एवं आगरा में उपकरणों एवं रसायनों की उपलब्धता के आधार पर नमूनों की जाँच की गयी थी तथा परिणाम घोषित किया गया था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में निर्धारित समस्त मानकों की जाँच के बिना परिणाम घोषित किया गया था। इस प्रकार, ऐसे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जिनके नमूने लेकर विश्लेषण करते हुए उपभोग हेतु सुरक्षित घोषित किया गया, के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं था।

3.1.5.4 बुनियादी ढाँचे में उच्चीकरण हेतु वित्तीय संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग

वर्ष 2012-16 की अवधि में जिला स्तर पर कार्यालयों और राज्य प्रयोगशालाओं के निर्माण एवं उच्चीकरण हेतु कुल धनराशि ₹ 34.70 करोड़ का आवंटन किया गया था जैसा कि सारणी 10 में दिया गया है :

सारणी 10: आवंटन, व्यय और समर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	आवंटन	व्यय	समर्पण (प्रतिशत)
2012-13	प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण	13.26	0.00	13.26 (100)
2013-14	निर्माण कार्य	1.94	1.94	0.00 (0)
	मशीनरी/उपकरण	0.16	0.00	0.16 (100)
2014-15	निर्माण कार्य	2.98	2.57	0.41 (14)
	मशीनरी/उपकरण	3.53	0.83	2.70 (76)
2015-16	निर्माण कार्य	9.16	9.16	0.00 (0)
	मशीनरी/उपकरण	3.67	0.00	3.67 (100)
	योग	34.70	14.50	20.20 (58)

(स्रोत: आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, लखनऊ)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल ₹ 14.50 करोड़ (42 प्रतिशत) धनराशि का ही उपयोग किया गया था तथा मशीनरी/उपकरण के लिए आवंटित धनराशि का एक बड़ा हिस्सा (76 से 100 प्रतिशत) समर्पित कर दिया गया था। समर्पण का मुख्य कारण आयुक्त, खाद्य सुरक्षा द्वारा मशीनरी एवं उपकरण के क्रय हेतु निविदा को अन्तिम रूप न दिया जाना था।

जैसा कि पैरा 3.1.5.3 में वर्णित है कि आगरा, वाराणसी एवं लखनऊ प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरणों की भारी कमी थी तथा धन की उपलब्धता के बावजूद भी उनकी व्यवस्था नहीं की गयी थी।

अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि 6 चयनित जिलों में खाद्य सुरक्षा प्रकोष्ठ एक छोटे से कमरे/हाल में क्रियाशील थे एवं धन की उपलब्धता के बावजूद इन प्रकोष्ठों में बुनियादी ढाँचा जैसे, कुर्सी, कम्प्यूटर और नमूने रखने हेतु भण्डारण सुविधा आदि की कमी थी जो यह दर्शाता है कि खाद्य सुरक्षा प्रकोष्ठों को बुनियादी ढाँचे में सुधार हेतु यथार्थवादी व्यापक योजना बनाने में लापरवाही की गयी थी।

शासन ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि निविदायें कई बार आमंत्रित की गयी परन्तु सफल निविदायें प्राप्त न होने के कारण मशीनरी व उपकरणों का क्रय उक्त अवधि के दौरान नहीं किया गया था। वास्तविकता यह है कि निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु धन का उपयोग नहीं किया गया जिसके कारण आवश्यक बुनियादी संरचना नहीं बनायी जा सकी थी।

संस्तुति: विभाग को पूँजीगत कार्य और आवंटित धनराशि के व्यय की प्रगति का अनुश्रवण सूक्ष्मता से करना चाहिए ताकि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ढाँचागत विकास के लिए आवंटित धनराशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

3.1.6 खाद्य विश्लेषण

3.1.6.1 गैर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 43(1) के प्रावधान के अनुसार खाद्य प्राधिकारी उन खाद्य प्रयोगशालाओं तथा शोध संस्थाओं को विश्लेषण हेतु अधिसूचित कर सकते हैं, जो कि नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एन0ए०बी०एल0) से मान्यता प्राप्त हो अथवा अन्य दूसरी मान्यता प्राप्त संस्था जो इस अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य विश्लेषण हेतु मान्य हो।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राज्य में जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गये नमूनों की जाँच हेतु छ: प्रयोगशालाएँ कार्यशील थी परन्तु इन छ: प्रयोगशालाओं में से 5 राज्य प्रयोगशालाएँ (आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और झाँसी) एन0ए०बी०एल0 या दूसरी एजेन्सियों से मान्यता प्राप्त नहीं थी, और राज्य प्रयोगशाला, झाँसी तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ0एस0एस0आई0) से मान्यता प्राप्त नहीं थी, यद्यपि, वर्ष 2015-16 में 517 नमूने आगरा, अलीगढ़, झाँसी और चित्रकूट में झाँसी प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु प्रेषित किये गये थे।

इस प्रकार किसी विवाद की स्थिति में एन0ए०बी०एल0 की विधिक मान्यता के अभाव में इन प्रयोगशालाओं की जाँच रिपोर्ट को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं हो सकते हैं और प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु किया गया पूरा प्रयास व्यर्थ हो सकता है। शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि राज्य प्रयोगशालाओं की मान्यता एन0ए०बी०एल0 से प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है, और जल्द ही प्राप्त कर लिया जायेगा।

संस्तुति: विभाग को सभी आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करना चाहिए जिससे राज्य प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हो जाय और खाद्य पदार्थों के जाँच हेतु प्रयोगशालाओं में सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हो जाय।

3.1.6.2 प्रयोगशालाओं से नमूना जाँच आख्या प्राप्त न होना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2.4.2.5 के अनुसार विश्लेषण प्रतिवेदन खाद्य विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और विश्लेषक नमूना प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर प्रतिवेदन तैयार कर प्रेषित करेंगे। यदि किसी मामले में नमूना प्राप्ति के 14 दिन के भीतर जाँच प्रतिवेदन तैयार नहीं की जा सके तो खाद्य विश्लेषक कारण और जाँच हेतु लगने वाले अतिरिक्त समय के साथ अभिहीत अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सूचित करेंगे।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नमूना जाँच के जनपदों से राज्य प्रयोगशालाओं को प्रेषित किये गये 463 नमूनों के जाँच प्रतिवेदन 14 दिन के भीतर नहीं प्राप्त हुए थे। 14 दिनों की निर्धारित अवधि के स्थान पर 03 माह से 04 वर्षों का विलम्ब था। जाँच में लगने वाले सम्भवित समय एवं विलम्ब के कारणों का अभिलेखीकरण नहीं था। वर्षवार लम्बित जाँच प्रतिवेदन का विवरण सारणी 11 में दिया गया है:

सारणी 11: कुल लम्बित जाँच आख्या

क्र. सं.	जनपद का नाम	कुल अप्राप्त रिपोर्ट				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	आगरा	0	0	0	94	94
2	बदायूँ	0	1	12	34	47
3	चन्दौली	0	0	0	15	15
4	गौतमबुद्ध नगर	6	1	29	66	102
5	कानपुर नगर	0	0	13	108	121
6	लखीमपुर खीरी	1	6	8	02	17
7	रायबरेली	0	0	0	25	25
8	सीतापुर	0	0	08	28	36
9	वाराणसी	0	0	04	02	06
योग		7	8	74	374	463

(स्रोत: चयनित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

अग्रेत्तर नियम में व्यवस्था है कि खाद्य कारोबारी के मामले में जिनके नमूने लिए गये थे या जिनका नाम, पता और अन्य विवरण नियम 2.5 के अन्तर्गत प्रदर्शित कर दिया गया हो, वह अभिहीत अधिकारी को सूचित करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी से लिखित रूप में अनुरोध करेगा कि उसके नमूने की जाँच किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में करायी जाय। मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को नमूने की जाँच 14 दिन के अन्दर करनी होगी।

अभिहीत अधिकारी आगरा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जनवरी 2016 से मार्च 2016 की अवधि में 09 नमूने जाँच हेतु कोलकाता प्रयोगशाला (एनएबीएल) को प्रेषित किया गया था परन्तु जून 2016 तक 97 से 172 दिन बीत जाने के बावजूद न तो जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ और न ही विलम्ब का कोई कारण प्रयोगशाला द्वारा सूचित किया गया था (**परिशिष्ट 3.1.8**)।

इस प्रकार तीन महीने से अधिक समय के बाद जाँच प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण सम्भाव्य दोषी कारोबारियों के खिलाफ मामलों को न्यायालय में आरम्भ नहीं किया जा

सका। ऐसे दोषी सम्भाव्य कारोबारी अपने खाद्य पदार्थों के मिलावटी, असुरक्षित एवं घटिया होने के बावजूद बिक्री जारी रखे थे।

शासन ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि कार्मिकों की कमी के कारण जॉच प्रतिवेदन समय से विश्लेषित नहीं किया जा सका। शासन ने आगे कहा कि प्रयोगशाला कर्मचारियों के सेवा विनियमन तैयार करने की प्रक्रिया जारी है फिर भी वास्तविकता यह थी कि तीन माह से चार वर्ष के विलम्ब के बाद भी प्रयोगशालाओं में प्राप्त नमूनों की जॉच नहीं की गयी थी।

संस्तुति: अयुक्त खाद्य सुरक्षा को तकनीकी कार्मिकों और उपकरणों की कमी की समस्या को सन्दर्भित करते हुए अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर नमूनों की जॉच रिपोर्ट की प्राप्ति सुनिश्चित करना चाहिए।

3.1.7 अधिनिर्णय

प्रयोगशाला की जॉच में मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामलों को न्याय–निर्णय अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाना चाहिए जो कि उस जिले के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट से कम स्तर का नहीं होना चाहिए। जहाँ इस प्रकार का अपराध आरोपित है, यदि न्याय–निर्णय अधिकारी संतुष्ट हो कि कारोबारकर्ता/व्यक्ति ने अधिनियम या नियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो वह उस अपराध से सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार ऐसा दण्ड लगा सकते हैं, जो वह उचित समझे।

3.1.7.1 खाद्य पदार्थों के मानकों की पुष्टि न करने वाले प्रकरणों में अधिनिर्णय

खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के प्रस्तर 3.1.1(9) में प्रावधान है कि न्याय–निर्णय अधिकारी पहली सुनवाई की तारीख से 90 दिन के भीतर अन्तिम आदेश पारित करेगा।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि न्याय निर्णय अधिकारी के न्यायालयों में अगस्त 2011 से मार्च 2016 के मध्य कुल 2687 मामले जो पहली सुनवाई की तारीख से 90 दिन से अधिक समय से लम्बित थे। जून 2016 तक के लम्बित मामलों का वर्षवार विवरण सारिणी 12 में दिया गया है:

सारणी 12: अधिनिर्णय के लिए लम्बित मामलों का विवरण (राज्य में)

वर्ष	नये प्रकरणों/ पंजीकृत की संख्या	ऐसे प्रकरण जिनकी प्रथम सुनवाई हो चुकी है	ऐसे प्रकरण जिनकी प्रथम सुनवाई से 90 दिन होने के उपरान्त अनिर्णीत हैं
1	2	3	4
2011-12	1,127	593	229
2012-13	1,776	1,019	473
2013-14	2,271	1,339	543
2014-15	2,862	5,984	332
2015-16	4,603	2,390	1,110
योग	12,639	11,325	2,687

(स्रोत: आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, लखनऊ)

वर्ष 2011-16 की अवधि तक 12639 मामले पंजीकृत किये गये थे जिसमें से 11325 मामलों की पहली सुनवाई की गयी थी, इन्हीं मामलों में 2687 मामले (24 प्रतिशत)

पहली सुनवाई की तारीख से 90 दिन की निर्धारित समय-सीमा व्यतीत होने के उपरान्त भी लम्बित थे।

अग्रेत्तर 10 चयनित जनपदों में 1678 मामले न्याय निर्णय अधिकारी के न्यायालयों में 90 दिन की निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद अन्तिम आदेश न होने के कारण लम्बित थे। उक्त लम्बित मामलों में प्रतिष्ठित कारोबारी जैसे याहू नूडल्स, क्लासिक मसाला (सन फीस्ट), अमूल दूध, गगन वनस्पति एवं नेस्ले उत्पाद आदि शामिल थे। अधिनिर्णय के लिये लम्बित प्रकरणों का वर्षवार विवरण सारणी 13 में दिया गया है:

सारणी 13: अधिनिर्णय के लिए लम्बित मामलों का विवरण

क्र. सं.	जनपद का नाम	अनिर्णीत प्रकरण					कुल अनिर्णीत प्रकरण
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
1	आगरा	-	-	-	22	28	50
2	बदायूँ	20	23	20	34	70	167
3	चन्दौली	16	08	17	21	58	120
4	गौतमबुद्ध नगर	7	8	56	114	197	382
5	हाथरस	5	6	6	5	108	130
6	कानपुर नगर	-	-	-	-	176	176
7	लखीमपुर खीरी	26	68	105	87	131	417
8	रायबरेली	-	-	-	-	45	45
9	सीतापुर	27	16	11	14	51	119
10	वाराणसी	30	7	15	18	2	72
योग		131	136	230	315	866	1678

(स्रोत: संबंधित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

इस प्रकार 10 चयनित जनपदों में से लखीमपुर खीरी, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर और बदायूँ में सर्वाधिक लम्बित प्रकरण थे।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु विभाग द्वारा समय से कार्यवाही न किये जाने के परिणाम-स्वरूप दो जनपदों में जब्त सामग्री ₹ 60.66 लाख का निस्तारण नहीं किया गया था (**परिशिष्ट 3.1.9**)।

इस प्रकार प्रकरणों के अधिनिर्णय में विलम्ब के कारण आम जन-मानस द्वारा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली अधोमानक खाद्य सामग्री के बिक्री से इन्कार नहीं किया जा सकता।

शासन ने कहा कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा की ओर से समस्त जिला अधिकारियों को लम्बित प्रकरणों के नियमानुसार निपटान हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

संस्तुतियाँ: विभाग को त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनिर्णय अधिकारी समय से आदेश पारित करें तथा सावधिक आख्या प्रस्तुत करायें।

3.1.7.2 जुर्माना प्राप्त न होना

खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 96 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, यदि उसका संदाय नहीं किया जाता है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति की जायेगी और शास्ति का संदाय होने तक दोषी का लाईसेंस निलम्बित रहेगा।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रदेश में अक्टूबर 2016 तक वर्ष 2011-16 के दौरान अधिरोपित कुल शास्ति ₹ 26.61 करोड़ में से ₹ 15.70 करोड़ की वसूली 7 से 55 महीने तक लम्बित थी। यद्यपि, दोषियों की संख्या जिनसे वसूली की जानी थी, उपलब्ध नहीं करायी गयी।

नौ नमूना चयनित जनपदों में 360 बकायेदारों से ₹ 3.75 करोड़ की बकाया शास्ति जून 2016 तक लम्बित थी जिसका विवरण सारिणी 14 में दिया गया है:

सारणी 14: अप्राप्त शास्तियाँ

क्र. सं.	जनपद का नाम	अप्राप्त शास्ति					प्रकरणों की संख्या	(₹ लाख में) धनराशि
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16		
1	आगरा	0	0	7.50	7.01	12.65	32	27.16
2	बदायूँ	0	4.15	14.55	12.00	4.95	25	35.65
3	चन्दौली	0	0	0	1.26	0.05	04	1.31
4	गौतमबुद्ध नगर	0	10.50	12.50	18.98	211.30	57	253.28
5	कानपुर नगर	1	0.17	5.50	4.30	2.07	16	13.04
6	लखीमपुर खीरी	0	0	0.8	3.58	0.1	25	4.48
7	रायबरेली	0	0.85	1.13	1.76	1.61	40	5.35
8	सीतापुर	0	5.70	4.05	10.13	5.29	82	25.17
9	वाराणसी	0	4.00	0.25	1.85	3.85	79	9.95
	योग	1	25.37	46.28	60.87	241.87	360	375.39

(चोत: संबंधित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

अग्रेत्तर, जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा न तो शास्ति की वसूली के लिए गम्भीर प्रयास किये गये और न ही बकायेदारों के लाइसेंस निलम्बित किये गये थे।

शासन ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3.1.7.3 प्राप्त शास्तियों को शासकीय खाते में रखना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 3.1.2(3) के अनुसार शास्ति की धनराशि क्रास डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित “जनपद के न्याय–निर्णय अधिकारी” के पक्ष में उस स्थान पर संदेय होगी जहाँ न्याय–निर्णय अधिकारी अवस्थित है।

नमूना जाँच किये गये 10 जनपदों में यह प्रकाश में आया कि शास्ति जमा करने के लिए कोई एकरूपता नहीं थी। पाँच जनपदों (आगरा, बदायूँ, चन्दौली, कानपुर नगर तथा वाराणसी) में ₹ 0.91 करोड़ की शास्ति अधिनिर्णय अधिकारियों के बैंक खातों में तथा शेष 5 चयनित जनपदों (गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, लखीमपुर खीरी, रायबरेली तथा सीतापुर) में ₹ 0.94 करोड़ सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कोषागार में जमा कराया गया था। सरकार ने कहा कि शास्ति की धनराशि को शीघ्र ही विभागीय प्राप्ति मद में जमा कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3.1.8 अनुश्रवण

3.1.8.1 सलाहकार समिति

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार का पंजीकरण एवं लाइसेंस) नियमन 2011 के नियम 2.1.15 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे

पंचायत/जिला/राज्य स्तर जहाँ इस तरह की समिति अस्तित्व में नहीं है में खाद्य सुरक्षा विषयों पर सहायता अथवा सलाह देने हेतु मौजूदा सलाहकार समिति नामित अथवा गठित कर सकती है। नियम में राज्य सलाहकार समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करने की कोई अवधि के मानक का प्रावधान नहीं है।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि राज्य स्तर की सलाहकार समिति का गठन अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष पश्चात् जनवरी 2014 में किया गया तथा जून 2016 तक केवल एक बैठक का आयोजन किया गया था।

अग्रेत्तर दस चयनित जनपदों में सात जनपदों में सलाहकार समिति का गठन किया गया था। अभिलेखों की अग्रेतर जाँच में पाया गया कि पाँच जनपदों जिनमें यद्यपि कि जिला सलाहकार समिति का गठन हो चुका था परन्तु वर्ष 2011-16 तक के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी थी। (**परिशिष्ट 3.1.10**)।

नमूना जाँच किये गये चयनित जनपदों में जिला सलाहकार समिति के गठित न किये जाने तथा जिला सलाहकार समिति को अक्रियाशील रखने के कारण खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन की गतिविधियों की प्रभावी ढंग से निगरानी नहीं की जा रही थी। सरकार ने कहा है कि सलाहकार समिति के गठन तथा नियमित बैठक आयोजित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3.1.8.2 शिकायत निवारण तन्त्र

शिकायत निवारण के लिए विभाग ने टोल फ्री नम्बर के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए एक शिकायत निवारण कक्ष बनाया था। शिकायतों को 7 से 10 दिनों के भीतर निस्तारण हेतु आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के निर्देश थे।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 29 शिकायतें जो कि वर्ष 2012-16 के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से प्राप्त हुई थीं, पर आयुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण को उसके निपटान की सूचना नहीं प्रेषित की गयी थी। शिकायतों के निपाटन जुलाई 2016 में पाँच से 54 माह तक विलम्बित थे। शासन ने उत्तर में कहा कि 29 शिकायतों में 12 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। शेष 17 शिकायतों के निपटान जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि शिकायतों के निवारण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं सुनिश्चित की गयी।

3.1.8.3 सूचना शिक्षा और संचार

सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया और अन्य प्रकार से शामिल गतिविधियों लाभार्थियों को अधिनियम, नियम और विनियम के आवश्यक तत्वों के बारे में जागरूक बनाने के लिए कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा पर सूचना शिक्षण सामग्री/पुस्तिकाओं/पोस्टर आदि के रूप में खाद्य संचालकों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, रसोई में खाद्य सुरक्षा, सड़कों पर बिकने वाली खाद्य सामग्री का किस प्रकार उपभोग करें क्या करें क्या न करें, लाइसेंस तथा पंजीकरण, खाद्य आयात, दूध व दूध निर्मित खाद्य सामग्री की छाप, बच्चे के लिए खाद्य सुरक्षा तथा विभिन्न हितकारकों के लिए विकसित की जानी थी।

यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने आईईसी गतिविधियों को जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किसी प्रकार का बजट प्रावधान नहीं किया, जिसके कारण विभाग द्वारा पुस्तिकाओं/पोस्टर आदि के लिए मुद्रण कार्य नहीं किये गये, जिससे कि आम जनता के लिए अधिनियम व उसके अधीन बनाये गये उनके अधिकारों व शक्तियों के विषय में जागरूक नहीं किया जा सका।

शासन ने स्वीकार किया कि आई0ई0सी0 गतिविधियों के शिविरों का आयोजन और विभागीय बेवसाइट पर विज्ञापन वर्ष 2015-16 से किये जा रहे हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चयनित जनपदों के अभिहीत अधिकारियों के यहाँ कोई अभिलेख इस प्रकार की गतिविधियों के समर्थन में उपलब्ध नहीं थे।

3.1.8.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा और अभिलेखों का रखरखाव

एक संगठन/संस्था के प्रभावी और कुशल वित्तीय परिचालन सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा समय—समय पर करायी जानी चाहिए और निरीक्षण आख्या विभाग के प्रमुख को उचित कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं चयनित जनपदों के अभिहीत अधिकारियों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2011-15 के दौरान कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी। हमने यह भी देखा कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभिलेखों का उचित रख—रखाव किसी भी चयनित जनपद में नहीं किया जा रहा था:

विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण रजिस्टर,

अभिहीत अधिकारियों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण तथा निरीक्षण आख्याओं की पंजिका,

नमूना संग्रहण डाटा/पंजिका, एवं

राज्य प्रयोगशालाओं की डेड स्टाक पंजिका।

बुनियादी अभिलेखों का रख—रखाव न किया जाना यह संकेत करता है कि विभाग के कार्यशैली में पारदर्शिता और प्रवर्तन कार्यवाही में विभागीय लापरवाही थी।

शासन ने स्वीकार किया कि वर्ष 2011-14 के दौरान कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी। हालांकि यह भी कहा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा वर्ष 2015-16 में दो जनपदों में की गयी थी।

3.1.8.5 FSSAI प्रतीक चिन्ह का प्रदर्शन

खाद्य वस्तुओं की मुख्य पैकिंग पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमन 2011 के अन्तर्गत जून 2013 में खाद्य प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार FSSAI लोगो प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य था।

जिला लखीमपुर खीरी की यात्रा के दौरान लेखा परीक्षा में पाया गया कि सड़क परिवहन बस स्टैण्ड खीरी में 1 लीटर पीने के पानी के बोतल की बिक्री की जा रही थी परन्तु, उस पर निर्धारित FSSAI का प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित नहीं था।



विना एफ0एस0ए0आइ0 लोगों के बोतल बन्द पानी
(चोत: लखीमपुर खीरी बस अडडा)

एफ0एस0ए0आइ0 लोगों के साथ बोतल बन्द पेय पदार्थ

शासन ने स्वीकार किया कि परिवहन नीर का नमूना नहीं लिया गया किन्तु इस हेतु कोई विशेष कारण नहीं बताया गया। जो यह प्रदर्शित करता है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 को प्रभावी ढंग से लागू करने में शिथिलता की गयी।

3.1.9 निष्कर्ष

प्रदेश में वास्तविक रूप से कारोबार संचालकों की संख्या चिह्नित करने के लिए वर्ष 2011-16 के दौरान विभाग ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया। विभाग ने अधिकांश कारोबारकर्ताओं को बिना परिसर के निरीक्षण किये लाइसेंस प्रदान किये। विभाग ने नमूना संग्रहण हेतु कोई भी मानदण्ड / लक्ष्य/अवधि का निर्धारण नहीं किया था जिससे नमूना संग्रहण पद्धति पारदर्शी नहीं थी और समुचित आश्वासन नहीं प्रदान करती। निविदाओं को अन्तिमीकरण न प्रदान किये जाने से राज्य की प्रयोगशालाओं के उन्नयन में कमी मशीनरी क्रय तथा चयनित जनपदों के बुनियादी संरचना की आवश्यकता के बावजूद वर्ष 2012-16 के दौरान पूँजीगत परिव्यय में आवंटित धनराशि ₹ 20.20 करोड़ (58 प्रतिशत) समर्पित कर दिया गया। राज्य की पाँच प्रयोगशालाएँ एन0ए0बी0एल0 से प्रमाणित नहीं थी तथा आवश्यक उपकरणों की भारी कमी के कारण खाद्य वस्तुओं के सभी निर्धारित परीक्षणों का संचालन करने में सक्षम नहीं थी। चयनित जनपदों में नमूना विश्लेषण आख्याएँ 14 दिवस के मानदण्डों के विपरीत 3 से 48 माह से प्रयोगशालाओं में लम्बित थीं। अधिनिर्णय अधिकारियों द्वारा प्रथम सुनवाई के 90 दिनों के भीतर निर्णय आदेश पारित किये जाने थे परन्तु 2687 (38 प्रतिशत) प्रकरणों में 90 से 1461 दिनों के बाद भी 90 दिनों की निर्धारित सीमा के बावजूद आदेश नहीं पारित किये गये थे।

न्याय विभाग

3.2 अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण की लेखापरीक्षा

3.2.1 प्रस्तावना

प्रत्येक राज्य में जनपद न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय (लोअर कोर्ट्स), राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं।

भारत सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों को आच्छादित करते हुये न्यायपालिका में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना 1993–94 में प्रारम्भ की गयी। योजना पर हुये व्यय को भारत सरकार तथा राज्य सरकारों में उत्तर–पूर्वी राज्यों¹ के अतिरिक्त अन्य राज्यों में 50:50 के अनुपात में वहन किया जाना था। योजना को 2011–12 में पुनरीक्षित किया गया जिसके अन्तर्गत मात्र अधीनस्थ न्यायालयों और सम्बंधित न्यायिक अधिकारियों के आवासों को ही 75:25 के अनुपात में आच्छादित किया जाना था। वर्ष 2015–16 से वित्त पोषण का अनुपात संशोधित कर 60:40 कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा न्यायपालिका में सूचना एवं प्रौद्योगिकी से सम्बंधित आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु 2007 में ई–कोर्ट मिशन मोड परियोजना भी प्रारम्भ की गयी।

3.2.1.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा द्वारा अप्रैल 2016 से जुलाई 2016 तक जनपद न्यायाधीशों के कार्यालयों (75 जनपदों में से आठ²) में 2011–16 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा की गयी। प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के कार्यालयों एवं नमूना जाँच हेतु चयनित जनपदों में निर्माण कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं से भी ऑकड़े और सूचनायें एकत्र की गयीं। प्रमुख सचिव, न्याय विभाग के साथ समापन गोष्ठी जनवरी 2017 में आयोजित की गयी तथा शासन की अनुक्रिया पर प्रतिवेदन में विचार किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.2 वित्तीय प्रबन्धन

3.2.2.1 वित्त पोषण का स्वरूप

न्याय विभाग के लिये निधियों का आबंटन उत्तर प्रदेश के अनुदान संख्या 42 (न्याय विभाग) के अन्तर्गत किया जाता है। केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत निधियों के आबंटन के लिये राज्य सरकार द्वारा उसके बजट में केन्द्रांश एवं राज्यांश दोनों के लिये प्रावधान किया जाता है। आवासीय भवनों एवं न्यायालय कक्षों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त किये जाने के लिये धनराशि माननीय उच्च न्यायालय को स्थानांतरित की जाती है।

¹ उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिये यह 90:10 के अनुपात में था जो कि 2011–12 में मानकों के पुनरीक्षित होने के पश्चात् भी लागू रहा।

² इलाहाबाद, बागपत, बलिया, चित्रकूट, गौतमबुद्ध नगर, जौनपुर, कासगंज एवं लखीमपुर खीरी।

3.2.2.2 आबंटन एवं व्यय

वर्ष 2011–16 की अवधि के लिये केन्द्र पुरोनिधानित योजना (जनपद एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय कक्षों एवं न्यायिक अधिकारियों हेतु आवासीय भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण बजट प्रावधान एवं बचत का विवरण सारणी 1 में दिया गया है।

सारणी 1: 2011–16 के मध्य केन्द्र पुरोनिधानित योजना की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान (भारत सरकार+राज्य सरकार दोनों) ³	बचत	प्रावधान के सापेक्ष बचत का प्रतिशत
1	2	3	4
2011-12	135.50	7.86	06
2012-13	193.00	23.76	12
2013-14	250.00	123.72	49
2014-15	250.00	14.65	06
2015-16	400.00	231.01	58
कुल	1,228.50	401.00	33

(जोत: न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2011–16 के मध्य अवमुक्त बजट प्रावधान के 33 प्रतिशत (₹ 401.00 करोड़) का उपयोग नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे पाया गया कि ₹ 1,228.50 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹ 848.50 करोड़ तथा ₹ 380.00 करोड़ क्रमशः न्यायालय कक्षों एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रावधानित था। फिर भी कार्य की धीमी प्रगति, भूमि की अनुपलब्धता एवं मानविकों की स्वीकृति में विलम्ब आदि से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निधियों के उपयोग में विफलता के कारण न्यायालय कक्षों एवं आवासीय भवनों के लिये प्रावधानित निधियों के क्रमशः 31 प्रतिशत (₹ 260.64 करोड़) एवं 37 प्रतिशत (₹ 140.36 करोड़) का उपयोग नहीं किया जा सका।

3.2.2.3 चयनित जनपदों में वित्तीय मामले

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियाँ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आहरित करके कार्यदायी संस्थाओं को स्थानांतरित की जाती हैं। 2011–16 की अवधि में नमूना जाँच किये गये आठ जनपदों की वित्तीय स्थिति सारणी 2 में दी गयी है:

सारणी 2: नमूना जाँच किये गये जनपदों में केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत 2011–16 के मध्य अवमुक्त एवं व्यय धनराशि की स्थिति।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अवमुक्त धनराशि	व्यय	कार्यदायी संस्थाओं के पास अवशेष धनराशि
1	2	3	4
2011-12	41.92	37.17	4.75
2012-13	22.10	16.01	6.09
2013-14	30.97	27.65	3.32
2014-15	37.87	21.83	16.04
2015-16	27.13	32.25	-5.12 ⁴
कुल	159.99	134.91	25.08

(जोत: चयनित जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

³ ₹ 861.38 करोड़ के केन्द्रांश एवं ₹ 367.12 के राज्यांश को सम्मिलित करते हुये बजट प्रावधान।

⁴ अवमुक्त धनराशि से अधिक व्यय होने का कारण पूर्व वर्षों में अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाना है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नमूना जाँच किये गये जनपदों में 2011–16 के मध्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ₹ 25.08 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका। निधियों के बगैर उपयोग के रह जाने का मुख्य कारण कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य की धीमी प्रगति थी। बलिया में 18 न्यायालय कक्षों और 16 आवासों के निर्माण के लिये नवम्बर 2011 और जनवरी 2015 के मध्य कांस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त किये गये ₹ 16.41 करोड़ में से ₹ 11.11 करोड़ (68 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2016 तक नहीं किया जा सका।

चयनित जनपदों में वित्तीय प्रबन्धन में पायी गयी महत्वपूर्ण कमियों की चर्चा अनुगामी प्रस्तरों में की गयी है:

कार्यदायी संस्थाओं को निधियों का अनियमित आबंटन

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल का प्रस्तर 212 प्रावधानित करता है कि निधियों का अवमुक्त किया जाना कार्य की भौतिक प्रगति से सहसम्बन्धित होना चाहिये।

दो चयनित जनपदों (बलिया एवं गौतमबुद्ध नगर) के अभिलेखों में पाया गया कि कार्य की नगण्य भौतिक प्रगति के बावजूद ₹ 11.38 करोड़ की धनराशि अनुवर्ती किश्तों के रूप में कार्यदायी संस्थाओं को 2008–15 के मध्य उपलब्ध करायी गयी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अनुवर्ती किश्तें उन प्रकरणों में भी अवमुक्त की गयी जहाँ कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुये थे। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.2.1 में दिया गया है।

इस प्रकार कार्यों की प्रगति से सम्बद्ध किये बिना ही कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त किये जाने से निर्माण एजेंसियों के पास धनराशि अवरुद्ध थी। यह वित्तीय नियंत्रण की गम्भीर कमी तथा निर्माण एजेंसियों को अनुचित लाभ दिया जाना प्रदर्शित करता था।

अर्जित ब्याज शासकीय खाते में न जमा किया जाना

शासनादेश (मार्च 1998) के अनुसार यदि उपभोक्ता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ब्याज अर्जित करने वाले बैंक खातों में रखी जाती हैं तो इन निधियों पर अर्जित ब्याज वापस शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिये।

नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों में पाया गया कि न्याय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों पर कार्यदायी संस्थाओं⁵ द्वारा 2011–16 के मध्य ₹ 3.17 करोड़ ब्याज⁶ अर्जित किया गया। तथापि शासकीय खाते में मात्र ₹ 42.59 लाख जमा किया गया। परिणामस्वरूप आदेशों के उल्लंघन में ₹ 2.74 करोड़ अर्जित ब्याज शासकीय खाते से बाहर कार्यदायी संस्थाओं के पास शेष था (परिशिष्ट 3.2.2)।

अग्रेतर यह पाया गया कि विभाग द्वारा ब्याज की वसूली के लिये न तो कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और न ही ब्याज को संस्थाओं के अनुवर्ती देयकों में समायोजित किया गया।

संस्तुति: कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निधियों को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिये तथा अग्रिम धनराशियों को कड़ाई से मानकों के अनुरूप ही अवमुक्त किया जाना चाहिये।

⁵ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, कांस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।

⁶ बचत एवं फ्लैक्सी बैंक खातों में जमा।

3.2.3 कार्यक्रम क्रियान्वयन

3.2.3.1 केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनान्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

राज्य सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना (2012–17⁷) में जनपद एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 500 न्यायालय कक्षों तथा न्यायिक अधिकारियों के लिये 400 आवासों के निर्माण की योजना की गयी। लक्ष्य एवं उपलब्धियों की स्थिति सारणी 3 में दी गयी है:

सारणी 3: केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

वर्ष	न्यायालय कक्ष			आवास			आवंटन (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)
	लक्ष्य	प्रगामी लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	प्रगामी लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)		
2012-13	100	100	20 (20)	80	80	10 (12)	193.00	169.24
2013-14	100	180	78 (43)	80	150	10 (7)	250.00	126.28
2014-15	150	252	20 (8)	80	220	20 (9)	250.00	235.35
2015-16 ⁸	100	332	50 (15)	80	280	50 (18)	400.00	168.99
कुल	450		168 (37)	320		90 (28)	1,093.00	699.86

(स्रोत: न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अभिलेख)

जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ अत्यन्त कम थीं और योजना के प्रथम चार वर्षों में (2012–16⁹) मात्र 37 प्रतिशत न्यायालय कक्षों एवं 28 प्रतिशत आवासों का निर्माण ही पूर्ण हो सका था। वित्तीय प्रगति भी कम थी जैसा कि 2012–16 के मध्य ₹ 1,093.00 करोड़ के योजना परिव्यय के सापेक्ष मात्र ₹ 699.86 करोड़ (64 प्रतिशत) ही खर्च किये जा सके थे। शासन द्वारा प्रभावी अनुश्रवण की कमी तथा कार्यों की धीमी प्रगति को बढ़ा पाने में कार्यदायी संस्थाओं की अक्षमता इस असंतोषजनक स्थिति के मुख्य कारण थे।

संस्तुति: शासन को सुनिश्चित करना चाहिये कि आवश्यक संख्या में न्यायालय कक्षों तथा न्यायिक अधिकारियों के लिये आवासों, जैसा कि केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना में प्रावधानित था, का लक्ष्य एक समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर प्राप्त किया जाये।

3.2.3.2 न्यायालय कक्षों एवं आवासों की कमी

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में न्यायालय कक्षों एवं आवासों की उपलब्धता एवं आवश्यकता का विवरण नहीं उपलब्ध कराया गया। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किये गये जनपदों में न्यायालय कक्षों एवं आवासों की उपलब्धता की स्थिति प्राप्त की गयी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये आठ में से छः जनपदों में 10 से 43 प्रतिशत के मध्य न्यायालय कक्षों की कमी थी जिसका विवरण निम्नलिखित है:

⁷ वर्ष 2011–12 से सम्बंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को नहीं उपलब्ध कराये गये।

⁸ लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियाँ अनुमानित थीं।

⁹ 50 न्यायालय कक्षों एवं 80 आवासों का निर्माण बारहवीं पंच वर्षीय योजनान्तर्गत 2016–17 में कराये जाने का नियोजन किया गया था।

सारणी 4: चयनित जनपदों में 31 मार्च 2016 तक न्यायालय कक्षों की स्थिति

क्र. सं.	जनपद	स्वीकृत न्यायालय कक्ष	उपलब्ध न्यायालय कक्ष	न्यायालय कक्ष की कमी (कालम 3 से प्रतिशत)	खराब स्थिति/छोटे आकार के न्यायालय कक्ष (कालम 4 से प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	71	62	09 (13)	18 (29)
2.	बलिया	31	22	09 (29)	00 (00)
3.	चित्रकूट	16	14	02 (13)	07 (50)
4.	जौनपुर	37	32	05 (14)	00 (00)
5.	कासगंज	21	12	09 (43)	06 (50)
6.	लखीमपुर खीरी	29	26	03 (10)	00 (00)
		205	168	37 (18)	31 (18)

(स्रोत: चयनित जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

नमूना जाँच किये गये जनपदों में 37 न्यायालय कक्षों (18 प्रतिशत) की कमी थी तथा 31 न्यायालय कक्ष (18 प्रतिशत) असंतोषजनक स्थिति में थे। इन कमियों के कारण न्यायालयों के सुचारू संचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

न्यायिक अधिकारियों के लिये आवासीय सुविधाओं के सम्बन्ध में नमूना जाँच किये गये जनपदों में संज्ञान में आयी आवासों की कमियों का विवरण सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5: नमूना जाँच किये गये जनपदों में 31 मार्च, 2016 तक आवासों की स्थिति

क्र. सं.	जनपद	न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या	उपलब्ध आवास	आवासों की कमी	कमी का प्रतिशत
1	इलाहाबाद	71	46	25	35
2	बागपत	14	01	13	93
3	बलिया	31	20	11	35
4	चित्रकूट	16	02	14	88
5	गौतमबुद्ध नगर	15	02	13	87
6	जौनपुर	37	09	28	76
7	कासगंज	21	07	14	67
8	लखीमपुर खीरी	29	20	09	31
	कुल	234	107	127	54

(स्रोत: चयनित जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों¹⁰ के अनुसार प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य था। तथापि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नमूना जाँच किये गये जनपदों में न्यायिक अधिकारियों के लिये आवासीय सुविधाओं की गम्भीर कमी थी। 234 आवासों की आवश्यकता के सापेक्ष मात्र 107 आवास उपलब्ध थे। इस प्रकार 127 आवासों (54 प्रतिशत) की कमी थी।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि सम्भवतः भविष्य में आवासों की कमी भी बनी रहनी थी क्योंकि निर्माणाधीन 140 न्यायालय कक्षों के सापेक्ष मात्र 78 आवासों (56 प्रतिशत) का निर्माण कराया जा रहा था। आवासों एवं न्यायालय कक्षों का निर्माण विभिन्न कमियों जैसे कि सहायक आधारभूत संरचनाओं की कमी, अपर्याप्त सर्वेक्षण,

¹⁰ रिट याचिका (सी) संख्या 1022/1989 में वादकालीन प्रार्थना पत्र संख्या 279/2010 में आल इंडिया जजेज एसोशियेशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य।

अवरोध रहित भूमि का उपलब्ध न होना, मानचित्रों की विलम्ब से स्वीकृति एवं कार्य की धीमी प्रगति आदि के साथ हो रहा था।

3.2.3.3 लागत एवं समय में वृद्धि

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल का प्रस्तर 212 लागत एवं समय में वृद्धि से बचने के लिये विभिन्न मापदण्डों¹¹ का प्रावधान करता है।

नमूना जाँच किये गये जनपदों में योजनान्तर्गत कराये जा रहे 51 कार्यों में से ₹ 139.43 करोड़ के 36 कार्य 2011–16 के मध्य पूर्ण किये जाने थे। कार्यदायी संस्थावार कार्यों की स्थिति परिशिष्ट 3.2.3 में दी गयी है। 36 कार्यों में से 16 कार्यों की लागत में वृद्धि होकर (समेकित मूल लागत: ₹ 65.08 करोड़) ₹ 121.81 करोड़ (87 प्रतिशत वृद्धि) तक पुनरीक्षित हो गयी थी। इस प्रकार 44 प्रतिशत कार्यों की लागत का पुनरीक्षण मुख्यतः कार्यों की प्रकृति में परिवर्तन तथा कार्यदायी संरचनाओं द्वारा विलम्ब से पूर्ण किये जाने के कारण किया गया। विवरण परिशिष्ट 3.2.4 में दिया गया है।

3.2.3.4 कार्य निष्पादन में कमियाँ

नमूना जाँच किये गये जनपदों में कार्य निष्पादन में अनेक कमियाँ लेखापरीक्षा में पायी गयीं। नमूना जाँच किये गये 14 कार्यों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकाश में आये उदाहरणों का विवरण निम्नवत है :

बिना सहायक आधारभूत ढाँचे के निर्माण

न्यायालय के सुचारू संचालन हेतु न्यायालय भवनों के निर्माण के साथ—साथ सहायक आधारभूत ढाँचों जैसे प्रशासनिक कार्यालयों, अधिवक्ताओं के भवन (लायर्स ब्लाक) वादी शेडों तथा न्यायिक अधिकारियों के लिये आवासों आदि का भी निर्माण किया जाना आवश्यक था। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि लखीमपुर—खीरी जनपद में ₹ 3.44 करोड़ धनराशि के न्यायालय भवनों का निर्माण बिना सहायक आधारभूत ढाँचे जैसे आवासीय भवन, वादी शेड, सार्वजनिक शौचालयों, लाक—अप आदि के बिना कराया जा रहा था जिसका विवरण निम्नवत है :

लखीमपुर—खीरी की तहसील निधासन में एक न्यायालय कक्ष (लागत: ₹ 0.69 करोड़) का निर्माण उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड) द्वारा जनवरी 2012 में प्रारम्भ किया गया था जो कि अप्रैल 2016 तक पूर्ण नहीं हो पाया था। तथापि न्यायालय भवन के आगणन में अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं यथा वादी शेड, सार्वजनिक शौचालय, लाक—अप (पुरुष एवं महिला) आदि का प्रावधान नहीं किया गया था। इन सब सुविधाओं को समिलित करते हुये ₹ 2.34 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया (मार्च, 2016) जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित थी। इस प्रकार न्यायालय के संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना के बिना न्यायालय कक्ष का निर्माण कराया जा रहा था।

शासन द्वारा लखीमपुर—खीरी की तहसील मोहम्मदी में ₹ 0.59 करोड़ की कुल लागत के दो न्यायालय कक्षों (₹ 0.34 करोड़) तथा दो आवासों (₹ 0.25 करोड़) के निर्माण की स्वीकृति सितम्बर, 2007 में प्रदान की गयी। कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को दिया गया। अग्रेतर उसी न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों हेतु दो और आवासों की योजना के बिना ही ₹ 2.16 करोड़ की लागत के दो और न्यायालय कक्षों

¹¹ मानक रचना, रचना में बदलाव, अनुबंध गठन इत्यादि।

का निर्माण स्वीकृत किया गया (मार्च, 2012)। परिणामस्वरूप चार न्यायालय कक्षों के सापेक्ष मात्र दो आवास उपलब्ध थे।

पर्याप्त सर्वेक्षण के बिना निर्माण कार्य कराया जाना

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल का प्रस्तर 37 निर्धारित करता है कि स्थल की उपयुक्तता तथा योजनानुसार कार्य किये जाने की व्यवहार्यता के निर्धारण हेतु स्थल सर्वेक्षण सम्पन्न किये जाने के बाद ही आगणन तैयार किया जाना चाहिये।

चयनित जनपदों के अभिलेखों की नम्ना जाँच में पाया गया कि लखीमपुर खीरी एवं चित्रकूट जनपदों में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ₹ 8.42 करोड़ की लागत के चार कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व समुचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप निर्माण योजना में विभिन्न परिवर्तन करने पड़े जिसके कारण न्यायालय भवनों/आवासों के निर्माण की अवधि एवं लागत में वृद्धि (₹ 10.54 करोड़) तथा अन्य कमियाँ हुर्यों जिनका विवरण परिशिष्ट 3.2.5 में दिया गया है।

अग्रेतर लखीमपुर खीरी में ₹ 0.63 करोड़ की स्वीकृत लागत के 28 आवासों (श्रेणी-1; 16 और श्रेणी-3; 12) का निर्माण अक्टूबर, 1998 में प्रारम्भ हुआ। भवनों की, आंतरिक, बाह्य संरचना एवं अन्य समापन कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा ₹ 0.83 करोड़ की पुनरीक्षित लागत से 2006 में पूर्ण किया गया। गम्भीर जल भराव के कारण भवन का उपयोग विगत 10 वर्षों से नहीं किया जा सका क्योंकि निर्माण कार्य भठ्ठे की जमीन पर हुआ था जिसकी सतह निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व उठाये जाने की आवश्यकता थी¹²।



लखीमपुर खीरी में जलभराव के कारण खाली पड़े कर्मचारी आवास

अग्रेतर यह पाया गया कि भवन का निर्माण कार्य निर्माण हेतु चिन्हित भूमि के बजाय भूमि के अन्य टुकड़े (बिना अधिग्रहण वाले) पर किया गया जिसके कारण जून, 2012 में भू-स्वामी को ₹0.80 करोड़ की क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। इस प्रकार पर्याप्त सर्वेक्षण तथा स्थल की उपयुक्तता सुनिश्चित किये बिना निर्माण किये जाने के कारण ₹1.63 करोड़ का अपव्यय हुआ।

अवरोध रहित कार्य स्थल सुनिश्चित किये बिना कार्य किया जाना

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 37 में प्रावधानित है कि अवरोध रहित कार्यस्थल की उपलब्धता कार्य प्रारम्भ किये जाने की पूर्व शर्त है।

¹² भवनों को कियाशील बनाने के कम में रिटेनिंग वाल, नाली, मिट्टी भराव, सी.सी. रोड आदि के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा ₹ 2.86 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन तैयार किया गया जो कि स्वीकृति हेतु लम्बित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो जनपदों (इलाहाबाद एवं बलिया) में ₹ 39.10 करोड़ धनराशि के पाँच कार्यों में कार्यदायी संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराने में विलम्ब किया गया। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि अवरोध रहित कार्य स्थल की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारम्भ किये जाने में विलम्ब हुआ तथा लागत भी ₹ 49.69 करोड़ पुनरीक्षित हो गयी जिसका विवरण परिशिष्ट 3.2.6 में दिया गया है।

डिजाइन/मानचित्रों की विलम्ब से स्वीकृति

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 के अनुसार डिजाइन की स्वीकृति कार्य कराये जाने की पूर्व शर्त है।

नमूना जाँच किये गये जनपदों में अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि तीन जनपदों (बलिया, चित्रकूट एवं गौतमबुद्ध नगर) में ₹ 25.62 करोड़ की मूल लागत (पुनरीक्षित लागत ₹ 66.18 करोड़) के तीन कार्यों को कार्यदायी संस्थाओं द्वारा मानचित्रों की स्वीकृति के बिना प्रारम्भ किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 3.2.7 में दिया गया है।

संस्तुति: शासन द्वारा न्यायालय परिसरों एवं आवासों में आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिये एक दीर्घकालीन व्यापक योजना बनायी जानी चाहिये जिसमें समय सीमा, बजटीय परिव्यय, निर्माण के तौर-तरीके तथा विभिन्न स्तरों पर सेवा प्रदान करने हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण समिलित किया जाना चाहिये।

3.2.3.5 निविदा आमंत्रित किये बिना कार्य प्रदान किया जाना

माननीय उच्चतम न्यायालय¹³ के आदेशानुसार (केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उद्धरण प्रसारित) राज्य द्वारा इसके निगमों, साधनों एवं एजेन्सियों को ठेके आवश्यक रूप से सामान्यतः सार्वजनिक नीलामी/सार्वजनिक निविदा के माध्यम से दिये जाने चाहिये। अग्रेतर उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 के अनुसार संबंधित विभाग निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व कार्यदायी संस्था के साथ समुचित अनुबंध/सहमति पत्र किया जाना सुनिश्चित करेगा।

नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2011–16 के मध्य विभाग द्वारा ₹ 237.60 करोड़ की लागत के 51 कार्य कार्यदायी संस्थाओं¹⁴ को दिये गये (परिशिष्ट 3.2.8)। इनमें से ₹ 234.83 करोड़ के 43 कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को निविदा आमंत्रित किये बिना दिये गये थे (परिशिष्ट 3.2.9)। जनपदों द्वारा उत्तर में बताया गया कि कार्यों को राज्य सरकार के स्तर पर दिया गया था। शासन स्तर से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी, 2017)।

₹ 2.77 करोड़ लागत के शेष आठ कार्य निष्पादन के लिये लोक निर्माण विभाग को दिये गये थे।

अग्रेतर, प्रावधानों के विपरीत, शासन द्वारा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कोई अनुबंध/सहमति पत्र नहीं निष्पादित किया गया जिसके कारण न तो इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिड बोली क्षमता का आकलन हो पाया और न ही निर्माण एजेंसियों के स्तर पर विलम्ब के कारण हुयी हानियों की गणना तथा विलम्ब हेतु दण्ड का प्रावधान किया गया था।

¹³ 2006 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 10174: मेरठ नगर निगम बनाम ए वन फहीम मीट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड।

¹⁴ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, कांस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा लोक निर्माण विमाग।

अग्रेतर संवीक्षा में पाया गया कि 36 कार्यों में से ₹ 73.28 करोड़ की मूल लागत के 11 कार्य¹⁵ जिन्हें 2011–16 के मध्य पूर्ण किया जाना था उनमें दो माह से 36 माह तक विलम्ब हुआ जबकि ₹ 0.30 करोड़ धनराशि के दो कार्य निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि से 50 माह बाद भी पूर्ण किये जाने हेतु लम्बित¹⁶ थे (परिशिष्ट 3.2.10)। तथापि किसी भी कार्यदायी संस्था पर अनुबंध/सहमति पत्र के अभाव में कार्य निष्पादन में विलम्ब के लिये अर्थदण्ड नहीं लगाया जा सका।

संस्तुति : (i) कार्यदायी संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी) को मात्र निविदा के आधार पर कार्य दिया जाना चाहिये।

(ii) कार्य निष्पादन के लिये स्वीकृत लागत एवं समय सीमा का कड़ाई से पालन करने के लिये कार्यदायी संस्थाओं को उत्तरदायी बनाने की शर्तों को सम्मिलित करते हुये अनुबंध/सहमति पत्र हस्ताक्षरित किये जाने चाहिये।

3.2.4 ई-कोर्ट स्कीम

भारत के न्यायपालिका के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2007 में प्रारम्भ की गयी। योजना का प्रथम चरण 31 मार्च 2015 को समाप्त हुआ। परियोजना का उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनपद एवं अधीनस्थ न्यायालयों को सेवायें उपलब्ध कराना था।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़ों/सूचनाओं में पाया गया कि प्रथम चरण में स्थल तैयारी, न्यायाधीशों एवं कर्मचारियों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण, पावर बैंकअप (जनरेटर सेटों एवं यू०पी०एस०) आदि कार्यकलापों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये थे। तथापि लेखापरीक्षा में तकनीकी जन संसाधन के परिनियोजन में बृहद् कमी पायी गयी। जैसा कि 247 (81 सिस्टम अधिकारी एवं 166 सिस्टम विश्लेषक) कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष जनपद न्यायालयों में मात्र 106 कर्मचारी¹⁷ (57 प्रतिशत) उपलब्ध कराये गये थे।

3.2.4.1 निष्क्रिय कम्प्यूटर हार्डवेयर

प्रत्येक न्यायालय परिसर आवश्यक कम्प्यूटर हार्डवेयर जैसे डेस्कटाप, प्रिन्टर, सर्वर, स्कैनर, प्रोजेक्टर आदि से सुसज्जित किये जाने थे। प्रत्येक न्यायाधीश एवं उनके सहायक कर्मचारियों को चार क्लाइंट मशीनें¹⁸ एवं तीन प्रिन्टर उपलब्ध कराये जाने थे। फाइलिंग, नजारत आदि अनुभागों को थिन क्लाइंट¹⁹ एवं प्रिंटर उपलब्ध कराये जाने थे।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये चार जनपदों (इलाहाबाद, बलिया, जौनपुर एवं लखीमपुर खीरी) में न्यायालय कक्षों में स्थापित किये जाने के लिये मार्च एवं मई 2009 के मध्य मानीटर, की-बोर्ड एवं माउस सहित थिन क्लाइंट मशीनों की आपूर्ति की गयी थीं (प्रति न्यायालय कक्ष तीन क्लाइंट मशीनें)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन जनपदों में आपूर्ति 468 मशीनों में से ₹ 27.87 लाख मूल्य की 208

¹⁵ नमूना जाँच किये गये जनपदों में कराये जा रहे 51 कार्यों में से।

¹⁶ सिविल कोर्ट, हलाहाबाद में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण: ₹ 16.43 लाख (₹ 40.83 लाख का पुनरीक्षित आगणन अनुमोदन हेतु लम्बित) तथा चित्रकूट में जिला न्यायाधीश के आवास पर कार्यालय कक्ष का निर्माण ₹ 13.90 लाख (₹ 36.54 लाख का पुनरीक्षित आगणन अनुमोदन हेतु लम्बित)।

¹⁷ 59 सिस्टम अधिकारी + 47 सिस्टम विश्लेषक।

¹⁸ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अप्रैल 2010 में यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक कोर्ट रूम में दो क्लाइंट मशीनें स्थापित की जायेंगी।

¹⁹ थिन क्लाइंट एक हल्के वजन का कम्प्यूटर है जो इस उद्देश्य से बनाया गया है कि यह सर्वर में दूर से कार्य कर सके। यह अपनी कम्प्यूटेशनल भूमिका को पूरा करने के लिये दूसरे कम्प्यूटर (अपने सर्वर) पर काफी निर्भर करता है।

मशीनें²⁰ (44 प्रतिशत) जुलाई 2016 की स्थिति के अनुसार पॉच वर्षों से भी अधिक समय से बिना उपयोग के निष्क्रिय पड़ी थीं।

3.2.5 अनुश्रवण

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यों के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जनपद में एक जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति²¹ का गठन किया जाना था। समिति द्वारा योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में एक त्रैमासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव/नियोजन सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को प्रेषित किया जाना था।

नमूना जाँच किये गये जनपदों में अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि किसी भी जनपद द्वारा 2011–16 के मध्य राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी थी। यह योजनान्तर्गत सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा अनुश्रवण की अपर्याप्तता का द्योतक था।

संस्कृति: शासन द्वारा कार्य समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने हेतु शासन स्तर के साथ-साथ जनपद स्तर पर सभी कार्यदायी संस्थाओं के साथ एक तेज एवं प्रभावी अनुश्रवण का प्रारम्भ किया जाना चाहिये।

3.2.6 सीमायें

विभाग द्वारा अत्यन्त कम ऑकड़े/सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के कारण लेखापरीक्षा कार्य प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त अधिकांश लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विभाग द्वारा उत्तर नहीं दिया गया। इसके आगे उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड) द्वारा केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनान्तर्गत किये गये कार्यों से सम्बन्धित माँगे गये ऑकड़े/सूचनायें बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद भी नहीं उपलब्ध कराये गये। ये सब लेखापरीक्षा के प्रभाव और निष्कर्षों में बाधक थे।

3.2.7 निष्कर्ष

कुल मिलाकर वित्तीय प्रबन्धन अपर्याप्त था जैसे कि बजट की 33 प्रतिशत धनराशि बिना व्यय के अवशेष थी। कार्यदायी संस्थाओं को निधियों आवश्यकता का आकलन किये बगैर अवमुक्त की गयीं तथा अनावश्यक रूप से अग्रिम की तरह उपलब्ध करायी गयीं परिणामस्वरूप नियमों के विरुद्ध धनराशि अवरुद्ध हुयी। कार्यदायी संस्थाये शासकीय अग्रिमों को जमा कर उस पर ब्याज अर्जित करती रहीं जिन्हें वापस शासकीय खाते में नहीं जमा किया गया था। क्रियान्वयन खराब था जैसे कि बारहवीं पंच वर्षीय योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष मात्र 37 प्रतिशत न्यायालय कक्षों तथा 28 प्रतिशत आवासों का निर्माण हुआ था। कार्यों को कार्यदायी संस्थाओं को सौंपा जाना तथा निष्पादन त्रुटिपूर्ण था जैसे कि कार्यों को बगैर निविदा आमंत्रित किये हुये तथा कार्यदायी संस्थाओं से बिना कोई अनुबंध/सहमति पत्र हस्ताक्षरित किये हुये दिया गया था। इसलिये कार्यदायी संस्थाओं में उत्तरदायित्व का अभाव रहा तथा कार्य किये जाने में काफी विलम्ब हुआ। अग्रेतर, कार्य समुचित सर्वेक्षण, मानचित्रों की स्वीकृति तथा अवरोध रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बगैर कराये गये। परिणामस्वरूप, समय एवं लागत में वृद्धि हुयी तथा कार्य निष्पादन में कमियाँ थीं।

²⁰ इलाहाबाद: 114 मशीनें (₹ 15.93 लाख), बलिया : 27 मशीनें (₹ 3.62 लाख), जौनपुर : 45 मशीनें (₹ 6.03 लाख) एवं लखीमपुर खीरी : 22 मशीनें (₹ 2.95 लाख)।

²¹ जिसमें जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश अथवा समकक्ष एवं अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग शामिल हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.3 उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में उपकरण प्रबन्धन पर लेखापरीक्षा

3.3.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है एवं जन स्वास्थ्य संकेतक राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। राज्य के मेडिकल कालेजों तथा उनसे सम्बद्ध शिक्षण चिकित्सालयों में उपलब्ध अवसंरचना की अपर्याप्तता ऐसे गम्भीर क्षेत्र हैं जिनमें प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, शिक्षण संस्थाओं सहित पूर्ण–सज्जित मेडिकल कालेजों, जो क्षेत्रीय चिकित्सालयों के लिए प्रधान सन्दर्भन केन्द्र हैं, की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन प्रमुख सचिव के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है। विभागीय स्तर पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित करने तथा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर चिकित्सा शिक्षा के स्तर का सुधार करने हेतु उत्तरदायी है। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अधीनस्थ दो अपर निदेशक, दो संयुक्त निदेशक एवं एक वित्त नियन्त्रक कार्यरत हैं। राज्य के सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्य, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को सीधे अपनी रिपोर्ट प्रेषित करते हैं।

मार्च, 2016 तक राज्य में उन्नीस¹ राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान हैं। वर्ष 2011–16 की अवधि में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ₹ 11,230.32 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी थी।

उन्नीस राजकीय मेडिकल कालेजों में से चार, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (के०जी०एम०य००, लखनऊ), लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ (एल०एल०आर०एम०, मेरठ), बाबा राधवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर (बी०आर०डी०, गोरखपुर) एवं महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी (एम०एल०बी०, झाँसी) एस०आर०एस०डब्ल०ओ०आर०² विधि द्वारा लेखापरीक्षा हेतु चयनित किये गये थे।

नमूना जाँच हेतु चयनित चार राजकीय मेडिकल कालेजों को वर्ष 2011–16 की अवधि में निधियों का आवंटन एवं उसके सापेक्ष व्यय नीचे दिया गया है:

सारणी 1: चार नमूना जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों के आवंटन एवं व्यय का विवरण
(₹ करोड़ में)

नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		महायोग	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय								
बीआरडी०, गोरखपुर	48.69	48.6	59.98	59.65	90.56	82.11	149.45	140.84	103.67	94.93	452.35	426.13
एमएलबी०, झाँसी	119.47	52.13	54.99	47.88	154.6	146.91	164.04	151.66	116.13	108.94	609.23	507.52
एलएलआरएम०, मेरठ	63.36	63.13	65.29	59.62	86.88	65.62	69.67	66.87	101.61	97.23	386.81	352.47
केजीएमय००, लखनऊ	311.71	311.38	396.52	383.03	482.24	467.92	419.75	408.28	466.2	461.81	2076.42	2032.42
योग	543.23	475.24	576.78	550.18	814.28	762.56	802.91	767.65	787.61	762.91	3524.81	3318.54

¹ राज्य सरकार: 16 राजकीय मेडिकल कालेज एवं केन्द्र सरकार : 03 राजकीय मेडिकल कालेज

² एस० आर० एस० डब्ल० ओ० आर० – सिप्पल रैनडम सैम्प्लिंग विदाउट रीस्लेसमेण्ट

उपरोक्त सारणी 1 से स्पष्ट है कि कुल आवंटन ₹ 3,524.81 करोड़ के सापेक्ष चार राजकीय मेडिकल कालेजों द्वारा ₹ 3,318.54 करोड़ अर्थात् 94 प्रतिशत व्यय किया गया था। तथापि एम०एल०बी०, झांसी द्वारा 2011–16 की अवधि में आवंटित निधि का मात्र 83 प्रतिशत व्यय किया गया था तथा 17 प्रतिशत धनराशि का व्यय नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

3.3.2 वित्तीय प्रबंधन

3.3.2.1 वैयक्तिक लेखा खाते का संचालन

उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली, 1998 में यह प्रावधान है कि वैयक्तिक लेखा खाता (पी०एल०ए०) महालेखाकार की सहमति से कार्यालयाध्यक्ष के नाम से खोला जा सकता है।

यद्यपि, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार केवल के०जी०एम०य० के व्यय के परिचालन हेतु पी०एल०ए० के संचालन का प्राधिकार पत्र मार्च 2008 तक के लिए जारी किया गया था। पुनः, मार्च 2008 की अवधि के पश्चात् कोई विस्तार स्वीकृत नहीं किया गया था।

यह पाया गया कि सभी चार नमूना जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए के०जी०एम०य० लखनऊ के पी०एल०ए० में निधियों को रक्षित किया जा रहा था। राजकीय मेडिकल कालेजों द्वारा पी०एल०ए० में निधियों के रक्षण में पायी गयी अन्य अनियमिताओं की नीचे चर्चा की गयी है।

मार्च, 2016 तक के०जी०एम०य०, लखनऊ के पी०एल०ए० में चार नमूना—जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित ₹ 155.71 करोड़ की धनराशि रक्षित की गयी थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

सारणी 2: मार्च, 2016 तक पी०एल०ए० में रखी गयी निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नाम	पी०एल०ए० में रखी गयी धनराशि
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	96.00
2	लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ	18.27
3	बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर	27.38
4	महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी	14.06
योग		155.71

अग्रेतर जाँच में पाया गया कि शासन ने विभिन्न चिकित्सा संस्थानों (चार नमूना—जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों को सम्मिलित करते हुए 14 राजकीय मेडिकल कालेज, निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें) को निर्देश जारी किया (जुलाई, 2013 से मार्च, 2016 तक) था कि वेन्टीलेटर, डिजीटल माइक्रोट्रोम रोटरी, सी—आर्म इमेज इनटेन्सीफायर, जनरल लैपरोस्कोपी सेट (एच डी) आदि उपकरणों के क्रय हेतु अवमुक्त धनराशि के०जी०एम०य०, लखनऊ के पी०एल०ए० में रखी जायेगी तथा आवश्यकतानुसार वित्त विभाग की अनुमति एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रतिहस्ताक्षर पर आहरित की जायेगी। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि ₹ 527.40 करोड़ की धनराशि (चार नमूना जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों में ₹ 155.71 करोड़ को सम्मिलित करते हुए) वित्त अधिकारी, के०जी०एम०य०, लखनऊ के पी०एल०ए० में रक्षित (जुलाई, 2013 से मार्च 2016, तक) थी।

के०जी.एम०य०, लखनऊ के पी०एल०ए० में रक्षित ₹ 527.40 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष ₹ 361.59 करोड़ की धनराशि सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कालेजों एवं निदेशक, आयुर्वेद सेवायें को जून, 2016 तक अन्तरित कर दी गयी जबकि ₹ 165.81 करोड़ की धनराशि जून, 2016 तक के०जी.एम०य०, लखनऊ के पी.एल.ए. में रक्षित रही जैसा नीचे दर्शाया गया है:

**सारणी ३: के०जी०एम०य०, लखनऊ के पी०एल०ए० में रक्षित
एवं उससे अवमुक्त निधियों का वर्षावार विवरण**

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	रक्षित धनराशि	अवमुक्त धनराशि	(₹ करोड़ में) अन्तिम शेष
2013-14	0.00	204.80	0.00	204.80
2014-15	204.80	147.19	128.03	223.96
2015-16	223.96	175.41	160.36	239.01
2016-17 (06 / 2016 तक)	239.01	0.00	73.20	165.81

(चोत: के०जी.एम०य०, लखनऊ)

पी०एल०ए० में निधियों को रक्षित करके न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया था, अपितु रोगियों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल से भी वंचित रखा गया क्योंकि प्रस्तर 3.3.3 में यथाचर्चित आवश्यक उपकरणों का समय से क्रय नहीं किया गया था।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा के०जी०एम०य० को प्रचलित नियमों के अधीन महालेखाकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया।

3.3.2.2 निधियों का व्यावर्तन

सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के अनुसार प्रत्येक नियन्त्रण अधिकारी का उसके निपटान पर रखी गयी निधियों के सन्दर्भ में यह कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि निधियां जिस प्रयोजन से उपलब्ध करायी गयी हैं, उन्हीं पर उनका व्यय किया जाये।

के०जी०एम०य०, लखनऊ के बजट अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत निधियों का वेतन (₹ 45 करोड़) एवं अन्य बाध्यकारी व्ययों (₹ 25 करोड़) जैसे गृह कर, जल कर, विद्युत, औषधि इत्यादि के भुगतान हेतु बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन किया गया था।

उत्तर में, बताया गया (अगस्त, 2016) कि वेतन एवम् अन्य बाध्यकारी व्ययों के प्रतिबद्ध देयता का भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उपकरणों के क्रय हेतु आंवटित निधि से के०जी०एम०य०, लखनऊ की वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपरोक्त धनराशि का आहरण किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी तथा इस प्रकार के व्यावर्तनों को नियमित किये जाने हेतु के०जी०एम०य० की वित्त समिति प्राधिकृत नहीं थी।

संस्तुति: शासन द्वारा पी०एल०ए० में निधियों के रक्षण को हतोत्साहित करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियों का उन्हीं उद्देश्यों हेतु उपयोग किया गया है जिनके लिए स्वीकृत की गयी थी; प्रभावी नियन्त्रण प्रणाली लागू किया जाना चाहिए।

3.3.2.3 शासकीय निधियों पर ब्याज

उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देशित³ किया था (मार्च, 2012) कि शासकीय निधियों पर अर्जित किये गये ब्याज को शासकीय लेखा में अवश्य जमा कर दिया जाये।

के0जी0एम0यू० के अभिलेखों की नमूना—जाँच में पाया गया कि 2011–16 की अवधि में ₹ 210 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु प्रदान की गयी थी। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 2011–16 की अवधि से सम्बन्धित व्यय न की गयी ₹ 58.53 करोड़ की धनराशि मार्च, 2016 तक बचत बैंक खाते में जमा थी। बैंक खाता में रखी गयी धनराशि पर अर्जित न्यूनतम ब्याज ₹ 2.83 करोड़ था।

₹ 2.83 करोड़ के उपरोक्त अर्जित ब्याज के सापेक्ष के0जी0एम0यू० द्वारा मार्च, 2016 तक ₹ 0.95 करोड़ शासकीय लेखा में जमा किया गया था एवं ₹ 1.88 करोड़ वर्तमान में (दिसम्बर, 2016) शासकीय लेखा में जमा किया जाना था।

शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गयी तथा बताया गया कि ब्याज की धनराशि को शासकीय लेखों में जमा किये जाने हेतु के0जी0एम0यू०, लखनऊ को निर्देश जारी किये जायेंगे।

3.3.3 उपकरण प्रबन्धन

3.3.3.1 चिकित्सकीय उपकरणों की कमी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी चारों सम्बद्ध शिक्षण चिकित्सालयों में एम0सी0आई० द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक आवश्यकताओं के सापेक्ष चिकित्सकीय उपकरणों की कमी 43.24 प्रतिशत थी। चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता एवं कमी की राजकीय मेडिकल कालेज वार स्थिति सारणी 4 में दी गयी है।

सारणी 4: चिकित्सकीय उपकरणों की कमी का विवरण

चिकित्सा संस्थान का नाम	चिकित्सकीय विभागों की संख्या	भारतीय चिकित्सा परिषद मानकों के अनुसार आवश्यक न्यूनतम मात्रा	उपलब्ध मात्रा	कमी	कमी का प्रतिशत
एल0एल0आर0एम0, मेरठ	11	2,535	1,018	1,517	59.84
बी0आर0डी0, गोरखपुर	11	1,683	1,225	458	27.21
एम0एल0बी0, झांसी	12	1,714	1,081	633	36.93
के0जी0एम0यू०, लखनऊ	11	2,916	1,698	1,218	41.77
योग	45	8,848	5,022	3,826	43.24

(स्रोत: सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कालेजों द्वारा प्रस्तुत सूचना)

नमूना—जाँच किये गये शिक्षण चिकित्सालयों में चिकित्सकीय उपकरणों की कमियों का विभागवार विवरण **परिशिष्ट 3.3.1** में दिया गया है।

के0जी0एम0यू०, लखनऊ के पी0एल0ए० में राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु ₹ 165.81 करोड़ उपलब्ध होने के बावजूद राजकीय मेडिकल कालेजों द्वारा चिकित्सकीय उपकरणों के क्रय हेतु पर्याप्त प्रक्रिया आरम्भ नहीं की गयी थी। चिकित्सकीय उपकरणों की अत्यधिक कमी का न केवल छात्रों को प्रदान की गयी

³ ए-1-122/10/2012/10(33).2010 वित्त (लेखे) अनुभाग-प्रथम, लखनऊ, दिनांक 21.3.2012.

शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था अपितु इसके कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले जनसाधारण को दी जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवायें भी प्रभावित हुई।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों को दूर किये जाने हेतु उचित कार्यवाही किये जाने का अश्वासन दिया गया।

3.3.3.2 शिक्षण उपकरणों की कमी

एम०सी०आई० द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं के सापेक्ष समस्त नमूना–जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों में शिक्षण उपकरणों (गैर चिकित्सकीय) की कमी थी। नमूना–जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों में कमी 50.06 से 72.37 प्रतिशत के मध्य (मार्च 2016) थी जिसका विवरण सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5: उपकरणों (गैर चिकित्सकीय) की कमी का विवरण

चिकित्सा संस्थान का नाम	(गैर चिकित्सकीय) विभागों की संख्या	एम०सी०आई० मानकों के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम मात्रा	उपलब्ध मात्रा	कमी	कमी का प्रतिशत
एल०एल०आर० एम० मेरठ	08	6,037	2,240	3,797	62.90
बी०आर०डी०, गोरखपुर	08	4,477	1,955	2,522	56.33
एम०एल०बी०, झाँसी	08	4,477	2,236	2,241	50.06
के०जी०एम०य० लखनऊ	07	7,310	2,020	5,290	72.37
योग	31	22,301	8,451	13,850	62.10

(चोत: सम्बन्धित सरकारी मेडिकल कालेजों द्वारा प्रस्तुत सूचना)

नमूना–जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों में (गैर चिकित्सकीय) उपकरणों की कमी का विभागवार विवरण **परिशिष्ट 3.3.2** में दिया गया है।

उपरोक्त प्रस्तर 3.3.3.1 में यथार्चित निधियों के उपलब्ध होने के बावजूद चिकित्सकीय उपकरणों की क्रय प्रक्रिया राजकीय मेडिकल कालेजों द्वारा आरम्भ नहीं की गयी थी। शिक्षण उपकरणों की अत्यधिक कमी ने न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किया अपितु एम०सी०आई० द्वारा कुछ विभागों/राजकीय मेडिकल कालेजों में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता रद्द करने की स्थिति उत्पन्न की।

शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया गया एवं कमियों को दूर किये जाने हेतु उचित कार्यवाही किये जाने का अश्वासन दिया गया।

संस्कृति: शिक्षण चिकित्सालयों में उपकरणों का समय से क्रय एवं उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु उपकरणों की क्रय पद्धति को सरल एवं कारगर बनाये जाने तथा सूक्ष्म अनुश्रवण किये जाने की आवश्यकता है।

3.3.3.3 निष्क्रिय चिकित्सकीय उपकरण

ऊपर इंगित किये गये उपकरणों की कमी के अतिरिक्त लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि चार राजकीय मेडिकल कालेजों में से दो में क्रय किये गये उपकरणों को प्रयोग में नहीं लाया गया था जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

एम०एल०बी० मेडिकल कालेज, झाँसी

कैंसर रोगियों को पर्याप्त चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने हेतु सितम्बर, 2006 में ₹ 1.76 करोड़ में क्रय की गयी एकमात्र कोबाल्ट टेलिथिरेपी एवं ब्रेकीथेरेपी यूनिट मेडिकल फिजीसिस्ट एवं रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2009 से बन्द पड़ी थी। लेखापरीक्षा द्वारा जून, 2016 में भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि कोबाल्ट टेलिथिरेपी एवं ब्रेकीथेरेपी यूनिट अक्रियाशील थी एवं विभाग के एक कक्ष में ताले में बन्द पायी गयी।

बायोकेमिस्ट्री विभाग हेतु बायोकेमिकल एनेलाईजर जून, 2011 में ₹ 22.99 लाख में क्रय किया गया था। परन्तु यह उपकरण मार्च 2013 से अक्रियाशील था। एम०एल०बी०, झाँसी के विभागाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उपकरण के उचित संचालन हेतु एयर कन्डीशनर एवं डिस्टिल्ड वाटर संयंत्र आवश्यक था, जो उपलब्ध नहीं था।

कै०जी०एम०यू०, लखनऊ

कार्डियोथेरेसिक एवं वैस्क्यूलर सर्जरी विभाग के लिए एक लेफ्ट वेन्ट्रीक्यूलर एसीस्ट डिवाईस (एल०बी०ए०डी०) नवम्बर, 2014 में ₹ 93.80 लाख में क्रय किया गया था। इस उपकरण का प्रयोग रोगियों में हृदय प्रत्यारोपण हेतु किया जाता है। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि उक्त उपकरण का क्रय मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत हृदय/फेफड़ों के प्रत्यारोपण हेतु अनुमति प्राप्त किये बिना किया गया था। प्रत्यारोपण हेतु आवश्यक अनुमति विलम्ब से जून, 2016 में प्राप्त की गयी थी। तथापि, उपकरण को संचालित किये जाने हेतु कै०जी०एम०यू० द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा अगस्त, 2016 में भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि उक्त उपकरण क्रय किये जाने के लगभग दो वर्ष पश्चात भी स्थापित नहीं किया गया था एवं नीचे चित्र के अनुसार विभाग में पैकेट के अन्दर बन्द पड़ा था।



कै०जी०एम०यू० लखनऊ के सी० टी० वी०एस० विभाग में पैकेट में बन्द पाए गये एल०बी०ए०डी० उपकरण

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कार्डियोथेरेसिक एवं वैस्क्यूलर सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि नेफरोलॉजिस्ट के उपलब्ध न होने के कारण उक्त उपकरण को प्रयोग में नहीं लाया जा सका।

अतः आवश्यक अवसंरचना, सहायक उपकरण, योग्य स्टाफ आदि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना उपकरणों को क्रय किया गया था एवं उपकरणों के क्रय का

प्रयोजन पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि क्रय की अवधि से ही विभाग द्वारा हृदय प्रत्यारोपण सम्बन्धी कोई शल्य चिकित्सा सम्पादित नहीं की गयी थी। अग्रेतर निवेश किये गये ₹ 2.93 करोड़ भी वृहद रूप में अलाभकारी रहे।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रकरण की जाँच किये जाने का अश्वासन दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपकरण क्रय के पूर्व के 0जी0एम0यू० नेफरोलॉजिस्ट की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में असफल रहा।

3.3.3.4 चिकित्सकीय उपकरणों का रख—रखाव

किसी उपकरण के सुचारु संचालन को सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से उपकरण का यथानिर्धारित रख—रखाव किया जाना चाहिए। अतः उपकरण की वारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात उसके वार्षिक मरम्मत अनुबंध (ए०एम०सी०) हेतु प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि एम०एल०बी०, झांसी के 15 विभागों में स्थापित 212 उपकरणों में से 76 उपकरण जिनकी लागत ₹ 2.74 करोड़ थी, ए०एम०सी० के अभाव में क्रियाशील नहीं थे। इसी प्रकार बी०आर०डी०, गोरखपुर में उपकरण जैसे कॉलपोस्कोप (इसका प्रयोग सर्विक्स कैंसर के प्रकरणों के स्क्रीनिंग में किया जाता है), एन०डी०—वाई०ए०जी० लेजर (इसका प्रयोग इनट्राएपीथीलियल लेसियन चिकित्सा में किया जाता है), एन०एस०टी० मशीन (इसका प्रयोग प्रसव के दौरान गर्भावस्था की मॉनीटरिंग में किया जाता है) एवं यू०एस०जी० मशीन (इसका प्रयोग प्रीनेटल एवं गायनोकोलोजीकल डायग्नोसिस में किया जाता है) ए०एम०सी० के अभाव में पांच वर्षों से अधिक समय से क्रियाशील नहीं थे। के०जी०ए०यू०, लखनऊ में बायोकेमिकल एवं हारमोनल जाँचें किये जाने हेतु 2008–09 में ₹ 48.00 लाख की कुल लागत पर क्रय किये गये एवं मेडिसिन विभाग के इनडोक्राईनोलॉजी यूनिट में स्थापित किये गये दो⁴ उपकरण ए०एम०सी० के अभाव में क्रियाशील नहीं थे।

इस प्रकार, राजकीय मेडिकल कालेज सर्विक्स कैंसर, गर्भावस्था की मॉनीटरिंग, प्रीनेटल डायग्नोसिस, बायोकेमिकल एवं हारमोनल जाँचें इत्यादि करने में सक्षम नहीं थे।

अग्रेतर पाया गया कि बी०आर०डी०, गोरखपुर के 11 विभागों में स्थापित 218 उपकरण (21.5 प्रतिशत) एवं एम०एल०बी०, झांसी के 10 विभागों में स्थापित 94 उपकरण (9.86 प्रतिशत) की ए०एम०सी० नहीं की गयी थी। ए०एम०सी० हेतु इन कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से अक्टूबर 2015 में ₹ 1.05 करोड़ एवं मई 2016 में ₹ 1.01 करोड़ का धनावंटन किये जाने का अनुरोध किया था। परन्तु अगस्त 2016 तक इन राजकीय मेडिकल कालेजों को निधियों का कोई आवंटन नहीं किया गया था।

शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि उपकरणों के रख—रखाव हेतु बजट में प्रावधान किये जायेंगे।

3.3.3.5 चिकित्सकीय उपकरणों का क्रय

मैग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिंग

मैग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिंग (एम०आर०आई०) शारीरिक संरचना एवं शारीरिक क्रियाओं सम्बन्धी प्रक्रियाओं का प्रतिबिम्ब तैयार करने के लिए रेडियोलॉजी में प्रयोग की जाने

⁴ रोशी कोबस इनटीग्रा 400प्लस, रोशी इलेक्सिस 2010

वाली एक चिकित्सा प्रतिबिम्ब तकनीक है। एम0आर0आई0 स्कैनर शरीर के प्रतिबिम्बों को बनाने के लिए शाकितशाली चुम्बकीय क्षेत्रों, रेडियो तरंगों एवं क्षेत्र अवयवों का प्रयोग करते हैं।

शासन ने बी0आर0डी0, गोरखपुर के लिए एम0आर0आई0 मशीन के क्रय हेतु ₹ 8.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान (जुलाई, 2013) किया था एवं आदेश सितम्बर, 2014 में दिया गया तथा आपूर्ति मई, 2015 में प्राप्त की गयी थी।

क्रय अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित अनियमिततायें उजागर हुयी:

क्रयादेश का बृहत मूल्य होने के बावजूद बी0आर0डी0, गोरखपुर द्वारा नियमानुसार⁵ निविदाओं के जमा किये जाने हेतु न्यूनतम एक माह प्रदान किये जाने की आवश्यकता के सापेक्ष निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) जारी होने के बाद निविदाओं को जमा किये जाने के लिए केवल 15 दिन की अनुमति दी गयी।

दो असफल प्रयासों के बाद, तीसरी बार जनवरी, 2014 में एन0आई0टी0 जारी की गयी तथा क्रय समिति द्वारा फरवरी, 2014 में तकनीकी निविदायें खोली गयी। प्राप्त तीन निविदाओं के सापेक्ष दो फर्मों की तनकीकी निविदायें अर्ह थीं। क्रय समिति द्वारा दो फर्मों की वित्तीय निविदायें मार्च, 2014 में खोली गयी तथा ₹ 11.75 करोड़ के न्यूनतम निविदा की छंटनी की गई। धन की कमी को ध्यान में रखते हुए क्रय समिति के सदस्यों ने न्यूनतम निविदादाता के साथ सन्धि वार्ता⁶ किया जो आवश्यक सहायक उपकरण एवं टर्न की मूल्य (समस्त करों एवं चुंगी सहित) के साथ ₹ 8.00 करोड़ की लागत पर एम0आर0आई0 यूनिट प्रदान करने के लिए सहमत हुआ। तथापि, वारण्टी अवधि को पाँच से कम करके दो वर्ष कर दिया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित (अगस्त, 2014) किया गया कि वारण्टी अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि शासन की स्वीकृति का उल्लंघन करते हुए बी0आर0डी0, गोरखपुर ने केवल 2 वर्ष की वारण्टी अवधि के साथ ₹ 8.00 करोड़ की लागत पर एम0आर0आई0 यूनिट के क्रय हेतु आदेश जारी कर दिया (सितम्बर, 2014)। मशीन मई, 2015 में आपूर्ति की गई। इस प्रकार बी0आर0डी0, गोरखपुर ने वारण्टी पाँच वर्ष से घटाकर दो वर्ष करके आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया। यदि ए0एम0सी0 की लागत ₹ 32.00 लाख प्रति वर्ष आधारस्वरूप ली जाती है, तब तीन वर्ष की वारण्टी अवधि जो कम कर दी गयी थी, की लागत होने के कारण अनुचित लाभ की धनराशि ₹ 96.00 लाख होगी।

आयातित मदों के प्रकरण में आपूर्ति हेतु निर्धारित समय क्रयादेश जारी होने की तिथि से 90 दिन था जिसमें असफल होने पर 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह अधिकतम एफ0ओ0बी0 मूल्य का 5 प्रतिशत अर्थदण्ड लगाया जाना था। तथापि, एम0आर0आई0 यूनिट की आपूर्ति में 5 माह से अधिक के विलम्ब के बावजूद बी0आर0डी0, गोरखपुर द्वारा कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया, परिणामस्वरूप विक्रेता को परिनिर्धारित हानियों (लिकिवडेटेड डैमेजेज) का ₹ 40.00 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

निविदादाता को ठेका प्रदान करके निविदा अभिलेख के विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन किया गया उदाहरणार्थ (i) निविदा अभिलेख में प्रावधानित था कि उद्धृत की गयी कीमतों में बिक्री कर, वैट, प्रवेशकर, उत्पाद एवं सीमाकर तथा समस्त अन्य प्रभार एवं शासकीय कर अवश्य सम्मिलित होने चाहिए। तथापि निविदादाता ने अपनी वित्तीय

⁵ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 का प्रस्तर-360(2)

⁶ वार्ता की बैठक 14 मार्च, 2014 को हुयी

निविदा में करों एवं चुंगियों को छोड़कर दरें उद्धृत किया था; (ii) निविदा अभिलेख में तीन वर्षों के लिए मानवशक्ति उपलब्ध कराने, रिपोर्टिंग एवं अनुरक्षण कार्य का प्रावधान किया गया था तथापि निविदादाता ने अपनी निविदा में मानवशक्ति तथा रिपोर्टिंग इत्यादि के उत्तरदायित्व को लेने से मना कर दिया।

कम्पनी ने अपनी निविदा में मैग्नेटम, माडल–एरा 1.5 टी एम०आर०आई० यूनिट की आपूर्ति हेतु उद्धृत किया था, तथापि, स्थापित एम०आर०आई० यूनिट के भौतिक सत्यापन (मई, 2016) के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि यूनिट में माडल का नाम मुद्रित नहीं था यद्यपि एन०आई०टी० के सापेक्ष प्रस्तुत की गयी विवरणी में यूनिट में मुद्रित माडल का नाम स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था।

यद्यपि मशीन सितम्बर, 2015 में स्थापित की गयी थी, परन्तु मई, 2016 तक बी०आर०डी०, गोरखपुर के रेडियो डायग्नोसिस विभाग द्वारा उसका अधिग्रहण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, बी०आर०डी०, गोरखपुर द्वारा बताया गया कि एम०आर०आई० यूनिट के विशिष्टियों की आपूर्तिकर्ता से पुष्टि की जायेगी तथा लेखापरीक्षा को अलग से सूचित किया जायेगा। बी०आर०डी०, ने स्वीकार किया कि उनके पास एम०आर०आई० यूनिट के संचालन हेतु आवश्यक स्टाफ नहीं उपलब्ध था।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रधानाचार्य बी.आर.डी., गोरखपुर को अग्रेत्तर तथ्यों को शासन के संज्ञान में लाने हेतु निर्देशित किया।

कोबाल्ट–60 यूनिट

कोबाल्ट–60 यूनिट का उपयोग कैंसर के रोगियों को विकिरण थेरेपी देने के लिए किया जाता है। शासन ने बी०आर०डी०, गोरखपुर में कोबाल्ट–60 यूनिट की स्थापना हेतु ₹ 3.50 करोड़ की स्वीकृति (अक्टूबर, 2014) प्रदान की थी। नवम्बर, 2014 और दिसम्बर, 2014 में निर्गत प्रथम और द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना (एन०आई०टी०), तीन से कम निविदायें प्राप्त होने के कारण निरस्त कर दिये गये थे। तीसरी एन०आई०टी० जनवरी, 2015 में प्रकाशित की गयी थी जिसकी तकनीकी निविदा 3 फरवरी, 2015 को खोला जाना था। तथापि, दो फर्मों के अनुरोध पर निविदा खोलने की तारीख को 10 फरवरी, 2015 तक बढ़ा दिया गया था।

यह देखा गया कि तीसरी एन०आई०टी० के सापेक्ष केवल दो निविदायें प्राप्त हुई थीं और दोनों फर्मों की तकनीकी विशिष्टियां योग्य पाई गई थीं। वित्तीय निविदाओं को (फरवरी, 2015) खोला गया और ₹ 4.34 करोड़ की दर (पांच साल की वारंटी, कर एवं चुंगी, टर्न–की मूल्य और बृहत रख–रखाव अनुबन्ध (सी०एम०सी०) की लागत सम्मिलित करते हुए) न्यूनतम पायी गयी थी। चूंकि कोबाल्ट यूनिट के क्रय हेतु निधियों की उपलब्धता केवल ₹ 3.50 करोड़ थी अतः क्रय समिति द्वारा फर्म से सन्धिवार्ता (मार्च 2015) की गई तथा कोबाल्ट–60 यूनिट की लागत ₹ 3.50 करोड़ पर सहमति बनी जिसमें सी०एम०सी० मूल्य सम्मिलित नहीं था परन्तु वारंटी, कर एवं घटी टर्न–की सम्मिलित थी। सी०एम०सी० की लागत ₹ 61.50 लाख निकाल दी गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा क्रय प्रक्रिया में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईं:

एन0आई0टी0 में एक तकनीकी आवश्यकता का प्रावधान किया गया था कि विक्रेता ने उसी मॉडल की 10 यूनिटों की भारत में आपूर्ति की हो। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह आवश्यक शर्त पी0एम0टी0पी0एल0 द्वारा पूरी नहीं की गयी थी, क्योंकि उसने मात्र 6 यूनिट की ही भारत में आपूर्ति की थी। इसके बावजूद पी0एम0टी0पी0एल0 को तकनीकी रूप से अर्ह घोषित किया गया और उसकी वित्तीय निविदा को खोला गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि तकनीकी विशिष्टियों का विवरण नवम्बर 2014 में प्रथम एन0आई0टी0 के जारी होने के पहले ही पी0एम0टी0पी0एल0 के साथ साझा किया गया था। यह तथ्य फर्म के उस पत्र (अक्टूबर, 2014) से स्पष्ट हुआ जिसमें फर्म ने कोबाल्ट-60 यूनिट की विभिन्न तकनीकी विशिष्टियों में संशोधन का सुझाव दिया था। कालेज ने तदनुसार, पी0एम0टी0पी0एल0 द्वारा आपूर्ति के लिए प्रस्तावित की गयी कोबाल्ट-60 यूनिट की विशिष्टियों से मेल खाने के लिए तकनीकी अर्हताओं को संशोधित कर दिया। बी0आर0डी0, गोरखपुर की ओर से यह अत्यधिक अनियमित था कि उसने एन0आई0टी0 जारी करने के पूर्व ही तकनीकी विशिष्टियों को एक विशिष्ट विक्रेता के साथ साझा किया तथा केवल एक विक्रेता के सुझावों के अनुसार विशिष्टियों को निर्धारित किया।

फर्म द्वारा टर्नकी कार्य के क्षेत्र को भी संशोधित प्रस्ताव में कम कर दिया गया जिसमें केवल आधारभूत कक्ष सुधार, विद्युतीकरण एवं कोबाल्ट कक्ष के वातानुकूलन को सम्मिलित किया गया। टर्नकी कार्य के क्षेत्र में कमी के कारण सम्बन्ध वार्ता के पश्चात प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव में टर्नकी लागत संशोधित करके ₹ 23.5 लाख से ₹ 11.79 लाख कर दी गई थी। चूँकि सम्मिलित न की गई सी0एम0सी0 की लागत ₹ 61.50 लाख थी अतः टर्नकी प्रोजेक्ट के क्षेत्र में कमी को स्वीकार करना क्रय समिति की ओर से अनुचित था क्योंकि ₹ 3.50 करोड़ की लागत में पूर्ण टर्नकी लागत सम्मिलित थी।

आपूर्ति आदेश जारी करने के पूर्व परमाणु उर्जा नियामक आयोग से अनुमति नहीं ली गई थी जो विद्यमान मानकों के विपरीत था।

आपूर्ति आदेश (जून, 2015) में जारी किया गया था तथा उपकरण दिसम्बर, 2015 में प्राप्त किया गया था परन्तु टर्नकी कार्य अभी भी पूर्ण न होने से मई, 2016 तक उपकरण स्थापित नहीं किया जा सका था।

वेन्टीलेटरों की आपूर्ति पर अतिरिक्त व्यय

के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा वेन्टीलेटरों के क्रय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ट्रामा सेन्टर, न्यू आई. सी. यू. के लिए 15 वेन्टीलेटर ₹ 24.42 लाख प्रत्येक की दर से ₹ 3.66 करोड़ में क्रय किये गये थे। तथापि, के0जी0एम0यू0 ने दरों की विशुद्धता को सुनिश्चित किये बिना वेन्टीलेटर क्रय किया था (अगस्त, 2015) जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि उसी उपकरण की एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ को उसी फर्म द्वारा ₹ 18.36 लाख प्रति वेन्टीलेटर की दर से आपूर्ति की गयी थी (मार्च, 2015)। इस प्रकार, समुचित तत्परता के अभाव एवं दर विश्लेषण की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा 15 वेन्टीलेटरों के क्रय में ₹ 90.90 लाख⁷ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

⁷ ₹ 24.42-₹ 18.36 x 15 = ₹ 90.90 लाख

शासन द्वारा प्रकरण पर विशिष्ट उत्तर शीघ्र ही लेखापरीक्षा के दिये जाने का आश्वासन दिया गया।

3.3.3.6 निविदा की क्रियाविधि

लेखा परीक्षा में देखा गया कि के0जी0एम0यू0, लखनऊ में वित्तीय हस्त पुस्तिका में प्रावधानित उपकरणों की आपूर्ति एवं निविदा की सही क्रियाविधि का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु निविदा अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि:

के0जी0एम0यू0. के विभिन्न विभागों हेतु उपकरणों के क्रय हेतु प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) दिसम्बर 2014 में जारी की गयी थी। चूंकि निविदाओं की न्यूनतम वांछित संख्या नहीं प्राप्त हुई, अतः दूसरी एवं तीसरी एन0आई0टी0 क्रमशः जनवरी एवं फरवरी 2015 में जारी की गयी थी। तथापि, न्यूनतम एक माह की निर्धारित अवधि के सापेक्ष दूसरी एवं तीसरी एन0आई0टी0 में निविदाओं को जमा किये जाने हेतु दिये गये दिनों की संख्या घटाकर क्रमशः 16 एवं 9 दिन कर दी गयी थी।

दूसरी एवं तीसरी एन0आई0टी0 जारी किये जाने के पूर्व, के.जी.एम.यू ने पहले वाली एन0आई0टी0 को निरस्त नहीं किया तथा उसके बजाय समस्त निविदाओं, जो पहली, दूसरी एवं तीसरी एन0आई0टी0 के दौरान प्राप्त हुई थीं, को उपकरणों के क्रय का अन्तिमीकरण करने के पूर्व, पर विचार किया गया था।

दूसरी एवं तीसरी एन0आई0टी0 में प्रावधान किया गया था कि जिन फर्मों ने प्रथम अथवा द्वितीय एन0आई0टी0 के क्रम में अपनी निविदा पहले ही दिया हो, को पुनः आवेदन नहीं करना है।

यह भी देखा गया कि के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा समान प्रक्रिया गत वर्षों में भी अपनायी गयी थी जो निर्धारित वित्तीय नियमों तथा निविदा क्रियाविधि के अनुरूप नहीं थी।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया तथा के0जी0एम0यू0 को आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया गया।

संस्तुति: उपकरणों के क्रय में निर्धारित वित्तीय नियमों एवं निविदा प्रक्रिया का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए।

3.3.4 निष्कर्ष

यद्यपि शासन द्वारा पर्याप्त निधियों का प्रावधान किया गया था, परन्तु राजकीय मेडिकल कालेजों ने चिकित्सकीय एवं शिक्षण उपकरणों का क्रय नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उपकरणों का अभाव था।

राजकीय मेडिकल कालेज कैंसर/हृदय रोगियों को पर्याप्त चिकित्सा प्रदान करने में असफल रहे क्योंकि उपकरण जैसे कोबाल्ट टेलिथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी यूनिट, लेपट वेन्ट्रीक्यूलर एसीस्ट डिवाईस इत्यादि चिकित्सकों/तकनीकी कर्मचारियों/अवसंरचना के अभाव के कारण चिकित्सालयों में क्रियाशील नहीं थे। राजकीय मेडिकल कालेजों ने उपकरणों हेतु वार्षिक अनुरक्षण संविदा निष्पादित नहीं की थी। परिणामस्वरूप मशीनें

क्रियाशील नहीं थीं एवं सर्विक्स कैंसर, गर्भावस्था मॉनीटरिंग, प्रीनेटल डायगोनसिस, बायोकेमिकल एवं हारमोनल जाँचें आदि किये नहीं जा सके।

राजकीय मेडिकल कालेजों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं का अनुचित पक्षपात करते हुए उपकरणों का अधिक दर पर क्रय करके सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

राजकीय मेडिकल कालेजों का वित्तीय प्रबन्धन पर्याप्त नहीं था क्योंकि पी0एल0ए0 में लम्बी अवधि तक निधियों का अवरोधन, निधियों के व्यावर्तन आदि के प्रकरण थे। इससे न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ अपितु रोगियों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल से भी वंचित रखा गया क्योंकि आवश्यक उपकरणों का समय से क्रय नहीं किया गया था।

कृषि विभाग

3.4 स्वतंत्र फीडर लाइन के निर्माण में विलम्ब

राजकीय कृषि प्रक्षेत्र में नलकूपों को संचालित करने हेतु स्वतंत्र फीडर लाइन निर्माण की परियोजना का कार्य नौ वर्ष के विलम्ब के उपरान्त और परियोजना लागत का शत प्रतिशत भुगतान किये जाने के बावजूद भी अपूर्ण रहना। 591.91 हेक्टेयर भूमि पर बीज उत्पादन नहीं होने के कारण विभाग को ₹ 1.12 करोड़ की हानि एवं फीडर लाइन के निर्माण पर व्यय ₹ 1.60 करोड़ का अलाभकारी रहना।

वित्तीय नियम¹ के अनुसार कार्य हेतु अनुबन्ध, जिन्हें निरपवाद रूप में लिखित में होना चाहिये और कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि एवं किये जाने वाले कार्यों की मात्रा का उल्लेख होना चाहिये। नियमों² के अनुसार जिन प्रकरणों में औपचारिक लिखित संविदा नहीं की गयी हो, ₹ 500 के मूल्य तक के लघु क्रय के अतिरिक्त, कोई भी आपूर्ति आदेश इत्यादि, कम से कम दर हेतु लिखित अनुबन्ध के बिना नहीं दिया जाना चाहिये।

‘राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन बढ़ाने की योजना वर्ष 2006–07’ के अन्तर्गत राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिगत प्रक्षेत्र में स्थापित 40 नलकूपों को संचालित करने एवं प्रक्षेत्र की 1,448.48 हेक्टेयर ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु संडीला उपकेन्द्र से राजकीय ऊसर सुधार प्रक्षेत्र, ढकौनी, हरदोई (प्रक्षेत्र) तक 11 के0वी0ए0 स्वतंत्र फीडर लाइन की स्थापना हेतु शासन द्वारा ₹ 1.12 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति (दिसम्बर 2006) प्रदान की गयी। शासन की स्वीकृति में कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गयी थी।

प्रक्षेत्र अधीक्षक, राजकीय ऊसर सुधार प्रक्षेत्र, मोहम्मदपुर, हरदोई (प्रक्षेत्र अधीक्षक) (जुलाई 2014) एवं वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (मार्च–अप्रैल 2015) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 11 के0वी0ए0 स्वतंत्र फीडर लाइन की स्थापना हेतु कृषि विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पावर कार्पोरेशन) के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, हरदोई, को अनुबन्ध या समझौता ज्ञाप गठित किये बिना, पूर्ण लागत ₹ 1.12 करोड़ का अग्रिम भुगतान³ कर दिया गया था (जनवरी 2007)। कार्यादेश के अनुसार कार्य को वर्ष 2006–07 में पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया (मई 2016) कि कार्य पूर्ण करने की निर्धारित मूल तिथि से नौ वर्ष व्यतीत होने और पावर कार्पोरेशन को अग्रिम में पूर्ण भुगतान किये जाने के बावजूद भी 11 के0वी0ए0 स्वतंत्र फीडर लाइन के निर्माण का कार्य अपूर्ण था। यह पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा मात्र खंभे लगाये गये थे एवं मूल परियोजना के 88 प्रतिशत लागत की कार्य मद्द मई 2016 तक निष्पादित किया जाना शेष थीं। कृषि विभाग पावर कार्पोरेशन के विरुद्ध परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति आरोपित करने की कोई कार्यवाही करने में असफल था क्योंकि उसके द्वारा पावर कार्पोरेशन को उत्तरदायी बनाने हेतु कोई लिखित अनुबन्ध अथवा समझौता ज्ञाप नहीं किया गया था।

¹ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI, प्रस्तर 351

² वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V, परिशिष्ट XIX(4)

³ बैंक ड्राफ्ट संख्या 127412 दिनांक 17.01.2007

अग्रेतर, अधिशासी अभियन्ता की माँग पर कृषि विभाग द्वारा मूल स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 1.12 करोड़ के अलावा अतिरिक्त कार्य मदों हेतु ₹ 48.19 लाख का अतिरिक्त भुगतान⁴ अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2011 के दौरान किया गया। ये अतिरिक्त कार्य की मदं भी मई 2016 तक अपूर्ण थीं।

11 के 0वी0ए० स्वतंत्र फीडर लाइन का कार्य पूर्ण करने में विलम्ब के फलस्वरूप सिंचाई हेतु नलकूपों के संचालन हेतु विद्युत की अनुपलब्धता के कारण विभाग 591.91 हेक्टेयर भूमि (1,448.48 हेक्टेयर के सापेक्ष) पर बीज उत्पादन करने में असमर्थ था। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रक्षेत्र अधीक्षक द्वारा उत्तर (मई 2016) में बताया गया कि अनुस्मारक प्रेषित किये जाने के बावजूद पावर कार्पोरेशन द्वारा स्वतंत्र फीडर लाइन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। प्रक्षेत्र अधीक्षक का उत्तर मात्र नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा न तो कोई समझौता ज्ञाप हस्ताक्षरित किया गया था और न ही भुगतान प्रक्रिया को कार्य की प्रगति से सम्बद्ध किया गया था, साथ ही कार्य पूर्ण करने के लिए जोर दिये बिना अतिरिक्त भुगतान किया गया था। विभाग द्वारा प्रकरण की जाँच भी नहीं करायी गयी थी। लेखापरीक्षा पृच्छा के उत्तर में प्रक्षेत्र अधीक्षक ने बताया कि 591.91 हेक्टेयर भूमि में बीज उत्पादन नहीं होने के कारण विभाग को ₹ 12.40 लाख प्रतिवर्ष हानि हो रही है।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2016)। शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2016) कि प्रकरण की विस्तृत जाँच करने के पश्चात् आख्या प्रेषित कर दी जायेगी।

तथ्य यथावत रहा कि कृषि विभाग के स्तर पर खामियाँ होने के कारण स्वतंत्र फीडर लाइन के निर्माण की परियोजना नौ वर्ष के विलम्ब के उपरान्त एवं परियोजना लागत का शत प्रतिशत भुगतान किये जाने के बावजूद भी अपूर्ण थी। अग्रेतर, 591.91 हेक्टेयर भूमि में बीज उत्पादन नहीं होने के कारण कृषि विभाग को ₹ 1.12 करोड़⁵ की हानि हुई एवं जिसके फलस्वरूप फीडर लाइन के निर्माण पर व्यय ₹ 1.60 करोड़ अलाभकारी रहा। उत्तरदायित्व का निर्धारण किये जाने हेतु प्रकरण की जाँच किये जाने की आवश्यकता है।

3.5 यमुना एक्सप्रेस—वे प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरित भूमि पर कब्जा नहीं किये जाने के कारण बीज उत्पादन की हानि

यमुना एक्सप्रेस—वे प्राधिकरण को प्रदान की गयी भूमि के बदले कृषि विभाग द्वारा वैकल्पिक भूमि पर कब्जा प्राप्त करने में विफल रहने के कारण शासन को बीज उत्पादन पर ₹ 1.22 करोड़ की हानि।

यमुना एक्सप्रेस—वे के निर्माण हेतु शासन द्वारा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र राया⁶ मथुरा की 8.882 हेक्टेयर भूमि यमुना एक्सप्रेस—वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) को हस्तान्तरित करने की अनुमति जुलाई 2009 में प्रदान की गई। अग्रेतर, शासन द्वारा निर्णय (सितम्बर 2009) लिया गया कि यमुना एक्सप्रेस—वे प्राधिकरण को हस्तान्तरित भूमि के बदले वैकल्पिक भूमि का चयन संयुक्त दल⁷ द्वारा करके कृषि विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

⁴ रसीद संख्या 01/025083 दिनांक 25.4.2007: ₹ 19.11 लाख, चेक संख्या 345889 दिनांक 21.10.2009: ₹ 18.14 लाख, चेक संख्या 602135 दिनांक 13.12.2011: ₹ 10.94 लाख।

⁵ दर ₹ 12.40 लाख प्रतिवर्ष

⁶ तहसील मांट ग्राम दीवाना, सूरज, तहसील महावन ग्राम ढकू।

⁷ समिति के सदस्य जिला कृषि अधिकारी, सम्बंधित अपर जिलाधिकारी, प्राधिकरण के प्रतिनिधि एवं कंशेसनायर।

उप कृषि निदेशक (शोध), संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र, मथुरा (उप कृषि निदेशक) के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2015 एवं जून 2016) में देखा गया कि कृषि विभाग द्वारा कृषि प्रक्षेत्र राया की 8.882 हेक्टेयर भूमि⁸ (21.947 एकड़) प्राधिकरण को हस्तांतरित की गयी (सितम्बर 2009)। वर्ष 2008 के सर्किल दर⁹ के अनुसार भूमि का मूल्य ₹ 1.62 करोड़¹⁰ था जो कि पुनरीक्षित सर्किल दर (सितम्बर 2015) के अनुसार ₹ 10.87 करोड़¹¹ हो गया था। अधिगृहीत की गई भूमि के बदले प्राधिकरण द्वारा कृषि विभाग को 8.882 हेक्टेयर¹² वैकल्पिक भूमि कब्जा अधिकार पत्र के माध्यम से स्थानान्तरित की गयी जिस पर संयुक्त रूप से कृषि विभाग एवं प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरित वैकल्पिक भूमि पर पाँच वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी कृषि विभाग द्वारा कब्जा प्राप्त करने एवं राजस्व अभिलेख में भूमि को अपने नाम अंकित कराने हेतु कोई प्रयास प्रारम्भ नहीं किया गया था। प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरित वैकल्पिक 8.882 हेक्टेयर भूमि पर कृषि विभाग द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किये जाने के कारण प्रक्षेत्र में ₹ 1.22 करोड़¹³ मूल्य के बीज का उत्पादन नहीं हो सका जिसके फलस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर उप कृषि निदेशक ने बताया (जून 2016) कि कब्जा अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर (जून 2010) तत्कालीन अधिकारियों को गुमराह करके कराया गया था तथा भूमि आज भी राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण के नाम अंकित है। यद्यपि, भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जा रहा था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कृषि विभाग, प्राधिकरण को 6 वर्ष पूर्व प्रदान की गई भूमि के बदले प्राधिकरण से भूमि पर कब्जा प्राप्त करने की प्रभावी कार्यवाही करने में विफल रहा था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2016)। शासन द्वारा उत्तर दिया गया (जनवरी 2017) कि प्रकरण की विस्तृत जाँच के उपरान्त आख्या प्रेषित की जायेगी।

अतः प्राधिकरण को प्रदान की गई भूमि के बदले में प्राप्त भूमि (₹ 1.62 करोड़) पर भौतिक कब्जा प्राप्त करने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 1.22 करोड़ मूल्य के बीज का उत्पादन नहीं हो सका था।

पिछ़ा वर्ग कल्याण विभाग

3.6 अन्य पिछ़ा वर्ग बालिका छात्रावास के निर्माण में निष्फल व्यय

अन्य पिछ़ा वर्ग की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास के चार से छः वर्ष से अधिक अनुपयोगी पढ़े रहने के कारण उस पर किया गया व्यय ₹ 1.16 करोड़ निष्फल रहा।

भारत सरकार द्वारा अन्य पिछ़ा वर्ग की छात्राओं को समुचित छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जहां अन्य पिछ़ा वर्ग की जनसंख्या

⁸ जनपद मथुरा तहसील मांट ग्राम दीवाना 5.5513 हेक्टेयर (13.717 एकड़), सूरज 1.909 हेक्टेयर (2.943 एकड़), ग्राम ढकू 2.1398 हेक्टेयर (5.287 एकड़), एक एकड़ = 0.4047 हेक्टेयर।

⁹ ग्राम दीवाना ₹ 8 लाख, ग्राम सूरज ₹ 7 लाख, ग्राम ढकू ₹ 6 लाख प्रति एकड़।

¹⁰ 13.717 एकड़; ₹ 109.75 लाख, 2.943 एकड़; ₹ 20.60 लाख, 5.287 एकड़; ₹ 31.72 लाख।

¹¹ ग्राम दीवाना 5.5513 हेक्टेयर दर ₹ 120 लाख प्रति हेक्टेयर; ₹ 666.15 लाख, ग्राम सूरज 1.909 हेक्टेयर दर ₹ 120 लाख प्रति हेक्टेयर; ₹ 142.90 लाख, ग्राम ढकू 2.1398 हेक्टेयर दर ₹ 130 लाख प्रति हेक्टेयर; ₹ 278.17 लाख।

¹² ग्राम दीवाना खसरा संख्या 482 मी; 5.482 हेक्टेयर, खसरा संख्या 486; 1.664 हेक्टेयर, खसरा संख्या 487 अ० ब०; 1.736 हेक्टेयर (कुल 8.882 हेक्टेयर)।

¹³ वर्ष 2009–10 ₹ 19.11 लाख, वर्ष 2010–11 ₹ 19.31 लाख, वर्ष 2011–12 ₹ 18.28 लाख, वर्ष 2012–13 ₹ 18.38 लाख, वर्ष 2013–14 ₹ 20.65 लाख, वर्ष 2014–15 ₹ 26.76 लाख।

की बहुलता है किन्तु, वहाँ छात्रावास की समुचित व्यवस्था नहीं है, 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त छात्रावास निर्माण योजना (1998–99) प्रारम्भ की गयी।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, हरदोई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जनवरी 2014) एवं अग्रेतर एकत्र की गई सूचना (अप्रैल 2016) से यह प्रकाश में आया कि आवश्यकताओं के आकलन के उपरान्त राजकीय बालिका इन्टर कालेज, पिहानी, हरदोई के परिसर में एक 39 शैय्या वाले छात्रावास का प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई द्वारा बनाया गया था तथा इसे जिलाधिकारी, हरदोई के माध्यम से निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया (अप्रैल 2006)। शासन द्वारा छात्रावास निर्माण के प्रस्ताव हेतु ₹ 51.18 लाख के लागत की स्वीकृति प्रदान की तथा कंस्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज, जल निगम, उ0प्र0 को निर्माण संस्था के रूप में नामित किया गया (जनवरी 2009)। निर्माण कार्य अक्टूबर 2009 में पूर्ण हो गया था एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, हरदोई को फरवरी 2010 में हस्तगत किया गया किन्तु, हस्तगत किए जाने से अब तक छात्रावास भवन अनुपयोगी पड़ा है। तथापि, छात्रावास की क्षमता 39 शैय्या से 50 शैय्या में उच्चीकृत किए जाने हेतु शासन द्वारा अप्रैल 2011 में ₹ 9.21 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी तथा कार्य सितम्बर 2011 में पूर्ण हो गया। छात्रावास खाली पड़े होने के कारण जिलाधिकारी, हरदोई के आग्रह के उपरान्त निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा छात्रावास जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिये कस्तूरबा गांधी विद्यालय के संचालन हेतु हस्तगत किया गया (सितम्बर 2011) क्योंकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय भवन निर्माणाधीन था। यद्यपि, कस्तूरबा गांधी विद्यालय भवन पूर्ण होने, तथा उसके अपने भवन में हस्तांतरण होने के बाद भी पुनः छात्रावास सितम्बर 2016 तक खाली रहा।

इसी प्रकार, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी (अक्टूबर 2014) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राजकीय बालिका इन्टर कालेज, हैदरगढ़, बाराबंकी कालेज परिसर में एक 33 शैय्या वाले छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा बनाया गया और जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया। कार्य फरवरी 2010 में पूर्ण हो गया। अग्रेतर, छात्रावास की क्षमता बढ़ा कर 50 शैय्या करने के लिये शासन द्वारा फरवरी 2010 में ₹ 13.17 लाख अवमुक्त किया गया। कार्य मार्च 2011 में पूर्ण हो गया था तथा छात्रावास भवन जून 2011 में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी को हस्तगत किया गया। पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी के हस्तगत करने के पश्चात् से छात्रावास निष्प्रयोज्य पड़ा है। यद्यपि, छात्रावास को प्रयोग में लाने हेतु निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा अनेक पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज, हैदरगढ़, बाराबंकी को प्रेषित किये गए।

प्रकरण शासन को मई 2016 में संदर्भित किया गया। शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2016) कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, हरदोई एवं जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा छात्रावास को क्रियाशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि प्रधानाचार्य द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई को सूचित किया गया है (अगस्त 2016) कि अद्यतन स्थिति के अनुसार छात्रावास में कोई कर्मचारी नहीं है तथा मूलभूत सुविधाओं, यथा बिजली एवं पानी का अभाव है। अग्रेतर, बाराबंकी में स्थित छात्रावास के सम्बन्ध में शासन तथा प्रधानाचार्य दोनों ने उत्तर दिया कि

छात्रावास खाली है क्योंकि छात्राओं के निकटवर्ती गाँवों की होने के कारण छात्रायें छात्रावास में निवास करने की इच्छुक नहीं हैं।

इस प्रकार हरदोई एवं बाराबंकी में छात्रावासों के निर्माण पर आवश्यकताओं का उचित आकलन न करने के कारण ₹1.16 करोड़¹⁴ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि छात्रावास क्रमशः छह एवं चार वर्ष का समय व्यतीत होने पर भी रिक्त थे।

गृह विभाग

3.7 द्रौप कैरियर का अविवेकपूर्ण क्रय

होमगार्ड प्रशिक्षुओं के परिवहन हेतु बसों के स्थान पर द्रौप कैरियर के क्रय के विभाग के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹ 1.25 करोड़ का अलाभकारी व्यय।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 205 एवं 206 में प्रावधानित है कि शासकीय धन के व्यय में एक लोक सेवक द्वारा वही सजगता बरती जानी चाहिए जैसे कि एक सामान्य विवेक सम्मत व्यक्ति अपने निजी धन के व्यय में बरतता है। अग्रेतर, वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिये, जिससे कि आर्थिक पारदर्शिता परिलक्षित हो।

महानिदेशक होमगार्ड, लखनऊ के लेखा अभिलेखों की जाँच (जुलाई-2013 एवं जून-2016) तथा अग्रेतर एकत्रित सूचना में पाया गया कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना के पर्सपैकिट फ्लान (2007-12) के अन्तर्गत फायरिंग अभ्यास हेतु प्रशिक्षुओं को फायरिंग रेंज तक लाने ले जाने हेतु 10 बसों¹⁵ का प्राविधान किया गया था। फायरिंग अभ्यास हेतु प्रशिक्षुओं के परिवहन हेतु 13 बसों (प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र के लिये एक बस)¹⁶ के सापेक्ष भारत सरकार को 5 बसों लागत 60.00 लाख का एक संशोधित प्रस्ताव (जनवरी 2008) प्रेषित किया गया था क्योंकि विभाग के पास आठ बसें (45 सीट की क्षमता वाली 3 बसें एवं 32 सीट की क्षमता वाली 5 बसें) पहले से उपलब्ध थीं। भारत सरकार द्वारा योजना वर्ष 2007-08 में ₹ 60.00 लाख और वर्ष 2009-10 में ₹ 62.50 लाख क्रमशः मार्च 2008 एवं नवम्बर 2009 में अवमुक्त किया गया था जिसके सापेक्ष उप कमान्डेण्ट जनरल होमगार्ड द्वारा आठ द्रौप कैरियर हेतु मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को आपूर्ति आदेश¹⁷ (मार्च 2010) दिया गया। द्रौप कैरियरों को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को ₹ 109.27 लाख (मार्च 2010) और ₹ 2.73 लाख (जनवरी 2012) भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनवरी 2013 से मार्च 2016 तक द्रौप कैरियर का उपयोग¹⁸ शून्य से 421 किमी¹⁹ तक किया गया। यह इंगित करता है कि द्रौप कैरियर बिना उपयोग के बेकार पड़े हुये थे। यह भी देखा गया कि विभाग के द्वारा द्रौप कैरियर की उच्च संचालन लागत एवं अनुपयोगी होने के कारण अपने प्रस्ताव को इस आधार पर संशोधित (जून 2012) करते हुए मोटर साइकिल क्रय करने का प्रस्ताव किया गया था। विभाग की अनुंशसा पर स्टेट इम्पावर्ड कमेटी द्वारा योजना वर्ष 2008-09 में

¹⁴ ₹ 60.39 लाख हरदोई के छात्रावास हेतु + ₹ 55.18 लाख बाराबंकी के छात्रावास हेतु = ₹ 115.57 लाख, अथवा 1.16 करोड़।

¹⁵ प्रत्येक वर्ष दो बस प्रत्येक की लागत ₹ 12 लाख।

¹⁶ 12 जिला प्रशिक्षण केन्द्र और एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान।

¹⁷ योजना वर्ष 2007-08 के सापेक्ष चार द्रौप कैरियर के लिये लागत ₹ 54,63,664.00 और योजना वर्ष 2009-10 के सापेक्ष चार द्रौप कैरियर के लिये लागत ₹ 54,63,664.00 का अपूर्ति आदेश (मार्च 8, 2010)।

¹⁸ जिला प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद-शून्य किमी²⁰, आगरा-140 किमी²⁰; आजमगढ़-301 किमी²⁰; वाराणसी-421 किमी²⁰; और झांसी-300 किमी²⁰।

प्रस्तावित आठ ट्रूप कैरियर जिसके लिये भारत सरकार ने अगस्त–2009 में ₹ 89.60 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, के स्थान पर 140 मोटर साईकिलों क्रय करने की संस्तुति की गयी (जुलाई 2012) तदनुसार, विभाग द्वारा 140 मोटर साईकिलों को प्राप्त करने हेतु मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को ₹ 75.47 लाख का आपूर्ति आदेश (मार्च–2013) निर्गत किया गया।



पर 140 मोटर साईकिलों का क्रय यह इंगित करता है कि होमगार्ड प्रशिक्षुओं के परिवहन हेतु 8 ट्रूप कैरियर क्रय किये जाने का विभाग का निर्णय अनौचित्यपूर्ण एवं वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण था।

शासन को विषय संदर्भित किया गया (जून 2016)। शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (दिसम्बर 2016) कि ट्रूप कैरियर को संचालित करने के लिये एक टेक्निकल कमेटी का गठन कर दिया जायेगा और आश्वासन दिया गया कि ट्रूप कैरियर को उपयोग में न लाने के कारणों से अवगत कराया जायेगा।

तथ्य यथावत् रहा कि विभाग के द्वारा होमगार्ड प्रशिक्षुओं को फायरिंग रेंज तक परिवहन हेतु ट्रूप कैरियर क्रय करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ का अलाभकारी व्यय किया गया।

3.8 रेलवे से ₹ 34.44 करोड़ की वसूली प्राप्त न होना।

सरकारी लेखा नियम के प्राविधानों के उल्लंघन के कारण राजकीय रेलवे पुलिस के उत्तर मध्य रेलवे में परिनियोजन से राज्य सरकार को ₹ 34.44 करोड़ की हानि।

सरकारी लेखा नियम 1990¹⁹ के अनुसार गर्वनमेन्ट रेलवे पुलिस की लागत²⁰ 'क्राइम' और 'आर्डर पुलिस' का भेद किये बिना राज्य सरकार एवं रेलवे के द्वारा आधा–आधा वहन किया जायेगा।

¹⁹ अपेन्डिक्स V का आइटम V।

²⁰ लागत में जी0आर0पी0 कर्मचारियों जिसमें कार्यालय एवं पर्यवेक्षण कर्मचारी, पुलिस महानिदेशक स्तर तक के सम्मिलित हैं, बशर्ते वे जी0आर0पी0 के इन्वार्ज हों, के वेतन एवं समस्त भत्ते, कार्यालय व्यय एवं आकस्मिक व्यय, पेन्शनरी चार्जेज की लागत, जी0आर0पी0 कर्मचारियों के द्वारा किराये पर लिये गये भवन की लागत सम्मिलित है।

उप महानिरीक्षक, रेलवे उत्तर प्रदेश सरकार के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2015 और अक्टूबर 2016) में पाया गया कि राजकीय रेलवे पुलिस के द्वारा वर्ष 2006 से 2016 तक अपनी सेवाओं को प्रदान करने के एवज में ₹ 345.77 करोड़ के बिल²¹ उत्तर मध्य रेलवे को प्रेषित किये गये लेकिन रेलवे के द्वारा केवल ₹ 299.99 करोड़ का भुगतान किया गया। अग्रेतर, संवीक्षा में पाया गया कि राजकीय रेलवे पुलिस के देयक से कुल अस्वीकार धनराशि ₹ 45.76 करोड़ में से ₹ 34.44 करोड़²² की धनराशि, जो किराया एवं आवश्यक पेन्शनरी चार्जेज मद की थी, अस्वीकार कर दी गयी। यह इंगित करता है कि रेलवे के द्वारा नियमों का उल्लंघन कर अपने भाग का किराया और आवश्यक पेन्शनरी चार्जेज के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार रेलवे के द्वारा वर्ष 2006 से 2016 तक राजकीय रेलवे पुलिस के देयकों का भुगतान न करने के कारण राज्य सरकार को ₹ 34.44 करोड़ की हानि हुयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर उपमहानिरीक्षक रेलवे के द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया और बताया गया कि रेलवे द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस के बिलों से विस्तृत कटौतियों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है। उनके द्वारा अग्रेतर बताया गया कि किराया और पेन्शनरी चार्जेज की कटौती के सम्बन्ध में उत्तर मध्य रेलवे से कई बार पत्राचार किया गया है लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम के प्राविधानों के अनुसार मामले को सुलझाने के लिए न तो शासन एवं रेलवे मंत्रालय के उच्चाधिकारियों के समक्ष मामले को उठाया गया और न ही इस विषय पर वार्ता हेतु कोई बैठक की गयी।

इस प्रकार, रेलवे के समक्ष प्रकरण को प्रभावकारी ढंग से न रखने के कारण वर्ष 2006 से 2016 तक रेलवे में राजकीय रेलवे पुलिस के परिनियोजन पर राज्य सरकार को ₹ 34.44 करोड़ की हानि हुयी तथा नियमों के अनुसार राजकीय रेलवे पुलिस के किराया एवं पेन्शनरी चार्जेज में रेलवे की 50 प्रतिशत सहभागिता को सुनिश्चित नहीं किया गया।

प्रकरण शासन को अक्टूबर 2016 में सन्दर्भित किया गया और वार्तालाप और उत्तर प्रेषित करने हेतु अनुस्मारक जारी (नवम्बर 2016) किया गया। यद्यपि, न तो शासन के द्वारा दिसम्बर 2016 तक उत्तर दिया गया और न ही वार्तालाप हेतु तिथि निर्धारित की गयी।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

3.9 ₹ 32.60 करोड़ को राज्य रोजगार गारण्टी निधि में जमा किया जाना

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की निधि से औद्यानिक परियोजना (उद्यानीकरण) पर किये गये अनाधिकृत व्यय ₹ 32.60 करोड़ को भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुये राज्य रोजगार गारन्टी निधि में जमा नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में औद्यानिक परियोजना 'उद्यानीकरण' का क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय (अक्टूबर 2008) लिया गया, जिसका उद्देश्य महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के

²¹ चेतन, डी०ए०, टी०ए०, अन्य भत्ते (सी०सी०ए०, ए०आ०ए०, डब्ल्य०ए०, के०ए०ए०, पी०ए०), आकस्मिक व्यय और 10 प्रतिशत पेन्शनरी चार्जेज सम्मिलित हैं।

²² 50 प्रतिशत किराया एवं 50 प्रतिशत का 10 प्रतिशत पेन्शनरी चार्जेज जिसको जी०ए०आ० 1990 के अपेन्डिक्स-V के आइटम-V के अनुसार रेलवे के द्वारा दिया जाना चाहिये (पेन्शनरी चार्जेज ₹ 17.35 करोड़ और किराया ₹ 17.09 करोड़)।

स्वामित्व वाली निजी भूमि पर एकल गतिविधि के रूप में अथवा सामूहिक गतिविधि के रूप में उद्यान विकसित करना था। अग्रेतर, उद्यानीकरण के अंतर्गत प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे के तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति श्रेणी²³ के परिवारों के जीवन स्तर को उठाने के लिये शाक भाजी, फूल तथा मसाला की खेती का वित्त पोषण मनरेग्स में उपलब्ध धनराशि से 60:40 (श्रमांशः सामग्री) के अनुपात में करने का शासन द्वारा निर्णय (जून 2009) लिया गया। तदनुसार, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मनरेग्स से ₹ 36.04 करोड़²⁴ की धनराशि आवंटित एवं अवमुक्त की गयी और उद्यानीकरण के निष्पादन पर वर्ष 2009–13 की अवधि में ₹ 32.60 करोड़²⁵ का व्यय आवंटित धनराशि के सापेक्ष जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा किया गया था।

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, लखनऊ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (मई 2013 एवं जून 2016) एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास से एकत्र सूचना (जून 2014) से प्रकाश में आया कि राज्य सरकार द्वारा उद्यानीकरण को मनरेग्स से वित्त पोषित किया गया था एवं संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को आदेशित किया गया (सितम्बर 2012) कि परियोजना को समाप्त कर दिया गया है एवं उन्हें निर्देशित किया कि तत्काल प्रभाव से मनरेग्स के अंतर्गत कोई भी धन व्यय न किया जाए, चूंकि भारत सरकार ने उद्यानीकरण परियोजना को मनरेग्स के अंतर्गत गैर–अनुमन्य एवं अनाच्छादित पाया था। उन्होंने जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रकरण की जाँच की जाए एवं उद्यानीकरण पर व्यय सम्पूर्ण धनराशि को राज्य रोजगार गारण्टी निधि में वापस जमा किया जाए।

लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि यद्यपि औद्यानिक परियोजना (उद्यानीकरण) के अंतर्गत शाक भाजी, फूल तथा मसाला की खेती मनरेग्स की अनुसूची—एक में वर्णित किसी भी परियोजनाओं/कार्यों में आच्छादित नहीं थे, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार से पूर्व परामर्श किये बिना ही उद्यानीकरण परियोजना को मनरेग्स से वित्त पोषण एवं क्रियान्वयन हेतु तैयार किया गया था। उत्तर प्रदेश शासन का यह निर्णय अत्याधिक अनियमित एवं मनरेग्स निधि को व्यावर्तित करने के समान था। अग्रेतर, व्यय की जाँच कराने हेतु स्पष्ट निर्देश एवं मनरेग्स के अंतर्गत उद्यानीकरण पर किये गए व्यय के पुनर्वित्तपोषण के निर्देश प्राप्त होने के बावजूद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तीन वर्ष उपरान्त भी ₹ 32.60 करोड़ राज्य रोजगार गारण्टी निधि में वापस जमा करने की कार्यवाही नहीं की गई थी। राज्य सरकार द्वारा प्रकरण की जाँच भी जून 2016 तक नहीं की गई थी।

प्रकरण शासन को संदर्भित (जून 2016) किये जाने पर प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा (नवम्बर 2016) बताया गया कि उद्यान विभाग द्वारा किया गया व्यय ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्गत दिशा—निर्देशों के तहत किया गया था और उसके लिये धनराशि भी ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सीधे जनपदों को उपलब्ध करायी गयी थी। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जनपदों को जो धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी उसका व्यय औद्यानिक परियोजनाओं पर किया गया था। बाद में जब भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि मनरेग्स से औद्यानिक परियोजनाओं का वित्त पोषण नहीं किया जा सकता तो उस समय ग्राम्य विकास विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से औद्यानिक

²³ गरीबी रेखा के नीचे एवं अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी परिवारों के परिवारों हेतु।

²⁴ अवमुक्त निधिवर्ष 2009–10; ₹ 7.66 करोड़, 2010–11; ₹ 9.71 करोड़, 2011–12; ₹ 16.54 करोड़, 2012–13; ₹ 2.13 करोड़।।

²⁵ व्यय 2009–10; ₹ 554.549 लाख, 2010–11; ₹ 959.042 लाख, 2011–12; ₹ 1612.192 लाख, 2012–13; ₹ 134.058 लाख।

परियोजनाओं पर मनरेग्स से धनराशि व्यय करने पर रोक लगा दी गयी और अवशेष धनराशि की माँग कर ली गई। तदनुसार, औद्यानिक परियोजनाओं पर तत्काल प्रभाव से सभी कार्य रोक दिए गये और अवशेष धनराशि ग्राम्य विकास विभाग को वापस कर दी गई। चूँकि, सभी कार्य ग्राम्य विकास विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार निष्पादित कराये गए थे, अग्रेतर, उद्यानीकरण परियोजना पर पूर्व में व्यय धनराशि का समायोजन कैसे होगा की कार्यवाही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से की जा सकती है।

प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के उत्तर से पुष्टि होती है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अभी तक धनराशि ₹ 32.60 करोड़ को वापस करने एवं उसे राज्य रोजगार गारंटी निधि में जमा करने हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अतः मनरेग्स निधि से गैर अनुमन्य औद्यानिक परियोजना 'उद्यानीकरण' पर वर्ष 2009–13 के दौरान ₹ 32.60 करोड़ का किया गया व्यय एवं इसे राज्य रोजगार गारंटी निधि में वापस जमा नहीं कराया जाना भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन था।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

3.10 रॉयल्टी की वसूली न होना (₹ 444.82 करोड़)

ताप विद्युत गृहों को आपूर्ति जल पर रॉयल्टी की वसूली में विफलता के कारण शासन को ₹ 444.82 करोड़ की हानि।

उत्तर भारत में सिंचाई, जहाज-रानी एवं जल निकासी के विनियामक नार्दन इंजिङ्योरिंग कैनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट 1873²⁶ के अनुसार शासन को सभी नदियों एवं प्राकृतिक प्रवाह में बहने वाली धाराओं, सभी झीलों और दूसरे प्राकृतिक रूप से एकत्रित स्थिर जल को, जनहित में प्रयोग एवं नियंत्रित करने का अधिकार है। नहर के जल²⁷ की प्रत्येक आपूर्ति, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन दरों और निर्धारित शर्तों पर की जायेगी। शासन द्वारा वर्ष 1985 में औद्योगिक/निजी क्षेत्र को अकृषिकारी उपयोग हेतु जल की आपूर्ति की नीति निर्धारित करते समय रॉयल्टी की दर निर्धारित की गयी थी, जिसे समय समय पर संशोधित²⁸ किया गया था।

अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, ओबरा-सोनभद्र (अधीक्षण अभियंता) के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2015) में प्रकाश में आया कि रिहन्द जलाशय सहित रिहन्द जल विद्युत परियोजना जनवरी 2000²⁹ में उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (जल विद्युत निगम) को हस्तांतरित कर दी गयी थी। लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि जल विद्युत निगम द्वारा चार ताप विद्युत गृहों को, विद्युत उत्पादन हेतु रिहन्द जलाशय से जल की आपूर्ति, सिंचाई विभाग को किसी रॉयल्टी का भुगतान किये बिना (सितम्बर 2016) निम्न सारणी में प्रदर्शित विवरण के अनुसार की जा रही थी:

²⁶ अनुच्छेद 31।

²⁷ जलाशय सहित।

²⁸ 1998 से ₹ 1,50,000 प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष एवं 2011 से ₹ 6,00,000 प्रति क्यूसेक प्रतिवर्ष।

²⁹ अधिसूचना दिनांक 18.01.2000, दिनांक 25.01.2001 को यथा संशोधित।

सारणी 1: वसूली हेतु बकाया रॉयल्टी का विवरण

क्र. सं.	ताप विद्युत गृह का नाम	अवधि	रॉयल्टी की राशि (₹ लाख में)
1	अनपरा ताप विद्युत परियोजना, अनपरा–सोनभद्र, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उ0प्र0	01/2000 से 09/2016	7,931.27
2	विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना, विंध्यनगर, सिंगरौली, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, म0प्र0	03/2000 से 09/2016	15,344.13
3	रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना, बीजपुर, सोनभद्र, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, उ0प्र0	03/2000 से 09/2016	9,606.12
4	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना, शक्तिनगर, सोनभद्र, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, उ0प्र0	03/2000 से 09/2016	11,600.00
योग			44,481.5195 अथवा ₹ 444.82 करोड़

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा ताप विद्युत गृहों को बिना किसी रॉयल्टी की वसूली के, जल की आपूर्ति किया जाना शासन की नीतियों एवं अधिनियम के प्रावधानों, जिनके अनुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की वसूली आवश्यक थी, का उल्लंघन था। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर जाँच में पाया कि प्रमुख सचिव, सिंचाई की अध्यक्षता में हुई बैठक (अक्टूबर 2013) में निर्णय लिया गया कि जल विद्युत निगम को आपूर्तित जल की रॉयल्टी के भुगतान हेतु देयक प्रेषित किये जायेंगे एवं जल विद्युत निगम द्वारा जल उपभोग करने वाली इकाईयों से इसकी वसूली करके सिंचाई विभाग को भेजा जायेगा। तदनुसार, विभाग द्वारा आपूर्तित जल (मार्च 2014 तक) की रॉयल्टी के भुगतान हेतु ₹ 325.24 करोड़ का एक देयक उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड को प्रेषित किया गया था (अक्टूबर 2014)। तथापि, सितम्बर 2016 तक का ₹ 444.82 करोड़ के संचित देयक का भुगतान दिसम्बर 2016 तक बकाया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2016) कि समझौता ज्ञाप गठित करने हेतु कार्यवाही की जायेगी तथा प्रकरण का निस्तारण प्रमुख सचिव स्तर पर बैठक आहूत कर किया जायेगा।

अतः ताप विद्युत गृहों को आपूर्तित जल की रॉयल्टी की वसूली में विफलता के कारण शासन को ₹ 444.82 करोड़ की हानि हुयी।

3.11 प्रतिशतता प्रभार की वसूली में विफलता

₹ 1.37 करोड़ के प्रतिशतता प्रभार की वसूली में विफलता एवं उस पर ₹ 0.79 करोड़ के ब्याज की परिहार्य हानि।

स्थानीय निकायों एवं अन्य पक्षों के लिये कराये जाने वाले निक्षेप कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी विभाग द्वारा प्रतिशतता प्रभार वसूलने हेतु वित्तीय नियमों³⁰ में प्रावधान हैं। शासन द्वारा कार्यकारी संस्थाओं को गैर शासकीय संगठनों, स्थानीय निकायों एवं वाणिज्यिक विभागों के निक्षेप कार्यों हेतु 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशतता प्रभार की

³⁰ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 का प्रस्तर 635 एवं 636।

वसूली कर कोषागार में उचित लेखाशीर्ष के अंतर्गत जमा करने हेतु निर्देशित³¹ किया गया था (फरवरी 1997)।

अधिशासी अभियंता, बाराबंकी खण्ड, शारदा नहर बाराबंकी (अधिशासी अभियंता) के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2012 एवं जून 2016) में प्रकाश में आया कि सिंचाई विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ (जल निगम) के अनुरोध पर रजौली राजवाहा एवं मुरादाबाद—चिनहट राजवाहा प्रणाली के पुनरोद्धार की एक परियोजना, सीपेज रोक कर जल निगम को 100 क्यूसेक कच्चा जल उपलब्ध कराने हेतु प्रारम्भ की गयी थी। इस परियोजना को लखनऊ पेयजल परियोजना के अंग के रूप में ₹ 19.01 करोड़ लागत की स्वीकृति प्रदान की गयी थी (अक्टूबर 2007) जिसका वित्त पोषण जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत किया जाना था। मार्च 2010 में परियोजना की लागत को पुनरीक्षित कर ₹ 28.63 करोड़ कर दिया गया। जल निगम द्वारा सिंचाई विभाग के साथ कोई समझौता ज्ञाप हस्ताक्षरित किये बिना, परियोजना को निक्षेप कार्य के रूप में निष्पादित करने हेतु, सिंचाई विभाग को मार्च 2008 से फरवरी 2013 के मध्य ₹ 17.00 करोड़ उपलब्ध कराये गये थे। वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया (जून 2008) कि कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का उपभोग करने के पूर्व प्रतिशतता प्रभार को कोषागार में जमा कर दिया जाये। ₹ 17.00 करोड़ पर प्रतिशतता प्रभार की धनराशि ₹ 2.12 करोड़ होती है। लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2016) कि ₹ 17.00 करोड़ हेतु प्रतिशतता प्रभार ₹ 2.12 करोड़ में से जल निगम द्वारा ₹ 0.75 करोड़ जमा किया गया (सितम्बर 2013) तथा दिसम्बर 2016 तक अवशेष धनराशि (₹ 1.37 करोड़) जमा नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि संबंधित अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा जल निगम से अवशेष प्रतिशतता प्रभार की वसूली के लिये प्रयास किया जायेगा। तथ्य यथावत रहा कि, यद्यपि, उत्तर प्रदेश शासन के 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) में जल निगम द्वारा प्रतिशतता प्रभार का भुगतान न करने का प्रकरण सम्मिलित किया गया था तथापि, इसकी वसूली हेतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अतः अधिशासी अभियंता द्वारा वित्तीय नियमों के अनुपालन एवं वित्त नियंत्रक के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने में विफलता के कारण विगत तीन वर्षों से ₹ 1.37 करोड़³² का प्रतिशतता प्रभार जल निगम से वसूल नहीं किया गया था, जिससे उस पर ₹ 0.79 करोड़ के ब्याज की परिहार्य हानि हुयी (**परिशिष्ट 3.4**)।

3.12 ठेकेदार को ₹ 6.89 करोड़ का अधिक भुगतान

अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन कर मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-5, बिजनौर द्वारा ठेकेदार को ₹ 6.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 367 के अनुसार अभियन्ता एवं उनके अधीनस्थ यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि अनुबन्ध की शर्तों का कड़ाई से पालन हो एवं अनुबन्ध को रद्द किये जाने अथवा दुरुपयोग करने सम्बन्धी कोई कृत्य न हो।

³¹ सं १-२-८७ / दस-१७(४)-७५ दिनांक 27.02.1997

³² ₹ 2.12 करोड़ – ₹ 0.75 करोड़ = ₹ 1.37 करोड़।

शासन द्वारा जुलाई 2007 में मध्य गंगा नहर परियोजना, द्वितीय चरण के लिये ₹ 1,060.76 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। हेड रेगुलेटर, मुख्य नहर, चन्दौसी नहर शाखा एवं वितरण प्रणाली का निर्माण किया जाना परियोजना में शामिल थे।



स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष मुख्य अभियन्ता, मध्य गंगा नहर परियोजना, अलीगढ़ (मुख्य अभियन्ता) द्वारा ₹ 11.69 करोड़ की लागत से मुख्य नहर कि०मी० 0.000 से 0.350 तक, कि०मी० 0.300 पर सिल्ट इंजेक्टर, स्केप चैनल एवं टेल फाल के निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति (दिसम्बर 2007) प्रदान की गई थी। प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के पश्चात् अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अलीगढ़ (अधीक्षण अभियन्ता) द्वारा ₹ 10.85 करोड़ की लागत के कार्य को कराये जाने हेतु अनुबन्ध³³ गठित किया गया (जनवरी 2008)। चूँकि, भूमि के नीचे खुदाई करते समय सामान्यतः भूगर्भ जल मिलता है अतः कार्य में डिवॉटरिंग मद हेतु 4,98,165 किलोवॉट घन्टा का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया था जिसकी अनुबन्धित दर ₹ 32.17 प्रति किलोवॉट घन्टा थी। निविदा प्रपत्र के अनुसूची-ए में डिवॉटरिंग की मात्रा 5,00,000 किलोवॉट घन्टा निश्चित की गई थी। अनुबन्ध के उपबन्ध 19.06 मे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट था कि अनुसूची-ए में निर्दिष्ट डिवॉटरिंग की मात्रा (5,00,000 किलोवॉट घन्टा) अनुमानित था और यह कम या अधिक हो सकती थी, लेकिन ठेकेदार अनुसूची-ए में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक भुगतान का हकदार नहीं होगा।

लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के पश्चात मुख्य अभियन्ता के निर्देशानुसार (मई 2008) गाइड बन्ध, प्रान्तीय सड़क पुल एवं मार्ग परिवर्तन के अतिरिक्त कार्यों को शामिल करते हुए प्राक्कलन को ₹ 18.07 करोड़ की लागत से पुनरीक्षित किया गया (जून 2008)। अनुबन्ध गठित करने के पाँच माह के अन्दर कार्य की मात्रा को 55 प्रतिशत बढ़ाया जाना एवं मुख्य अभियन्ता के स्तर से नई निविदा किये बिना अतिरिक्त कार्य को उसी ठेकेदार को आवंटित किया जाना सर्वथा अनियमित था।

लेखापरीक्षा में यह भी प्रकाश में आया कि पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार डिवॉटरिंग की मात्रा 4,98,165 किलोवॉट घन्टा से बढ़ा कर 7,58,591 किलोवॉट घन्टा³⁴ कर दी

³³ सं-01 / अधी. अभि./2007-08, दिनांक-11.01.2008, कार्य समाप्ति की नियत तिथि - 10.07.2009, कार्य समाप्ति की विस्तारित तिथि - 31.08.2011

³⁴ 498165 किलोवॉट घन्टा (मूल कार्य हेतु) + 260426 किलोवॉट घन्टा (गाइड बन्ध एवं प्रान्तीय सड़क पुल के अतिरिक्त कार्य हेतु) = 758591 किलोवॉट घन्टा

गयी थी। प्रान्तीय सड़क पुल के निर्माण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर को नवम्बर 2009 में हस्तांतरित किये जाने के परिणामस्वरूप अनुबन्ध के अन्तर्गत डिवॉटरिंग की मात्रा को घटाकर 7,00,000 किलोवॉट घन्टा³⁵ कर दी गई।

अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—5, बिजनौर (अधिशासी अभियन्ता) के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2012 एवं जून 2016) में प्रकाश में आया कि ₹ 10.85 करोड़ के अनुबन्ध के सापेक्ष ₹ 22.26 करोड़³⁶ (पुनरीक्षित स्वीकृत प्राक्कलन ₹ 18.07 करोड़ के सापेक्ष ₹ 6.89 करोड़ के भिन्नता सहित) का भुगतान ठेकदार को किया गया जिसमें 7,00,000 किलोवॉट घन्टा डिवॉटरिंग हेतु अनुबंधित लागत ₹ 2.25 करोड़ के सापेक्ष ठेकेदार को 32,52,089 किलोवॉट घन्टा हेतु ₹ 9.14 करोड़ का भुगतान सम्मिलित था, जिसका विवरण निम्नवत है:

सारणी 2: डिवॉटरिंग मद में, सभी लागत—डीजल सेट एवं डिवॉटरिंग हेतु आवश्यक उपकरणों सहित, अधिक भुगतान का विवरण

मद	मूल प्राक्कलन के अनुसार मात्रा	पुनरीक्षित प्राक्कलन में कार्य की मात्रा	कुल (का० 2+3)	अनुबंधित मात्रा	निष्पादित मात्रा	पुनरीक्षित मात्रा से अधिक निष्पादित मात्रा	₹ 27.00 प्रति किलोवॉट घन्टा की दर से किया गया भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	(₹में)
मुख्य नहर किंमी० 0.000 से 0.350	2,00,000	0	2,00,000	5,00,000	32,52,089	25,52,089	6,89,06,403
किंमी० 0.300 पर सिल्ट इंजेक्टर	48,165	0	48,165				
स्केप चैनल	1,00,000	0	1,00,000				
टेल फाल	1,50,000	0	1,50,000				
गाइड बन्ध	0	2,00,000	2,00,000	2,00,000			
प्रान्तीय सड़क पुल	0	60,426	60,426	0			
मार्ग परिवर्तन	0	0	0	0			
योग	4,98,165	2,60,426	7,58,591	7,00,000	32,52,089	25,52,089	6,89,06,403
अथवा (₹ करोड़ में)							6.89

यद्यपि, अनुबन्ध के उपबन्ध 19.06 के अनुसार 7,00,000 किलोवॉट घन्टा से अधिक डिवॉटरिंग का भुगतान अनुमन्य नहीं था, अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुबंधित प्राविधानों के अनुसार 7,00,000 किलोवॉट घन्टा डिवॉटरिंग हेतु ₹ 2.25 करोड़ तक सीमित न करके मुख्य अभियन्ता की अनुमति से अनियमित रूप से 32,52,089 किलोवॉट घन्टा हेतु ₹ 9.14 करोड़ का भुगतान किया गया, जिससे ₹ 6.89 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं खण्डीय लेखाकार के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी। अतः अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन कर ठेकेदार को ₹ 6.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

³⁵ 500000 किलोवॉट घन्टा (मूल कार्य हेतु) + 200000 किलोवॉट घन्टा (गाइड बन्ध के अतिरिक्त कार्य हेतु) = 700000 किलोवॉट घन्टा

³⁶ 25वां चालू देयक दिनांक 30.01.2012।

3.13 अति–दोहित विकास खण्डों में नलकूपों का अनियमित निर्माण

शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के बावजूद अति–दोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में नलकूपों के निर्माण पर ₹ 3.13 करोड़ का अनियमित व्यय

शासन द्वारा राज्य के 75 जनपदों के 820 विकास खण्डों में भूगर्भ जल संसाधनों के मूल्यांकन के आधार पर विकास खण्डों को अति–दोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने का आदेश निर्गत (अक्टूबर 2014) किया गया था। तदनुसार, शासन द्वारा 44 जनपदों के 111 अति–दोहित एवं 68 क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्डों में सभी प्रकार के नलकूपों के निर्माण पर शासनादेश निर्गत होने की तिथि (13 अक्टूबर 2014) से प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। शासन द्वारा, अग्रेतर, यह भी निर्देशित किया गया था कि शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि के पश्चात् इन क्षेत्रों में निर्मित किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अभियंता, नलकूप निर्माण खण्ड आगरा (अधिशासी अभियंता) के अभिलेखों की जाँच (फरवरी–मार्च 2016) एवं अग्रेतर एकत्रित (जून 2016) सूचनाओं से प्रकाश में आया कि शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के पश्चात् खण्ड द्वारा अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस एवं कासगंज जनपदों में नवम्बर 2014 से जनवरी 2016 के मध्य पाँच अति–दोहित श्रेणी के विकास खण्डों में 22 नलकूपों एवं दो क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्डों में छ: नलकूपों का ₹ 2.69 करोड़ की लागत से (नवम्बर 2014 से मार्च 2015 : 17 नलकूप लागत ₹ 1.99 करोड़, 2015–16 : 11 नलकूप लागत ₹ 0.70 करोड़) निर्माण किया गया (*परिशिष्ट 3.5*)।

अग्रेतर, शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर इन नलकूपों को मार्च 2015 से मार्च 2016 के मध्य ₹ 44.10 लाख की लागत से ऊर्जीकृत भी कर दिया गया था। इससे स्पष्ट था कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग द्वारा इन 44 जनपदों के 111 अति–दोहित एवं 68 क्रिटिकल विकास खण्डों में सार्वजनिक/निजी प्रयोक्ताओं द्वारा नलकूपों के निर्माण किये जाने का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा था एवं इन क्षेत्रों में नलकूपों के निर्माण में प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी मुख्य सचिव द्वारा 13 अक्टूबर 2014 को जारी आदेशों के माध्यम से शासन द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों का अनुपालन स्वयं शासन के विभागों द्वारा ही नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि भविष्य के लिये चेतावनी निर्गत की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नलकूपों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लागू करने सम्बन्धी शासन द्वारा अक्टूबर 2014 में निर्गत शासनादेश जारी होने की तिथि से ही प्रभावी किया गया था एवं शासन द्वारा नलकूपों के अवैध निर्माण के विरुद्ध किसी ठोस कार्यवाही के बिना मात्र चेतावनी निर्गत करने से भविष्य में समस्या में वृद्धि होगी।

अतः शासनादेश का उल्लंघन करते हुये अति–दोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में नलकूपों के निर्माण एवं ऊर्जीकरण पर ₹ 3.13 करोड़ (निर्माण: ₹ 2.69 करोड़ एवं ऊर्जीकरण ₹ 0.44 करोड़) का अनियमित व्यय किया गया था।

3.14 ढुलाई की उच्च दर को लागू किये जाने से ₹ 2.56 करोड़ की हानि

आस-पास के क्षेत्र में ढुलाई के लिए प्रचलित न्यूनतम दर से उच्च दर को दर अनुसूची में प्राविधानित किये जाने के कारण शासन को ₹ 2.56 करोड़ की हानि।

वित्तीय नियमों³⁷ के अनुसार प्राक्कलनों को तैयार करने हेतु खण्ड में एक दर अनसूची का रख-रखाव किया जाना चाहिए जिसमें समस्त प्रकार के कार्यों के लिये आस-पास के क्षेत्र में प्रचलित न्यूनतम दरों को दर्शाया जाये।

अधिशासी अभियन्ता, निचली गंगा नहर खण्ड, इटावा के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2014 एवं जून 2016) में प्रकाश में आया कि शासन द्वारा सैफई से अछल्दा तक पक्की सड़क के निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 35.25 करोड़ की लागत की परियोजना को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति³⁸ प्रदान की गई (जनवरी 2014)। यह पाया गया कि लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया गया था। तथापि, प्राक्कलन तैयार करते समय “ग्रैनुलर सब-बेस का निर्माण” एवं “प्रोवाइलिंग एवं लेइंग, स्प्रेडिंग एवं कार्मैकिटिंग स्टोन एग्रीगेट्स ऑफ रेसिफिक साईंज टू वाटर बाउन्ड मैकेडम” कार्य मदों को अनियमित रूप से दो टुकड़ों यथा ‘लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के अनुसार रामनगर खदान पर गिट्टी का मूल्य’ एवं ‘सिंचाई विभाग की दर अनुसूची के अनुसार खदान से कार्य स्थल तक ढुलाई दर’ में विभक्त कर दिया गया था। सिंचाई विभाग की दर अनुसूची में गिट्टी की ढुलाई की दर लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची में प्राविधानित दर से अधिक थी। जिसके फलस्वरूप गिट्टी की ढुलाई में ₹ 2.56 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया (परिशिष्ट 3.6)।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि मुख्य अभियन्ताओं की समिति से दर अनुसूची की जाँच कराई जायेगी।

तथ्य यथावत रहा कि ढुलाई के लिए लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची में प्राविधानित दर (प्राक्कलन को तैयार किये जाने हेतु अपनायी गई) के स्थान पर सिंचाई विभाग की दर अनुसूची पर आधारित उच्च दर का प्राविधान किये जाने से शासन को ₹ 2.56 करोड़ की हानि हुयी।

3.15 बढ़ा चढ़ा कर प्राक्कलन तैयार करने से शासन को क्षति

बढ़ा सुरक्षात्मक कार्य एवं कटाव निरोधक संरचनाओं के निर्माण के प्राक्कलन को बढ़ा चढ़ा कर तैयार किये जाने से शासन को ₹ 4.74 करोड़ की हानि

अप्रयुक्त सामग्रियों एवं अपव्यय को दूर कर कार्य की लागत को कम करने के दृष्टीकोण से राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्यों हेतु वर्टिकल अनुबन्ध गठित किये जाने का आदेश दिया गया (अगस्त 2011) था, जिसमें ठेकेदार को आपूर्ति एवं संरचना के निर्माण सहित सम्पूर्ण कार्य के लिए भुगतान किया जाना था।

अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड-प्रथम, बस्ती (अधिशासी अभियन्ता) के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2016) में प्रकाश में आया कि रथाई बाढ़ समिति द्वारा मई 2010 से अप्रैल 2015 के मध्य घाघरा नदी के बायें तट पर कटाव निरोधक संरचनाओं³⁹ के


³⁷ प्रस्तर 264 एवं 523 वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड 6।

³⁸ सं-7 / 5904 / 13-27-सि-4-83(डब्ल्यू) परि./ 13 दिनांक 08.01.2014।

³⁹ विक्रम जोत धुसरों तटबंध, कटरियों चौदपुर तटबंध, चौदपुर गौरा तटबंध, गौरा सैफाबाद तटबंध एवं काशीपुर दुबौलिया तटबंध।

निर्माण हेतु ₹ 131.46 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी। मुख्य अभियन्ता द्वारा जनवरी 2014 से जून 2015 के मध्य कार्यों हेतु ₹ 118.98 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। निर्माण कार्य 13 अनुबन्धों के माध्यम से प्रगति पर था। जाँच में अग्रेतर पाया गया कि सभी अनुबंध वर्टिकल स्वरूप के थे एवं पत्थर के कार्य की लागत में (i) पत्थर का मूल्य (ii) खदान से कार्य स्थल तक पत्थर की दुलाई एवं (iii) संरचना के निर्माण पर मजदूरी की लागत शामिल थी। जाँचे गये मदों पर जुलाई 2015 तक इन अनुबन्धों के सापेक्ष ₹ 45.36 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

प्राक्कलन में दी गयी तकनीकी स्वीकृतियों एवं किये गये भुगतानों के अनुसार दुलाई



लेखापरीक्षा में पाया गया कि पत्थर के कार्य की दर को खदान पर लदाई, स्टैक यार्ड पर उतरवाई एवं चट्टा लगाने तथा स्टैक यार्ड पर पुनः लदाई एवं कार्य स्थल पर उतरवाई एवं चट्टा लगाने का प्राविधान करके बढ़ाया चढ़ाया गया था।

स्टैक यार्ड पर एक उतरवाई, चट्टा लगाने एवं लदाई, जो कि पत्थर के कार्य के दर विश्लेषण में पूर्व से ही सम्मिलित था, को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए था। वर्टिकल निविदा के प्रकरण में, जब प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित स्थल पर निर्धारित कार्य दिया गया हो, मध्य मार्ग स्टैक यार्ड का प्राविधान किए जाने का कोई औचित्य नहीं था। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया था कि वास्तव में ठेकेदारों द्वारा बोल्डरों को कार्य में उपयोग करने से पूर्व स्टैक यार्ड पर एकत्र न करके सीधे कार्य स्थलों पर एकत्र किया गया था। अग्रेतर, जाँच में परिलक्षित हुआ कि खण्ड द्वारा मानक परिवर्तन दर एक मीट्रिक टन वजन के पत्थर का आयतन 0.71 घनमीटर के स्थान पर 0.69 घनमीटर आयतन का उपयोग 13 परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं के दर विश्लेषण में किया गया था, जबकि दो परियोजनाओं चॉदपुर गौरा बंध के किमी 0.000 से 1.000 तक सुरक्षात्मक कार्य एवं कटारिया चॉदपुर बंध के किमी 4.400 से 5.400 तक सुरक्षात्मक कार्य की परियोजनाओं के दर विश्लेषण में गणना हेतु परिवर्तन दर एक मीट्रिक टन वजन के पत्थर का आयतन 0.71 घन मीटर का ही उपयोग किया गया था। उपर्युक्त दोनों अनियमितताओं के फलस्वरूप ठेकेदारों को कुल ₹ 4.74 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ (परिशिष्ट 3.7)।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा दर अनुसूची समिति में शामिल अधीक्षण अभियन्ताओं से स्पष्टीकरण माँगा जायेगा।

अतः प्राक्कलन में बोल्डरों की लदाई, चट्टा लगाने एवं उतरवाई के अतिरिक्त प्राविधान स्वीकृत किये जाने एवं प्रति मीट्रिक टन वजन के पत्थर के आयतन को 0.71 घन मीटर के स्थान पर 0.69 घन मीटर का उपयोग किये जाने के कारण खण्ड द्वारा ठेकेदारों को ₹ 4.74 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

श्रम विभाग

3.16 समारोहों के आयोजन पर परिहार्य व्यय।

बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभार्थियों को चेक वितरण करने हेतु 69 जिलों में समारोहों के आयोजन पर ₹ 15.06 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया जबकि बेरोजगारी भत्ता को लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाना था।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी पात्र बेरोजगार व्यक्तियों⁴⁰ को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना (योजना) मई 2012 में शुरू की गयी। योजना की नियमावली, के नियम 8.4(i) के अनुसार, बेरोजगारी भत्ता का भुगतान लाभार्थी को तिमाही आधार पर उसके द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोले गये बचत खाते में किया जाना था। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को खोले गये बैंक खाते का विवरण⁴¹ योजना के आवेदन पत्र में भरना था तथा कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता के शीघ्र प्रेषण हेतु सम्बन्धित बैंक प्राधिकारी द्वारा उसे प्रमाणीकृत किया जाना था।

निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (निदेशक) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में (फरवरी 2016) में पाया गया कि विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान 69 जिलों में 1,26,521 बेरोजगार व्यक्तियों को ₹ 20.58 करोड़ की धनराशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित किया। राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को समारोह स्थल पर लाने में परिवहन पर ₹ 6.99 करोड़ तथा अन्य क्रियाकलापों जैसे – लाभार्थियों के स्थ–अल्पाहार एवं उनके बैठने आदि की व्यवस्था हेतु ₹ 8.07 करोड़ व्यय किये गये। चेक वितरण पर किया गया व्यय परिहार्य था क्योंकि, योजना में बेरोजगारी भत्ता का भुगतान लाभार्थियों के बैंक खाते में आसानी से बिना किसी व्यय के किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर निदेशक ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सचिवों की समिति के निर्णय के क्रम में समारोहों पर व्यय, अन्य व्यय शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि, बेरोजगारी भत्ता नियमावली के दिशा–निर्देशों में लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता के वितरण/भुगतान हेतु इस प्रकार की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि समारोह पूरी तरह से शासकीय समारोह था तथा चेक वितरण पर किया गया व्यय शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2012 में लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक परिवहन की व्यवस्था तथा अन्य क्रियाकलापों जैसे बैठने की व्यवस्था एवं अल्पाहार की व्यवस्था हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी भत्ता लाभार्थियों के खाते में आसानी से जमा किया जा सकता था क्योंकि लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्र में बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या तथा आईएफएससी कोड भरा गया था जो सम्बन्धित बैंक अधिकारी से प्रमाणीकृत था।

शासन द्वारा वार्ता (नवम्बर 2016) के समय तथ्यों एवं ऑकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि नियमावली में राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलना अनिवार्य था किन्तु लाभार्थियों को बैंक खाते से भुगतान करना बाध्यकारी नहीं था।

⁴⁰ हाई स्कूल उर्तीण ऐसे बेरोजगार पुरुष जिनकी आयु 30 से 40 वर्ष के मध्य हो, उत्तर प्रदेश का निवासी हो एवं जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 36,000 से कम हो, अविवाहित, विद्यवा, अलग/तलाकशुदा महिलाओं के प्रकरणों में उनके माता पिता एवं विवाहित महिलाओं के प्रकरणों में उनके सास–ससुर की समस्त स्रोतों से आय ₹ 1,50,000 से अधिक न हो तथा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

⁴¹ बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड।

अतः लाभार्थियों को मात्र ₹ 20.58 करोड़ के चेक वितरित करने हेतु समारोहों के आयोजन पर किया गया ₹ 15.06 करोड़ का व्यय न्यायोचित नहीं था तथा यह वित्तीय औचित्य एवं शासकीय धन में मितव्ययिता के पूर्णतः अभाव को दर्शाता है।

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

3.17 राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की क्रियाशीलता

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ में आवश्यक तकनीकी मानवशक्ति के अभाव एवं रसायनों की खरीदारी में विफलता के कारण विगत छः वर्षों से किसी भी दवा के नमूनों का परीक्षण नहीं हो सका जिससे प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण पर व्यय की गयी धनराशि ₹ 1.78 करोड़ अलाभकारी रही।

31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सिविल) के प्रतिवेदन के प्रस्तर 3.3.18 में औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ (प्रयोगशाला) के अदक्ष कार्य निष्पादन का उल्लेख किया गया था। इसके सुदृढ़ीकरण तथा उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 65.00 लाख के प्राप्त (अप्रैल 2001) होने के उपरांत भी दिसम्बर 2004 तक यह अप्रयुक्त थी। लोक लेखा समिति की बैठक में उक्त प्रस्तर पर नवम्बर 2010 को चर्चा की गई थी, जिसमें सरकार द्वारा शीघ्र ही औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को क्रियाशील बनाने का आश्वासन दिया गया था।

निदेशक, आयुर्वेदिक सेवायें उत्तर प्रदेश, लखनऊ (निदेशक) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2015) तथा अग्रेतर एकत्रित सूचनाओं (मई 2016) से संज्ञान में आया कि प्रयोगशाला के भवन का निर्माण कार्य मार्च 2007 में ₹ 58.14 लाख की लागत से पूर्ण किया गया तथा फरवरी 2008 में विभाग को सौंप दिया गया था। भारत सरकार द्वारा उपकरणों के क्रय के लिए ₹ 65.33 लाख (अक्टूबर 2008) अवमुक्त किया गया था तथा विभाग ने ₹ 65.33 लाख के उपकरणों का क्रय फरवरी 2011 में कर लिया था।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि नये प्रयोगशाला भवन के निर्माण तथा उपकरणों के क्रय के बावजूद, प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं हुई, जिससे पूरा व्यय अलाभकारी हो गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रयोगशाला में एक शासकीय विश्लेषक, एक कनिष्ठ विश्लेषक एवं एक कलर्क को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या केवल तीन थी। शासकीय विश्लेषक का प्रयोगशाला में सबसे वरिष्ठतम् पद था। शासकीय विश्लेषक का दायित्व⁴² औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के नियम के अनुसार औषधि परीक्षण या विश्लेषण के परिणामों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का था। प्रयोगशाला के शासकीय विश्लेषक मई 2009 में सेवानिवृत्त हो गये थे तथा यह पद पिछले सात वर्ष से रिक्त था। तब से प्रयोगशाला एक कनिष्ठ विश्लेषक और एक कलर्क द्वारा संचालित किया जा रहा था। मार्च 2009 से जून 2016 के दौरान उनके बीतने एवं भूतों पर ₹ 55.29 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। मानदंडों⁴³ के अनुसार, प्रयोगशाला द्वारा प्रतिवर्ष 3,000 लाइसेंस प्राप्त दवा विनिर्माण इकाईयों से प्राप्त लगभग 6,000 के नमूनों का परीक्षण किया जाना था तथापि यह पाया गया कि उपरोक्त अवधि में मानदण्डों के अनुरूप आवश्यक 42,000 नमूनों के सापेक्ष केवल 265 नमूने ही प्राप्त हुए थे। यहां तक कि कुल प्राप्त 265 नमूनों में से

⁴² औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 45 के अन्तर्गत।

⁴³ प्रचलित नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष प्रत्येक दवा उत्पादन इकाई से कम से कम दो नमूनों का परीक्षण किया जाना था।

वर्ष 2009–10 में केवल दो नमूनों का ही परीक्षण किया गया था और उसके बाद प्रयोगशाला द्वारा मई 2016 तक किसी भी नमूने का परीक्षण नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, निदेशक द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2015 और मई 2016) कि तकनीकी मानव शक्ति के अभाव और परीक्षण हेतु रसायनों के क्रय न किये जाने के कारण प्रयोगशाला को संचालित नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लोक लेखा समिति को शासन के पश्चात् भी अद्यतन प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं हुई थी जबकि भारत सरकार⁴⁴ द्वारा अतिरिक्त मानवशक्ति के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु तीन अतिरिक्त पदों⁴⁵ की स्वीकृति दी थी (अप्रैल 2011) किन्तु निदेशक द्वारा पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् भी मई 2016 तक मानव शक्ति की नियुक्ति नहीं की गयी थी। अग्रेतर, धन की उपलब्धता⁴⁶ के बाद भी वर्ष 2010–11 से किसी रसायन का क्रय नहीं किया गया था क्योंकि प्रयोगशाला में कोई शासकीय विश्लेषक नियुक्त नहीं था।

इस प्रकार धन की उपलब्धता के बावजूद भी परीक्षण हेतु रसायनों का क्रय न करने एवं आवश्यक तकनीकी मानव शक्ति की कमी होने से प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए किया गया ₹ 1.78 करोड़ का व्यय (₹ 58.14 लाख भवन निर्माण पर ₹ 65.33 लाख उपकरणों के क्रय पर तथा ₹ 55.29 लाख कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर) अलाभकारी रहा।

प्रकरण शासन को जून 2016 में संदर्भित किया गया था। शासन द्वारा तथ्यों एवं ऑकड़ों की पुष्टि की (दिसम्बर 2016) गयी।

3.18 स्थारी विद्युत प्रभार का परिहार्य व्यय।

स्वीकृत विद्युत भार के सापेक्ष वास्तविक उपभोग अत्यन्त कम होने हेतु आवेदन पर भी डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा संस्थान के विद्युत भार को घटाने में विफलता के कारण मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को स्थाई/डिमांड चार्जेज के रूप में ₹1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय।

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के प्रस्तर 4.41 में अपेक्षित है कि जिन उपभोक्ताओं के पास विद्युत खपत की रिकार्डिंग क्षमता युक्त इलेक्ट्रानिक मीटर स्थापित है और उनके द्वारा किया गया बिजली का आवर्तक उपभोग पिछले छः महीने में सामान्य माँग से कम है तो उन सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अनुबन्धित भार में कमी स्वीकार्य होगी।

डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (मार्च 2016) तथा अग्रेतर एकत्रित सूचनाओं की जांच में पाया गया कि निर्माण एजेंसी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने अक्टूबर 2007 में अनुमानित उपभोग के आधार पर संस्थान के लिए 3,333⁴⁷ के0वी0ए० के स्थाई विद्युत भार संयोजन की स्वीकृति के लिए मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (विद्युत वितरण निगम) से अनुरोध किया था। मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने संस्थान के स्वीकृत मानचित्र तथा आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर स्वतंत्र फीडर के माध्यम से 33 के0वी0

⁴⁴ अप्रैल 2001 से मार्च 2008 तक ₹ 10 लाख तथा उसके पश्चात मई 2016 तक ₹ 6.86 लाख।

⁴⁵ वैज्ञानिक अधिकारी-3, विश्लेषक/लैब तकनीशियन-2 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4।

⁴⁶ रसायनों के क्रय के लिए प्रयोगशाला को धन उपलब्ध कराया गया— 2011–12 में ₹ एक लाख, 2012–13 में ₹ 2.50 लाख, 2013–14 में ₹ 2.50 लाख, 2014–15 में ₹ 2.50 लाख, 2015–16 में ₹ 2.50 लाख।

⁴⁷ 3000 कि.वा. = 3333 के0वी.ए. (0.9 कि.वा. = 1 के0वी.ए.)।

आपूर्ति वोल्टेज पर दर अनुसूची एच.वी.-1 के अन्तर्गत 6,298 के 0वी0ए0 विद्युत भार की स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2008) तथा अक्टूबर 2012 से विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ कर दी। दर अनुसूची एच.वी.-1 के अनुसार फिक्स्ड/डिमाण्ड चार्जज, वास्तविक भार के उपभोग या स्वीकृत भार के 75 प्रतिशत (ऐसे प्रकरण जिनमें वास्तविक उपयोग, स्वीकृत भार के 75 प्रतिशत से कम हो) के आधार पर बिजली का बिल दिया जाना था। बिजली की वास्तविक खपत के अनुसार विद्युत शुल्क के अलावा ₹ 240/- प्रति के 0वी0ए0 की दर से फिक्स्ड/डिमाण्ड चार्जज भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि स्थापित मीटर द्वारा दर्ज उपभोग जून 2013 से मार्च 2016 तक 1,200 से 2,257.80 के 0वी0ए0 था, जो यह दर्शाता है कि अक्टूबर 2007 में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा 3333 के 0वी0ए0 भार की स्वीकृति की माँग उपयुक्त थी। तथापि, संस्थान अपनी विद्युत आवश्यकताओं को निश्चित नहीं कर सका था, तथा यूपी. विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के नियम 4.41 के तहत वास्तविक माँग के स्वरूप के आधार पर स्वीकृत लोड 3333 के 0वी0ए0 तक कम करवाने के लिए विद्युत वितरण निगम के समक्ष प्रकरण ले जाने की कार्यवाही में असफल रहा। यदि, संस्थान ने स्वीकृत लोड को 3333 के 0वी0ए0 तक कम करवा लिया होता तो वह फिक्स्ड/डिमाण्ड चार्जज को जून 2013 से मार्च 2016 की अवधि के लिए ₹ 3.85 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.04 करोड़ का भुगतान करता। इस प्रकार विद्युत भार की माँग को संशोधित करवाने में अपनी विफलता के कारण संस्थान ने विद्युत वितरण निगम को ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया (परिशिष्ट 3.8)।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर संस्थान ने बताया कि विद्युत वितरण निगम विद्युत लोड स्वीकृत करने का अन्तिम प्राधिकारी था। यद्यपि, लेखापरीक्षा की आपत्ति पर संस्थान ने उक्त प्रकरण को विद्युत वितरण निगम के समक्ष (अगस्त 2016) उठाया तथा विद्युत वितरण निगम द्वारा लोड को कम करके 3000 के 0वी0ए0 (सितम्बर 2016) कर दिया गया। यद्यपि, विद्युत भार को कम कराने के लिए संस्थान द्वारा की गयी कार्यवाही सराहनीय है तथापि, तथ्य यथावत् है कि संस्थान प्रबन्धन विद्युत बिल में दर्ज अधिकतम माँग सूचक (एम.डी.आई.) के अनुसार लोड को कम करने के लिए कार्यवाही करने तथा अनावश्यक व्यय से बचने के लिए एवं अच्छे वित्तीय प्रबन्धन की दृष्टि से निर्णय लेने में असफल रहा।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के अनुसार, वास्तविक उपभोग के आधार पर स्वीकृत लोड में कमी के लिए आवेदन न कर पाने के कारण संस्थान द्वारा विद्युत वितरण निगम को फिक्स्ड/डिमाण्ड चार्जज के रूप में ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

प्रकरण शासन को जुलाई 2016 में संदर्भित किया गया था। वार्ता के दौरान शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की गयी (दिसम्बर 2016)।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग

3.19 निम्न दर की निविदाओं को अस्वीकृत करने के कारण ₹ 1.04 करोड़ की हानि

कारण निर्दिष्ट किये बिना निम्न दर की निविदाओं को अस्वीकृत कर अधिक दर पर अनुबन्ध गठित करने से शासन को ₹ 1.04 करोड़ की हानि

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 21 में वित्तीय औचित्य के मानक प्राविधानित हैं जिनके अनुसार प्रत्येक अधिकारी को लोकधन को व्यय अथवा प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के उच्च मानदण्डों से निर्देशित होना चाहिये। प्रत्येक अधिकारी को

वित्तीय नियम एवं कड़ी मितव्यप्रियता को भी लागू करना चाहिये एवं देखा जाना चाहिये कि उसके स्वयं के कार्यालय एवं अधीनस्थ संवितरण अधिकारियों द्वारा सभी वित्तीय नियमों एवं प्राविधानों का पालन किया गया है एवं लोकधन के व्यय में उसी प्रकार की सतर्कता बरते जाने की अपेक्षा की जाती है जैसा कि एक सामान्य विवेक के व्यक्ति द्वारा निजी धन के व्यय में बरती जाती है। अग्रेतर, शासन द्वारा आदेश दिया गया (दिसम्बर 2007) कि निविदा आमंत्रित करने वाला अधिकारी निविदादाताओं से विभागीय प्राक्कलन से कम दर पर अपनी दरें देने का विस्तृत औचित्य पूछे एवं यह भी निर्देशित किया गया था (जून 2012) कि प्राक्कलित दरों से कम दर देने वाले निविदादाताओं से अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति जमा करायी जाये।

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, हमीरपुर (अधिशासी अभियन्ता) के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2013 एवं जनवरी 2016) में पाया गया कि 27 चेकडैमों के निर्माण हेतु निविदायें आमंत्रित⁴⁸ की गयी थीं एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा 26 चेकडैमों की निविदाओं को निरस्त कर दिया गया था जिनकी दरें विभागीय प्राक्कलन की तुलना में 15.43 प्रतिशत से 39.55 प्रतिशत कम दी गयी थीं। निविदादाताओं से कम दरें दिये जाने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं माँगा गया था। अधिशासी अभियन्ता के स्तर से यह अनुचित था कि निर्देशों के अनुसार निविदादाताओं से विभागीय दर से कम दर दिये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत औचित्य पूछे बिना ही निविदाओं को निरस्त कर दें। अधिशासी अभियन्ता द्वारा निविदाओं को निरस्त करने के कारण को भी अभिलिखित नहीं किया गया था। अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा उक्त समस्त कार्यों हेतु पुनः निविदायें⁴⁹ आमंत्रित कर 22 चेकडैमों के निर्माण हेतु निरस्त की गई निविदाओं की दरों से अधिक दर पर अनुबन्ध गठित किये गये थे। जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 1.04 करोड़ की हानि हुई (परिशिष्ट 3.9)। अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर में बताया कि स्वस्थ प्रतियोगी भावना के स्थान पर कार्य को रोकने के उद्देश्य से निविदादाताओं द्वारा जानबूझ कर बार-बार न्यूनतम दरों की निविदा उद्धृत की गयी थी। तथापि, यह पाया गया कि अगली बार उसी कार्य हेतु प्राक्कलित दरों से कम दरों (13.87 से 31.52 प्रतिशत) पर निविदायें उद्धृत की गयी थीं जिन्हें अधिशासी अभियन्ता द्वारा पूर्व के प्रकरणों में दिये गए तर्क के आधार पर निरस्त कर दिया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, निविदाओं के विवेकहीन अस्वीकृति एवं उच्च दर पर कार्य कराये जाने के कारण शासन को ₹ 1.04 करोड़ की हानि हुई।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (सितम्बर 2016)। शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया एवं बताया (दिसम्बर 2016) कि उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

3.20 ₹ 5.94 करोड़ का अलाभकारी व्यय

रेन वॉटर हार्डस्टिंग/रिचार्जिंग संरचनाओं के निर्माण पर ₹ 5.94 करोड़ का अलाभकारी व्यय

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 के अनुसार किसी भी परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट में प्रारम्भिक पर्यावरणीय विश्लेषण एवं जोखिम कारकों पर भी ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

⁴⁸ निविदा सं 01 / 07.11.2012।

⁴⁹ निविदा सं 03 / 03.12.2012, 05 / 21.12.2012, 06 / 09.01.2013, 07 / 24.02.2012।

भारत सरकार के जल संसाधन मन्त्रालय द्वारा भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजनान्तर्गत प्रदर्शनात्मक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिंग परियोजना की स्वीकृति (नवम्बर 2010) प्रदान की गई। परियोजना के अंतर्गत, जनपद लखनऊ में चिन्हित 116 उद्यानों में रिचार्जिंग कार्य हेतु ₹ 10.61 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। आवंटित धनराशि के सापेक्ष ₹ 7.29 करोड़ प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई (नवम्बर 2010)।

निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ (निदेशक) की लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2014 एवं जुलाई 2016) तथा अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड से एकत्रित सूचना में पाया गया की भूगर्भ जल विभाग द्वारा ₹ 2.94 करोड़ की लागत से 42 उद्यानों में रिचार्जिंग संरचनाओं का निर्माण किया गया (अक्टूबर 2012) तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा ₹ 3.00 करोड़ की लागत से 38 उद्यानों में रिचार्जिंग संरचनाओं का निर्माण किया गया (जनवरी 2012)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा यह सुनिश्चित करने का निर्देश⁵⁰ (जून 2011) दिया गया कि वर्षा ऋतु में कोई प्रदूषित जल, जिसमें हानिकारक तत्व एवं रसायन हों, का रिसाव भूमि में न किया जाये जिससे भूगर्भ जल प्रदूषित हो। यह भी पाया गया कि भारतीय विषविज्ञान अनुसन्धान संस्थान (अनुसन्धान संस्थान) द्वारा सुझाव (अक्टूबर 2011) दिया गया था कि भूगर्भ जल की रिचार्जिंग नियोजित एवं सुव्यवस्थित तरीके से समुचित निगरानी के साथ किये जाने पर भूगर्भ जल के प्रदूषित होने का खतरा नहीं होगा। विशेष सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग के निर्देश (जुलाई 2012) पर इंदिरा नगर और गोमती नगर के उद्यानों से सितम्बर 2012 में अनुसन्धान संस्थान द्वारा जल के नमूने एकत्र⁵¹ किये गये और पाया कि जीवाणु गुणवत्ता अस्वीकार्य थी। अनुसन्धान संस्थान द्वारा रिचार्जिंग प्रणाली में समस्याओं के सुधार हेतु दिए गये सुझाव के अनुसार निराकरण किये जाने के स्थान पर माननीय मंत्री, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की अध्यक्षता (अक्टूबर 2012) में रिचार्जिंग संरचनाओं को नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। अग्रेतर, प्रदूषित जल का रिसाव भूमि में न हो इसे सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली विकसित करने के स्थान पर भूगर्भ जल विभाग और लघु सिंचाई विभाग द्वारा रिचार्जिंग संरचनाओं को प्लग कर दिया गया। भूगर्भ जल विभाग द्वारा (मई एवं जून 2016) बताया गया कि 42 उद्यानों के रिचार्जिंग संरचनाओं को जनवरी 2013 में नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित किया गया। यद्यपि, यह पाया गया कि रिचार्जिंग संरचनाओं को अब तक नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2016), शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बोर–वेलों को प्लग किया गया था। शासन का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मात्र यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि कोई भी प्रदूषित जल का रिसाव भूगर्भ जल में न हो परन्तु विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के स्थान पर बोर–वेलों को प्लग कर दिया गया था। अग्रेतर, विभाग के कथन के विपरीत बोर–वेलों को अभी तक नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

इससे स्पष्ट था कि विभाग द्वारा पर्याप्त व्यवहार्यता अध्ययन किये बिना परियोजना का क्रियान्वयन किया गया था जिसके फलस्वरूप ₹ 5.94 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ।

⁵⁰ जनपद के इंदिरा नगर एवं गोमती नगर क्षेत्रवासियों द्वारा दाखिल जनहित याचिका।

⁵¹ भूगर्भ जल विभाग, लघु सिंचाई विभाग, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड के अधिकारियों के दल एवं आई.आई.टी.आर. के प्रतिनिधियों के संयुक्त दल द्वारा एकत्रित जल नमूने।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं वक्फ विभाग

3.21 पॉलीटेक्निक भवन निर्माण पर निष्फल व्यय

बागपत जिले में पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के सिविल कार्य पर ₹ 8.00 करोड़ का व्यय निष्फल रहा एवं ₹ 4.30 करोड़ सरकारी खाते के बाहर पड़े रहने के परिणामस्वरूप ₹ 0.81 करोड़ के ब्याज की क्षति।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर 456 के अनुसार, ठेकेदारों को अग्रिम का भुगतान निषिद्ध है अतः इस बात का हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए कि वास्तविक रूप से किए गए कार्य के अतिरिक्त ठेकेदारों को कोई अन्य भुगतान न किया जाए। इसके अतिरिक्त शासकीय हित सुरक्षित रखने हेतु लोक निर्माण विभाग का आदर्श निविदा प्रपत्र⁵² (जनवरी 2007) में ठेकेदार द्वारा कार्य को निर्धारित समयबद्धता का अनुपालन न किए जाने की दशा में ठेकेदार पर अर्थदण्ड आरोपित किए जाने का प्राविधान है। नियमों में कार्य को प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दिये जाने का भी प्राविधान है।

अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में केन्द्र प्रायोजित बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने (अप्रैल 2011) बागपत जिले के किरथल में ₹ 12.30 करोड़ की लागत से एक राजकीय पॉलीटेक्निक (दो छात्रावासों सहित) निर्माण की स्वीकृति दी। स्वीकृत धनराशि ₹ 12.30 करोड़ में, ₹ 8.00 करोड़ सिविल कार्यों हेतु तथा ₹ 4.30 करोड़ फर्नीचर, वाहन, पुस्तकालय, मशीनरी इत्यादि के लिए सम्मिलित थे।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बागपत के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2015) एवं तत्पश्चात् निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण (निदेशक) से सूचनाओं का संग्रह किए जाने पर ज्ञात हुआ कि शासन द्वारा अप्रैल 2011 में उ0प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को बिना किसी प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया तथा निर्माण कार्य हेतु उ0प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं शासन के मध्य समझौता ज्ञाप हस्ताक्षरित किया गया। ₹ 6.15 करोड़ की धनराशि (सिविल कार्य हेतु चिन्हित धनराशि का 77 प्रतिशत) शासन द्वारा उ0प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को समझौता ज्ञाप हस्ताक्षर होने के पूर्व अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गई (अप्रैल 2011) जो कि वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम 456 में उल्लिखित मूलभूत वित्तीय सिद्धान्तों का उल्लंघन है। उ0प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ने प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जनवरी 2013 में प्रस्तुत किया। इसके बाद जुलाई 2013 में शासन ने दूसरी किश्त इस शर्त पर अवमुक्त की कि कार्य चार महीने के अन्दर पूर्ण करना होगा तथा परियोजना की लागत में वृद्धि होने की दशा में कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी।

लेखापरीक्षा से अग्रेतर ज्ञात हुआ कि निदेशक द्वारा सितम्बर 2013 में ₹ 6.15 करोड़ की द्वितीय किश्त उपलब्ध कराई गई जिसमें फर्नीचर, गाड़ी, पुस्तकालय एवं मशीनरी हेतु निश्चित राशि ₹ 4.30 करोड़ भी सम्मिलित थी, जो कि उ0प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के पास अक्टूबर 2016 तक लम्बित थी। उ0प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मई 2014 में सिविल कार्य हेतु ₹ 14.06 करोड़ का संशोधित आगणन प्रस्तुत किया गया जिसका जिले की तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया तथा ₹ 13.62 करोड़ का संशोधित आगणन स्वीकृत हेतु शासन को भेजा गया (अक्टूबर 2014)। मल्टी सेक्टरल योजनाओं के संशोधित लागत के परीक्षण हेतु गठित समिति ने संशोधित

⁵² अनुबन्ध की मानक नियम एवं शर्तें जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा जिस पर आम सहमति है।

आगणन के प्रस्ताव को इस आधार पर अनुचित पाया (जून 2015) कि प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने में उल्लेखनीय विलम्ब होने के कारण लागत में वृद्धि हुई है। दिसम्बर 2014 तक उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सिविल कार्य हेतु अग्रिम रूप में अवमुक्त ₹ 8.00 करोड़ व्यय करके मात्र 64 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया। कार्य जनवरी 2015 में रोक दिया गया और आगे इसमें कोई प्रगति नहीं हुई क्योंकि उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ने शासन को प्रस्तुत संशोधित आकलन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि की माँग की थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया (मार्च 2015) कि लागत वृद्धि एवं धन की अनुपलब्धता के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को वित्तीय नियमों के उल्लंघन के बावजूद अग्रिम के रूप में धन अवमुक्त किया गया तथापि उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त कार्य निर्धारित लागत पर दिया गया था तथा लागत में कोई संशोधन अनुमन्य नहीं था। उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किए गए कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति कार्य में कोई सामंजस्य न होने पर भी उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। ₹ 4.30 करोड़ जो कि फर्नीचर, वाहन, पुस्तकालय, मशीनरी, इत्यादि के लिए चिन्हित थे अभी भी उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के पास पड़े थे।

इस प्रकार विभाग की विफलता के कारण, धनराशि की द्वितीय एवं अन्तिम किश्त अवमुक्त होने (सितम्बर 2013) के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सिविल कार्य पूर्ण नहीं हुआ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.00 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त फर्नीचर, गाड़ी, मशीनरी, पुस्तकालय मद की राशि ₹ 4.30 करोड़ का उपयोग राजकीय पॉलीटेक्निक किरथल, बागपत को क्रियाशील बनाने हेतु नहीं किया जा सका तथा धनराशि सरकारी खाते के बाहर उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के पास पड़ी होने के कारण ₹ 0.81 करोड़ की ब्याज की धनराशि (जिसकी गणना शासन द्वारा उधार लिए जाने की तत्कालीन दरों⁵³ पर की गई) की हानि हुई। इस प्रकार अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाने का लक्ष्य अपूर्ण रहा तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थी, रोजगार उन्मुख प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहे।

शासन ने वार्ता के समय (नवम्बर 2016) तथ्यों एवं ऑकड़ों को स्वीकार किया।

लोक निर्माण विभाग

3.22 ठेकेदारों को अनधिकृत भुगतान

प्रान्तीय खण्ड, मऊ और वाराणसी द्वारा इण्डियन रोड कॉन्सर्स के मानदण्डों और प्रमुख अभियन्ता के आदेशों का उल्लंघन कर सड़क के सुदृढ़ीकरण में डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम की परत डालने में, अधिक बिटुमिन कर्नेट का उपयोग करने के कारण ठेकेदारों को ₹ 2.35 करोड़ का अनधिकृत भुगतान किया जाना

इण्डियन रोड कॉन्सर्स—111—2009⁵⁴ के अनुसार, मार्ग के निर्माण में, जहाँ डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम की परत की मोटाई 7.5 सेमी से 0 से 10 से अधिक है वहाँ 4 प्रतिशत

⁵³ 2013-14: ₹ 0.27 करोड़ (6.43 प्रतिशत), 2013-14: ₹ 0.27 करोड़ (6.40 प्रतिशत), 2013-14: ₹ 0.27 करोड़ (6.35 प्रतिशत) गणना औसत दर पर की गई।

⁵⁴ प्रस्तर 3.52

बिटुमिन कन्टेंट स्वीकार्य है। अग्रेतर, प्रमुख अभियन्ता के परिपत्र (जुलाई 2012) के अनुसार, जहाँ डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम क्रस्ट की मोटाई 7.5 से 0मी0 से अधिक है वहाँ 4 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट का प्रयोग होना था और इससे अधिक बिटुमिन कन्टेंट पर ठेकेदार को अतिरिक्त धनराशि देय नहीं थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इण्डियन रोड कॉग्रेस की विशिष्टियों और प्रमुख अभियन्ता के विनिर्देशों, के विपरीत निम्नलिखित विचलन करके वांछित 4 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट के स्थान पर 4.5 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट का प्रयोग किया गया था:

प्रकरण—I

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मऊ के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2015) में पाया गया कि शासन द्वारा “अलीनगर—इन्दारा—मझवारा—मधुबन मार्ग (शहीद मार्ग)” के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 12.00 और कि0मी0 12.00 से कि0मी0 23.40 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु क्रमशः ₹ 22.22 करोड़ और ₹ 21.84 करोड़ की लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (जनवरी 2013) की गयी। मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, द्वारा विस्तृत आगणन, जिसमें विशिष्टियों के अनुसार 9 से 0मी0 डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम क्रस्ट के लिए स्वीकार्य 4 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट के विरुद्ध 4.5 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (जनवरी 2013) की गयी। तदनुसार, अधीक्षण अभियन्ता, बलिया वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बलिया द्वारा जनवरी 2013 में दो अनुबन्ध⁵⁵ क्रमशः ₹ 20.20 करोड़ और ₹ 19.76 करोड़ के गठित किये गये और कार्य अभी प्रगति में था। ठेकेदार को उपरोक्त दोनों कार्यों के लिये माह मार्च 2016 एवं जून 2015 तक क्रमशः ₹ 20.14 करोड़⁵⁶ और ₹ 18.54 करोड़⁵⁷ का भुगतान किया जा चुका था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मानदण्ड के अनुसार डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम में वाँछित 4 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट के अनुरूप 18.00 टन बिटुमिन के विपरीत खण्ड द्वारा 4.5 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट अर्थात् 20.250 टन का प्रयोग किया गया था। मुख्य अभियन्ता द्वारा मानदण्ड का अतिक्रमण कर अधिक बिटुमिन कन्टेंट का अनुमोदन करके डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम में 2.250 टन⁵⁸ का अधिक उपयोग किये जाने से ₹ 00.80 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था। (परिशिष्ट 3.10)।

प्रकरण-II

इसी प्रकार, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर, 2015) में पाया गया कि शासन द्वारा “मोहन सराय—कैण्ट मार्ग (शहरी भाग)” के कि0मी0 319.00 से कि0मी0 330.30 (कुल 11.300 किमी) तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु लागत ₹ 40.39 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (सितम्बर 2013) की गयी। मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र द्वारा तैयार किए गये विस्तृत आगणन जिसमें विशिष्टियों के अनुसार 12 से 0मी0 डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम क्रस्ट के लिए स्वीकार्य 4 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट के विरुद्ध 4.5 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (सितम्बर 2013) की गयी।

⁵⁵ अनुबन्ध संख्या—08 / एस0ई0—बलिया वृत्त दिनांक 19.01.2013 ₹ 20.20 करोड़ और अनुबन्ध संख्या—09 / एस0ई0—बलिया वृत्त दिनांक 19.01.2013 ₹ 19.76 करोड़

⁵⁶ 9वाँ चालू देयक दिनांक 31.03.2016

⁵⁷ 10वाँ चालू देयक दिनांक 18.06.2015

⁵⁸ रोड़ी मिश्रण के भार का 4.5 प्रतिशत बिटुमिन 20.250 टन — रोड़ी मिश्रण के भार का 4 प्रतिशत बिटुमिन 18.000 टन = 2.250 टन।

तदनुसार, अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी वृत्त, वाराणसी द्वारा सितम्बर 2013 में ₹ 34.83 करोड़ का अनुबन्ध⁵⁹ गठित किया गया और कार्य सितम्बर 2015 में पूर्ण कर लिया गया तथा सम्पादित कार्य के सापेक्ष कुल ₹ 37.50 करोड़⁶⁰ का व्यय मार्च 2016 तक किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मानदण्ड के अनुसार डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम में वॉचित 4 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट के अनुरूप 18.00 टन बिटुमिन के विपरीत खण्ड द्वारा 4.5 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट (20.250 टन) का प्रयोग किया जाना स्वीकार किया गया था। उसी रूप में, मुख्य अभियन्ता द्वारा अधिक बिटुमिन कन्टेंट का अनुमोदन करके 2.250 टन⁶¹ का अधिक उपयोग किये जाने से ₹ 1.55 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया था (परिशिष्ट 3.10)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (मई 2016), वार्ता (नवम्बर 2016) में शासन ने अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मऊ के तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, वाराणसी के सम्बन्ध में बताया गया कि डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम की लेयर, दो लेयरों में अर्थात् 70 मि०मी० एवं 50 मि०मी० की डाली गयी जो कि दिशा-निर्देशों के अनुरूप था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रमुख अभियन्ता के परिपत्र के अनुसार यदि डेन्स ग्रेडेड बिटुमिन मैकेडम लेयर की कुल मोटाई 75 मि०मी० से अधिक है तब मिश्रण में 4 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेन्ट का उपयोग होगा। अग्रेतर, प्रमुख अभियन्ता के द्वारा निर्गत, निर्देशों में यह प्राविधान नहीं था कि यदि डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम की लेयर 75 मि०मी० से अधिक है तो उसको दो लेयरों में विभक्त करके 4.5 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेन्ट का उपयोग होगा।

इस प्रकार, मुख्य अभियन्ता द्वारा मानदण्डों का उल्लंघन करके डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम में 2.250 टन⁶² अधिक बिटुमिन मात्रा के अनुमोदन से ₹ 2.35 करोड़ (₹ 0.80 करोड़ + ₹ 1.55 करोड़) का परिहार्य व्यय किया गया था।

3.23 वेट मिक्स मैकेडम की अधिक खपत

मार्ग के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण में वेट मिक्स मैकेडम की अधिक मात्रा का उपयोग करने के कारण ₹ 2.79 करोड़ का परिहार्य व्यय।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 318 में प्राविधानित है कि प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति का तात्पर्य ऐसे प्राक्कलन से है जो वास्तविकता के अनुरूप तैयार किया गया हो तथा प्राक्कलन में पर्याप्त एवं वास्तविक आंकड़ों के आधार पर गणना की गयी हो। मार्ग के सुदृढीकरण के कार्य में सामान्यतः ओवरले की मोटाई बिटुमिनस मैकेडम लेयर की मोटाई के सापेक्ष अभिव्यक्त की जाती है। यदि ओवरले में अन्य संयोजन जैसे वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम, और बिटुमिनस कांक्रीट का उपयोग किया जाता है तो सुदृढीकरण के लिये ओवरले की मोटाई प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित समतुल्य गुणक प्रयोग में लाया जाता है:

$$1 \text{ से}0\text{मी}0 \text{ बिटुमिनस मैकेडम} = 1.5 \text{ से}0\text{मी}0 \text{ वेट मिक्स मैकेडम}$$

⁵⁹ अनुबन्ध संख्या-55 / एस030-वाराणसी वृत्त दिनांक 27.09.2013 ₹ 34.83 करोड़।

⁶⁰ 37वें अन्तिम देयक दिनांक 31.03.2016।

⁶¹ रोड़ी मिश्रण के भार का 4.5 प्रतिशत बिटुमिन 20.250 टन – रोड़ी मिश्रण के भार का 4 प्रतिशत बिटुमिन 18.000 टन = 2.250 टन।

⁶² रोड़ी मिश्रण के भार का 4.5 प्रतिशत बिटुमिन 20.250 टन – रोड़ी मिश्रण के भार का 4 प्रतिशत बिटुमिन 18.000 टन = 2.250 टन।

1 से०मी० बिटुमिनस मैकेडम =0.7 से०मी० डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम/बिटुमिनस कांक्रीट

लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त नियम के प्राविधान का उल्लंघन करने के अधिक परिहार्य व्यय हुआ जैसा कि निम्नवत् परिचर्चित है :

शासन ने बुलन्दशहर—अनूप शहर मार्ग (एम०डी०आर०—५८), किमी ०२.०० से २०.०० (कुल १९.०० किमी) तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए राज्य मार्ग निधि के अन्तर्गत ₹ ४१.६१ करोड़ लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जनवरी २०१३ में प्रदान की थी। मुख्य अभियंता, मेरठ क्षेत्र, ने समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (जनवरी २०१३)। तकनीकी स्वीकृति के अनुसार, मार्ग का चौड़ीकरण ५.५० मीटर से ७.०० मीटर तक तथा मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिये मार्ग की वर्तमान क्रस्ट की मोटाई २२.५० से०मी० से बढ़ाकर ५६.५० से०मी० करने के लिये नॉन बिटुमिनस कार्य जैसे वेट मिक्स मैकेडम, बिटुमिनस कार्य जैसे डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम एवं बिटुमिनस कांक्रीट कराया जाना था। अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर वृत्त, के द्वारा उक्त कार्य के निष्पादन हेतु अनुबन्ध पत्र^{६३} (फरवरी २०१३) में गठित किया और कार्य ₹ ३३.०३ करोड़^{६४} व्यय करने के उपरान्त सितम्बर २०१४ में समाप्त किया गया था।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, बुलन्दशहर की लेखापरीक्षा (नबम्बर २०१४) में, अग्रेतर संवीक्षा मई २०१६ में पुनः पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता की स्वीकृति के पश्चात्, इण्डियन रोड कॉर्पोरेशन विशिष्टियों के अनुसार २६.४२ से०मी० बिटुमिनस मैकेडम के समतुल्य ओवरले मोटाई के सापेक्ष ३१.४२ से०मी० बिटुमिनस मैकेडम बिछाई गयी। विस्तृत आगणन जिसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा बनाया गया, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संस्तुति की गयी तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी, की लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिटुमिनस मैकेडम की मोटाई के समतुल्य वेट मिक्स मैकेडम मोटाई की लेयर को बदलने में त्रुटि की गयी जिसके परिणामस्वरूप ५ से०मी० अधिक ओवरले की स्वीकृति निम्न सारणी के अनुसार सम्पादित की गयी:

सारणी ५: वेट मिक्स मैकेडम की अधिक ओवरले का विवरण

क्र. सं.	कार्य का माद	इण्डियन रोड कॉर्पोरेशन ८१—१९९७ के अनुसार २६.४२ से०मी० ओवरले का मानदंड		तकनीकी स्वीकृति के अनुसार		वास्तविक सम्पादन		अधिक ओवरले (से०मी० में) (कॉलम ८-६)
		कार्य जो सम्पादित किया जाना चाहिए था (से०मी० में)	बिटुमिनस मैकेडम मोटाई के समतुल्य (से०मी० में)	कार्य जो सम्पादित किया जाना चाहिए था (से०मी० में)	बिटुमिनस मैकेडम मोटाई के समतुल्य (से०मी० में)	कार्य जो सम्पादित किया गया (से०मी० में)	बिटुमिनस मैकेडम मोटाई के समतुल्य (से०मी० में)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
1.	डब्ल्यू०एम०	15.00	10.00	22.50	10.00	22.50	15.00	5.00
2.	डी०बी०एम०	7.50	10.71	7.50	10.71	7.50	10.71	0.00
3.	बी०सी०	4.00	5.71	4.00	5.71	4.00	5.71	0.00
कुल योग		26.50	26.42	34.00	26.42	34.00	31.42	5.00

अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा आगणन को तैयार करने में गलती के कारण तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा तकनीकी स्वीकृति में गलती के कारण, बिटुमिनस

^{६३} सी०बी०न०१६/एस०इ०—बी०एस०आर०ओ०/१२—१३ दिनांक ०५.०२.२०१३।

^{६४} १३वाँ रनिंग बिल नं० २४ दिनांक २२.०९.२०१४।

मैकेडम के समतुल्य 26.42 से0मी0 आवश्यक ओवरले के स्थान पर 31.42 से0मी0⁶⁵ ओवरले बिछाई गयी जिसके परिणामस्वरूप कार्य की समाप्ति पर (जनवरी 2014), 10,500 घनमीटर वेट मिक्स मैकेडम का अधिक कार्य संपादित किया गया। इस प्रकार, मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य में, मार्ग पर अधिक ओवरले के कारण, ₹ 2.79 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

लेखा परीक्षा में इंगित (नबम्बर 2014) किये जाने पर, मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकार किया गया (मई 2015) कि आई0आर0सी0 81–1997 के अनुसार ओवरले की डिजाइन में बिटुमिनस मैकेडम के समतुल्य 22.5 से0मी0 वेट मिक्स मैकेडम को 15 से0मी0 लेने के स्थान पर गलती से 10 से0मी0 ले लिया गया था। अग्रेतर उनके द्वारा बताया गया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विषय को प्रमुख अभियन्ता के पास अग्रसारित कर दिया गया है।

शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की गयी (दिसम्बर 2016) तथा बताया गया कि तकनीकी स्वीकृति इण्डियन रोड कॉंग्रेस 81–1997 के अनुसार दी गयी थी परन्तु कार्य इण्डियन रोड कॉंग्रेस – 37 के अनुसार संपादित किया गया था। उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि खण्ड के द्वारा मुख्य अभियन्ता द्वारा दी गयी तकनीकी स्वीकृति का उल्लंघन किया गया तथा वेट मिक्स मैकेडम की अधिक मात्रा का उपयोग करने के कारण ₹ 2.79 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

3.24 मार्ग के निर्माण पर ₹ 12.72 करोड़ का अधिक व्यय

विभाग के आदेशों के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग के दो खण्डों द्वारा 71 कि0मी0 मार्ग के निर्माण में ड्रेनेज लेयर के रूप में 150 मि0मी0 ग्रेनुलर सबबेस बिछाये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 12.72 करोड़ का परिहार्य व्यय।

इण्डियन रोड कॉंग्रेस के दिशा–निर्देश के प्रस्तर 3 के अनुसार काली कपासी मिट्टी के सबग्रेड में 225 मि0मी0 मोटाई का ब्लैंकेट कोर्स सबबेस के रूप में प्रभावी इन्ड्रूजन बैरियर की तरह कार्य करने के लिए पूर्ण फॉरमेशन की चौड़ाई में बिछाया जाना चाहिये। प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के द्वारा निर्देशों (सितम्बर, 2005) में दोहराया गया कि वह मार्ग जो काली कपासी मिट्टी से होकर जाते हैं वहाँ पर 225 मि0मी0 मोटाई का ब्लैंकेट कोर्स मीडियम सैंड, स्टोन डस्ट या नॉन प्लास्टिक मोरम के रूप में पूर्ण फॉरमेशन चौड़ाई में बिछाया जाना चाहिये।

शासन ने एरच–गुरसहाय–मऊरानीपुर मार्ग (एम0डी0आर0–31), किमी 01.00 से कि0मी0 71.00 (कुल 71.00 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए ₹ 142.25 करोड़⁶⁶ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जनवरी 2014 में प्रदान की थी। मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र, झांसी ने इस कार्य के विस्तृत आगणन के लिए समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति जनवरी 2014 में प्रदान की। विस्तृत आगणन के अनुसार मार्ग की कैलिफोरनिया बियरिंग रेशियो 3 प्रतिशत एवं मिलियन स्टैन्डर्ड एक्सल (एम0एस0ए0) 29.60 था। इस अनुसार, पेवमेन्ट की रचना में 415 मि0मी0 क्रस्ट की मोटाई में 300 मि0मी0 वेट मिक्स मैकेडम, 75 मि0मी0 डेन्स ग्रेड बिटुमिनस मैकेडम एवं 40 मि0मी0 बिटुमिनस कंक्रीट स्वीकृत की गयी। चूंकि, मार्ग काली कपासी मिट्टी वाले क्षेत्र में था, अतः 225 मि0मी0 स्टोन डस्ट की ब्लैंकेट कोट की लेयर (आगणित मात्रा 1,54,204 घन मीटर) का प्राविधान सबग्रेड की पूर्ण फॉरमेशन चौड़ाई⁶⁷ में काली कपासी मिट्टी पर इन्ड्रूजन बैरियर की तरह किया गया। अग्रेतर, 150 मि0मी0 ग्रेनुलर

⁶⁵ डी0बी0एम0 7.50 से0मी0 बी0एम0 के समतुल्य गुणक=10.71 से0मी0, डब्ल्यू0एम0एम=22.50 से0मी0 बी0एम0 के समतुल्य गुणक=15 से0मी0, बी0सी0=4.00 से0मी0 बी0एम0 के समतुल्य गुणक=5.71 से0मी0 कुल योग=31.42 से0मी0 बी0एम0 के समतुल्य।

⁶⁶ किमी0 1.00 से 20.00 तक ₹ 40.05 करोड़ और किमी0 21.00 से किमी0 71.18 तक ₹ 102.20 करोड़।

⁶⁷ फॉरमेशन या रोड–वे की चौड़ाई कैरिज–वे की चौड़ाई, सेपरेटर और सोल्डर्स को समिलित कर होती है।

सबबेस (आगणित मात्रा 127274 घन मीटर) की लेयर का प्राविधान भी ड्रेनेज के उद्देश्य से किया गया। अधीक्षण अभियन्ता, झांसी वृत्त, झांसी द्वारा कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए दो अनुबन्ध⁶⁸, जिसके कार्य समाप्त करने की तिथि अगस्त 2015 थी, निम्न दो फर्मों के साथ गठित किये गये:

सारणी 6: अनुबन्धों का विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	लम्बाई	अनुबन्ध संख्या	प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की निर्धारित तिथि	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	निर्माण खण्ड-III, लोक निर्माण विभाग, झांसी	किमी 1.00 से किमी 20.00	सीबी नं. 74/एसई-जे एचएस सर्कुलर/ 2013-14 दिनांक 03.02.2014 (11.25 प्रतिशत अधिक पर)	03.02.2014	02.08.2015	35.64
2	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झांसी	किमी 21.00 से किमी 71.18	सीबी नं. 76/एसई-जे एचएस सर्कुलर/ 2013-14 दिनांक 12.02.2014 (14.00 प्रतिशत अधिक पर)	12.02.2014	11.08.2015	91.93

अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2015) और अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, झांसी (फरवरी 2016) और अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-III, झांसी (अप्रैल 2016) से अग्रेतर एकत्रित सूचना में पाया गया कि मार्ग की पूर्ण फॉरमेशन चौड़ाई में सबग्रेड की काली कपासी मिट्टी के इन्दूजन बैरियर को रोकने के लिये 1,38,911 घन मीटर⁶⁹ स्टोन डस्ट की ब्लैकेट कोट की लेयर बिछाई गयी। अग्रेतर, ब्लैकेट कोट के ऊपर पूर्ण फॉरमेशन चौड़ाई में ड्रेनेज लेयर के रूप में 150 मि०मी० ग्रेनुलर सबबेस बिछाई गयी, जिसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 225 मि०मी० स्टोन डस्ट का ब्लैकेट कोट इन्दूजन बैरियर की तरह कार्य करता है तथा काली कपासी मिट्टी में नमी एवं वर्षा के कारण क्षति रोकने में सक्षम था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2016) कि मार्ग के चौड़ीकरण में पूरी फॉरमेशन चौड़ाई में सबबेस के निर्माण में सबग्रेड के ऊपर 225 मि०मी० मोटाई की स्टोन डस्ट के बाद 150 मि०मी० मोटाई की ग्रेनुलर सबबेस फिल्टर लेयर के रूप में कार्य करने के लिये बिछायी गयी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मार्ग के चौड़ीकरण भाग के पश्चात, मार्ग के कैरिजवे के बाद से फॉरमेशन एज तक 68175.30 घन अधिक ग्रेनुलर सबबेस का अधिक उपयोग किये जाने से ₹ 12.72 करोड़⁷⁰ का परिहार्य व्यय हुआ (परिशिष्ट 3.11)।

3.25 ठेकेदार को ₹ 2.62 करोड़ का अधिक भुगतान

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग से सम्बन्धित उच्च विशिष्टि अपनाये जाने के कारण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से कैरेक्टिरिस्टिक डिफलेक्शन की गणना के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 2.62 करोड़ का अधिक भुगतान।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 318 के अनुसार कार्य की तकनीकी स्वीकृति यह सुनिश्चित करती है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सही हैं तथा आगणन की गणनाएँ सटीक एवं समुचित ऑकड़ों पर आधारित हैं। अग्रेतर, इण्डियन रोड कॉग्रेस⁷¹ में यह प्राविधान है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिये बैकलमैनबीम टेस्ट में इन्डिविजुअल डिफलेक्शन में स्टैन्डर्ड डैवियेशन का दुगुना जोड़कर ओवरले क्रस्ट डिजाइन निर्धारित होती है। यद्यपि, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग

⁶⁹ ब्लैकेट कोट लेयर की मात्रा प्रान्तीय खण्ड में 98,645 घनमीटर और निर्माण खण्ड में 40,266 घनमीटर।

⁷⁰ प्रान्तीय खण्ड में 48,882 घन मीटर x ₹ 1647.00 = ₹ 8,05,09,148 + ₹ 12,71,281 (करार की दर से 14.00 प्रतिशत अधिक पर) ₹ 9.17 करोड़ (53वें रनिंग वाउचर नं० 49 दिनांक 31.12.2015) और निर्माण खण्ड में 19,296 घन मीटर x ₹ 1650.00 = ₹ 3,18,38,400 + ₹ 35,81,820 (करार की दर से 11.25 प्रतिशत अधिक पर) ₹ 3.54 करोड़ (10 वें रनिंग वाउचर नं० 28 दिनांक 18.01.2016)।

⁷¹ आईआरआर०सी० 81-1997।

रोड के अतिरिक्त अन्य मार्गों के लिये इन्डिविजुअल डिप्लेक्शन⁷² में स्टैन्डर्ड डेवियेशन एक बार जोड़ा जाता है।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कन्नौज के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (सितम्बर 2015) कि शासन ने कन्नौज में रामाश्रम से जी0टी0 रोड, किमी 00.00 से 19.500 (कुल 19.500 किमी) के चौड़ीकरण कार्य के लिए ₹ 11.87 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अन्य जिला मार्ग के रूप में वर्गीकृत करते हुए प्रदान की थी (जनवरी 2013)। मुख्य अभियंता, कानपुर क्षेत्र, कानपुर ने इस कार्य के विस्तृत आगणन की ₹ 11.19 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2013)। अधीक्षण अभियन्ता कन्नौज–फरल्खाबाद वृत्त, के द्वारा उक्त कार्य की समाप्ति के लिये जुलाई–2014 की तिथि निर्धारित करते हुए अनुबन्ध⁷³ गठित किया गया (जुलाई 2013)। यह पाया गया कि जुलाई 2013 में चौड़ीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा दो किमी0 की लम्बाई में मार्ग (17.500 से 19.500 किमी0 तक) बनाने पर ₹ 28.79 लाख व्यय करने के पश्चात् शासन द्वारा कार्य के क्षेत्र को बढ़ाते हुए “चौड़ीकरण” से “चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण” करते हुए मार्ग की पुनः संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 28.83 करोड़ की प्रदान की गयी। तदनुसार, मुख्य अभियंता, कानपुर क्षेत्र, कानपुर द्वारा इस कार्य के विस्तृत आगणन के लिए ₹ 27.63 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (मार्च 2015) सुदृढ़ीकरण की विशिष्टियों के साथ वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम एवं सेमीडेन्स बिटुमिनस मैकेडम की उच्च विशिष्टियों को अपनाते हुये जो केवल राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के लिये अनुमन्य थी, प्रदान की गयी।

अग्रेतर, विभाग द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिये बैकलमैन बीम डिप्लेक्शन टेस्ट⁷⁴ (अक्टूबर 2013) कराया गया था जिसमें दोनों चैनेजों के लिये कैरेक्टिरिस्टिक डिप्लेक्शन⁷⁵ की गणना, इन्डिविजुल डिप्लेक्शन में स्टैन्डर्ड डेवियेशन का दुगुना जोड़कर 4.2 और 4.8 की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन्डिविजुल डिप्लेक्शन में स्टैन्डर्ड डेवियेशन का दुगुना केवल राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के लिये ही मान्य है न कि अन्य जिला मार्ग के प्रकरण में। लेखापरीक्षा में अग्रेतर, देखा गया कि कैरेक्टिरिस्टिक डिप्लेक्शन दोनों चैनेजों के लिये 3.0 आता है जबकि त्रुटिपूर्ण रूप से दोनों चैनेजों के लिये 4.2 और 4.8 लिया गया था। तदनुसार ओवरले दोनों चैनेजों⁷⁶ के लिये बिटुमिनस मैकेडम के समतुल्य 190 मिमी0 के स्थान पर क्रमशः बिटुमिनस मैकेडम मद में 220 मिमी0 और 240 मिमी0 ली गयी थी (परिशिष्ट 3.1.2)।

कार्य नवम्बर 2015 में पूर्ण कर लिया गया था तथा ₹ 23.30 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को किया गया जिसमें ₹ 2.62 करोड़ का परिहार्य व्यय भी सम्मिलित था (परिशिष्ट 3.13)। शासन ने तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की तथा स्वीकार किया कि मार्ग की क्रस्ट डिजाइन त्रुटिपूर्ण गणना के आधार पर की गयी थी।

इस प्रकार उच्च विशिष्टि अपनाये जाने तथा कैरेक्टिरिस्टिक डिफ्लेक्शन की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण ₹ 2.62 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

⁷² राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के लिये $D_c = x + 2\alpha$ राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के अलावा मार्ग के लिये $D_c = x + \alpha$ (जहाँ x = इन्डिविजुअल डिप्लेक्शन α = स्टैन्डर्ड डेवियेशन और D_c = कैरेक्टिरिस्टिक डिप्लेक्शन)

⁷³ सी0बी0न066 / एस0झ0—कै0एफ0सी0 / 2013–14 दिनांक 25.07.2013 को 9.47 करोड़।

⁷⁴ पलैक्सिबिल पेवमेन्ट के सुदृढ़ीकरण के लिये बी0एम0 के समतुल्य कस्ट की आवश्यकता के लिए बैकलमैन बीम डिप्लेक्शन टेस्ट कराया जाता है।

⁷⁵ इसका परिमाण मिलियन स्टैन्डर्ड एक्सल के साथ बी0एम0 के समतुल्य आवश्यक ओवरले तय करता है।

⁷⁶ चैनेज 0.000 से 6.300 और 6.300 से 19.500 किमी0 तक।

राजस्व विभाग

3.26 आवासीय भवनों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

आवासीय भवनों के निर्माण के लिये अविवेकपूर्ण रूप से स्थान के चयन के कारण पाँच साल से 84 आवासों के रिक्त रहने के कारण अलाभकारी व्यय।

सामान्य वित्तीय नियम-2005 के नियम 21 और वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-V (भाग-1) के प्रस्तर 169 में प्रावधानित है कि शासकीय धन के व्यय में एक लोक सेवक द्वारा वही सजगता बरती जानी चाहिए जैसे कि एक सामान्य विवेक सम्मत व्यक्ति अपने निजी धन के व्यय में बरतता है। उत्तर पदेश बजट मैन्युअल के प्रस्तर 212 में प्रावधानित है कि व्यवहार्यता प्रतिवेदन यह सुनिश्चित करने लिये बनाया जाना चाहिये कि परियोजना वैचारिक रूप से व्यवहार्य एवं युक्तियुक्त है।

जिलाधिकारी, गौतम बुद्ध नगर के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2014) तथा अग्रेतर एकत्रित सूचना (मई 2016) में पाया गया कि शासन के द्वारा तहसील सदर में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अवासीय भवनों के निर्माण के लिये ₹ 1.74 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय⁷⁷ स्वीकृति प्रदान की गयीं (जनवरी 2007)। इसी प्रकार, तहसील जेवर में आवासीय भवन उपलब्ध कराने के लिये शासन द्वारा ₹ 1.74 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति⁷⁸ (फरवरी 2008) प्रदान की गयी।



तहसील सदर, गौतम बुद्ध नगर स्थित
रिक्त आवासीय भवन

शासन द्वारा तहसील सदर एवं जेवर प्रत्येक में 42 आवासीय भवनों के निर्माण के लिये क्रमशः “उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवम् शीत गृह संघ लिमिटेड (पैकफेड) मेरठ” को जनवरी 2007 में तथा “उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन, गाजियाबाद” को फरवरी 2008 में कार्यदायी संस्था नामित किया गया। यद्यपि, उक्त भवनों के निर्माण से पूर्व आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया था। तहसील सदर एवं जेवर से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा भवनों का निर्माण पुनः संशोधित स्वीकृति ₹ 2.32 करोड़ (अप्रैल 2010) एवं ₹ 3.00 करोड़ (मई 2010) के सापेक्ष ₹ 2.31 करोड़ एवं ₹ 2.99 करोड़ व्यय करके क्रमशः जनवरी 2011 एवं मई 2011 में पूर्ण किया गया। “उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवम् शीत गृह संघ लिमिटेड एवं “उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के द्वारा पूर्ण निर्मित आवासों को क्रमशः अप्रैल 2011 और मई 2011 में विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया। अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि पूर्ण निर्मित आवास रिक्त पड़े हुए थे क्योंकि तहसील सदर में 42 आवासों⁷⁹ में से किसी का भी आवंटन नहीं हुआ था तथा तहसील जेवर में 42 आवासों में से केवल तीन कर्मचारियों को आवासों का आंवंटन हुआ था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा बताया (मई 2016) गया कि आवासीय भवनों का निर्माण एकान्त इलाके में होने के कारण जो मुख्य मार्ग से तीन से चार किमी दूर था, सार्वजनिक साधन उपलब्ध नहीं हो पाता था। सार्वजनिक

⁷⁷ शा०आ० सं 167 / १-५-०७-५३ / ०६ दिनांक 19.01.2007।

⁷⁸ शा०आ० सं 396 / १-५-०८-१९६ / २००७ दिनांक 13.02.2008।

⁷⁹ टाइप I-19, टाइप II-18, टाइप III-04, टाइप IV-01।

यातायात साधन एवं सुरक्षा उपलब्ध न होने के कारण तहसील के कर्मचारी आवासों को आवंटित कराने के इच्छुक नहीं थे।

जिलाधिकारी के उत्तर से स्पष्ट है कि तहसील मुख्यालय के कर्मचारियों से आवासों की मँग का आकलन नहीं किया गया तथा स्वीकृति से पूर्व आवासीय भवनों के निर्माण स्थल पर पहुँच की सुगमता को सत्यापित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, आवासों के निर्माण से पूर्व मँग का आकलन किये बिना, आवासों के अविवेकपूर्ण स्थल के चयन के कारण 84 आवासीय भवनों के निर्माण पर ₹ 5.30 करोड़ का अलाभकारी व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2011 से मार्च 2016 तक कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते का भुगतान कर ₹ 39.30 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2016) कि भवनों का उपयोग बदल गया था और अब अंवटन प्रारम्भ हो चुका है। तथ्य यथावत है कि स्थान के अविवेकपूर्ण चयन के कारण हस्तान्तरण के पाँच वर्ष पश्चात् भी 84 आवासीय भवन अभी तक अधिनिवासन की प्रतिक्षा में हैं।

समाज कल्याण विभाग

3.27 अनुसूचित जाति की बालिकाओं के छात्रावास के निर्माण पर निष्फल व्यय।

अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु दो छात्रावासों के निर्माण पर हुआ व्यय ₹ 1.71 करोड़ निष्फल रहा क्योंकि निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त 6 से 11 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर भी अनुसूचित जाति की बालिकाओं द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया।

अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना के अन्तर्गत, उ0प्र0 शासन द्वारा ग्राम रसूलपुर, पिरथी, जनपद बिजनौर में अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु पचास शैय्या वाले छात्रावास निर्माण हेतु ₹ 80.90 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2008)। इस कार्य हेतु उ0प्र0 समाज कल्याण निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया तथा कार्यदायी संस्था को सितम्बर 2008 में भूमि उपलब्ध कराई गई।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2015) एवं अग्रेतर एकत्र की गई सूचना (अगस्त 2016) से ज्ञात हुआ कि कार्य अक्टूबर 2008 में प्रारम्भ हुआ तथा मूल्य वृद्धि के कारण परियोजना की लागत पुनरीक्षित कर ₹ 90.16 लाख कर दी गई। उ0प्र0 समाज कल्याण निगम द्वारा ₹ 90.16 लाख व्यय कर कार्य पूर्ण किया गया तथा अक्टूबर 2009 में छात्रावास भवन को जिला समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर को हस्तगत करा दिया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मई 2016 तक छात्रावास का संचालन नहीं किया गया था तथा छात्रावास को क्रियाशील किए जाने हेतु किसी कर्मचारी, अधीक्षक/वार्डेन इत्यादि की नियुक्ति भी नहीं की गई थी। यह भी पाया गया कि छात्रावास भवन शहरी क्षेत्र से दूर एकान्त स्थान पर बनाया गया था। बालिकायें सुरक्षा कारणों से इस छात्रावास में रहने की अनिच्छुक थीं, अतः जिलाधिकारी, बिजनौर ने निदेशक, समाज कल्याण से उक्त छात्रावास को बालक छात्रावास में परिवर्तित करने की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया (मई 2015)। इस सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर ने बताया (अगस्त 2016) कि छात्रावास को बालक छात्रावास में परिवर्तित करके क्रियाशील किया जा चुका है।

चूँकि, छात्रावास बालिकाओं हेतु निर्मित किया जा रहा था अतः स्थल चयन में बालिकाओं की सुरक्षा व बचाव के विचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। यह तथ्य कि बालिकायें छात्रावास के एकान्त में स्थित होने के कारण उसमें रहने की इच्छुक नहीं हैं, इस ओर इंगित करता है कि उचित स्थल चयन हेतु व्यवहार्यता का अध्ययन नहीं किया गया था जिसके कारण अनुसूचित जाति की छात्राओं को छात्रावास उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिसके लिये उक्त छात्रावास का निर्माण हुआ था।

इसी तरह, डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा परिसर में विशेष घटक योजना के अन्तर्गत 100 शैय्या वाले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास निर्माण उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा ₹ 65.24 लाख की लागत से किया गया (मार्च 2003)। छात्रावास दिसम्बर 2004 में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को हस्तगत कर दिया गया था किन्तु, अभी तक यह उपयोग में नहीं आया (दिसम्बर 2016)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिसम्बर 2004 छात्रावास के हस्तान्तरण के उपरान्त समाज कल्याण विभाग ने छ: वर्ष तक किसी अधीक्षक की नियुक्ति नहीं की तथा बालिका छात्रावास को क्रियाशील किए जाने हेतु सात वर्ष तक फर्नीचर आदि की व्यवस्था भी नहीं की गयी थी। सितम्बर 2010 में अधीक्षक की नियुक्ति की गई तथा ₹ 15.64 लाख का आवन्तन छात्रावास के फर्नीचर हेतु किया गया (जनवरी 2012)। यह पाया गया कि सम्पूर्ण धनराशि ₹ 15.64 लाख को फर्नीचर की खरीद पर व्यय किया गया तथा जुलाई 2016 तक अधीक्षक को ₹ 3.25 लाख वेतन का भुगतान किया गया।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010 में अधीक्षक की नियुक्ति किए जाने तथा तत्पश्चात् फर्नीचर की व्यवस्था किए जाने के बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा मई 2016 तक छात्रावास का संचालन नहीं किया गया। 2012 के बाद भी छात्रावास के संचालित न किए जाने का मुख्य कारण विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रावास संचालन की अनुमति न दिया जाना तथा जैसा कि जिला समाज कल्याण अधिकारी ने वर्ष 2012–13 में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को सूचित किया था विश्वविद्यालय के शिक्षकों व अन्य लोगों का छात्रावास के कमरों पर कब्जा था। छात्रावास के कमरों का विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित प्रकार से विश्वविद्यालय के अभिलेखों को रखने हेतु भी किया जा रहा था। मुख्य विकास अधिकारी, आगरा ने अक्टूबर 2015 में विश्वविद्यालय के कुलसचिव से इस विषय में शिकायत की थी कि अनुसूचित जाति की छात्रायें विश्वविद्यालय परिसर के बाहर किराए के आवासों में निवास कर रही हैं फिर भी छात्रावास का संचालन नहीं किया जा रहा है।

यह इस बात की ओर इंगित करता है कि विभाग तथा विश्वविद्यालय 11 वर्ष के समयान्तराल में भी छात्रावास को संचालित करने में विफल रहे। विश्वविद्यालय ने छात्रावास भवन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया न ही शासन से विश्वविद्यालय को छात्रावास रखरखाव व संचालन की अनुबन्ध की शर्त एवं नियमों को बाध्यकारी बनाने की दिशा में कोई प्रयास किया।

शासन ने बताया कि डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में निर्मित छात्रावास हेतु एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया जाएगा तथा समिति की सलाह के आधार पर छात्रावास को संचालित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। बिजनौर में निर्मित छात्रावास के सम्बन्ध में शासन ने सूचित किया गया (नवम्बर 2016) कि छात्रावास को बालक छात्रावास में रूपान्तरित कर दिया गया है तथा वर्तमान में उसमें 45 छात्र निवास कर रहे हैं। तथ्य यह है कि दोनों छात्रावास, बालिका छात्रावास के रूप में उपयोग नहीं हो पा रहे, जो कि बालिकाओं के छात्रावास के लिए निर्मित एवं मंजूर किए गये थे। अनुसूचित जाति की बालिकायें अभी भी सुरक्षित, उपयुक्त, सस्ते आवास से वंचित हैं।

इस प्रकार, विश्वविद्यालय परिसर, आगरा में छात्रावास संचालित किए जाने में विभाग की विफलता तथा बिजनौर जिले में छात्रावास का निर्माण एकान्त स्थान पर किए जाने के परिणामस्वरूप किया गया व्यय ₹ 1.74 करोड़ (₹ 65.24 लाख एवं ₹ 15.64 लाख आगरा में तथा ₹ 90.16 लाख बिजनौर जिले में) निष्फल रहा क्योंकि दोनों छात्रावास 11 वर्ष व 6 वर्ष से अनुसूचित जाति की बालिकाओं द्वारा प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हैं।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

3.28 पॉलीटेक्निक भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय।

गाजीपुर जिले में पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण अनुमोदन प्राप्त होने के 6 वर्ष बाद भी पूर्ण न होने के कारण उस पर किया गया ₹ 4.23 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत फरवरी 2010 में शासन ने गाजीपुर जिले के जमनिया तहसील स्थित ग्राम लहुवार में पॉलीटेक्निक स्थापित करने का प्रशासकीय अनुमोदन दिया तथा पॉलीटेक्निक भवन निर्माण हेतु ₹ 6.45 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। वित्तीय स्वीकृति के अनुसार पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण कार्य उम्प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड⁸⁰ द्वारा निष्पादित होना था तथा कार्य जनवरी 2012 तक पूर्ण होना था। स्वीकृत राशि उम्प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को दो बराबर किश्तों में अवमुक्त की जानी थी, प्रथम किश्त उम्प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात् तथा द्वितीय किश्त पहली किश्त के 75 प्रतिशत व्यय होने तथा कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति सुनिश्चित करने के बाद अवमुक्त की जानी थी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, गाजीपुर के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2016) एवं तत्पश्चात् एकत्र की गई सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि शासन के हितों की रक्षा को ध्यान में रखे बिना कार्य नामांकन के आधार पर बिना प्रतिस्पर्धात्मक निविदा तथा बिना अनुबन्ध/समझौता ज्ञाप क्रियान्वित किये आवन्ति किया गया। ₹ 2.00 करोड़ की धनराशि विभाग द्वारा उम्प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को मार्च 2010 में अवमुक्त की गयी किन्तु विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को भूमि जनवरी 2011 में उपलब्ध करायी गयी। शेष धनराशि ₹ 4.45 करोड़ कार्यदायी संस्था को जुलाई 2011 में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर (निदेशक) द्वारा बिना कार्य की प्रगति की समीक्षा तथा बिना प्रथम उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए अवमुक्त की गयी (सितम्बर 2012)। अग्रेतर, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ₹ 4.23 करोड़ का व्यय किए जाने के उपरान्त (कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 20 प्रतिशत थी) मई 2012 में कार्य रोक दिया गया क्योंकि उम्प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा निर्माण के लिए अवमुक्त धनराशि का दुरुपयोग कर लिया गया था।

दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने में समय व्यतीत होने के कारण दिसम्बर 2014 में उम्प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने ₹ 13.41 करोड़ का संशोधित आगणन निदेशक प्राविधिक, शिक्षा को प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक गाजीपुर के माध्यम से कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत किया। निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि शासन द्वारा ₹ 11.56 करोड़ के संशोधित आगणन की स्वीकृति प्रदान (मार्च 2015) कर दी गयी थी किन्तु, संशोधित आगणन के सापेक्ष कोई भी राशि अवमुक्त नहीं की गई है क्योंकि पूर्व में अवमुक्त राशि ₹ 6.45 करोड़ में से अप्रयुक्त राशि ₹ 2.22 करोड़ अभी भी कार्यदायी संस्था के पास थी।

⁸⁰ उम्प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, वाराणसी (इकाई-II)।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2016)। शासन ने (नवम्बर 2016) उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया। शासन द्वारा बताया गया कि प्रकरण की जाँच हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा जो कि अपनी जाँच आख्या तीन माह में प्रस्तुत करेगी तथा जाँच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् अगली कार्यवाही की जाएगी। अग्रेतर, यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में निर्माण कार्य हेतु समझौता ज्ञाप अवश्य गठित किया जाएगा जिसमें प्रत्येक कार्य पूर्ण करने हेतु समय अनुसूची भी समिलित होगी व समय प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जायेगी।

इस प्रकार, विभाग द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के साथ अनुबन्ध/ समझौता ज्ञाप गठित न किए जाने, कार्य की भौतिक प्रगति को ध्यान में रखे बिना सम्पूर्ण स्वीकृत राशि को अवमुक्त किए जाने तथा कार्य का समुचित अनुश्रवण न किए जाने के कारण पॉलीटेक्निक भवन निर्माण पर किया गया ₹ 4.23 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, जमानिया तहसील, ग्राम लहुवार में पॉलीटेक्निक स्थापित किए जाने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तथा विद्यार्थियों को पॉलीटेक्निक की शिक्षा ग्रहण करने हेतु ग्राम अंधाऊ, तहसील गाजीपुर के पास मौजूद पॉलीटेक्निक में लगभग 30 किमी का सफर करके जाना पड़ता है।

व्यावसायिक शिक्षा विभाग

3.29 आई0टी0आई0 भवन के निर्माण में किया गया निष्फल व्यय

विभाग द्वारा निर्माण कार्य के मानदण्डों का पालन करने में विफल रहने के कारण जनपद सन्त कबीर नगर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) भवन पर ₹ 2.78 करोड़ व्यय किये जाने तथा पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। कार्य में अत्यधिक विलम्ब होने तथा निर्माण के अधोमानक सामग्री का उपयोग करने और कार्यकुशलता खराब होने के बाद भी विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनुसूचित जाति के उप योजना के अन्तर्गत हैंसर बाजार, सन्त कबीर नगर में ₹ 3.59 करोड़ की लागत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी (दिसम्बर 2010)।

प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में हन्दवाल, सन्त कबीर नगर के अभिलेखों के जांच (मई 2015) और अग्रेतर एकत्र की गई सूचनाओं (अप्रैल 2016) से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य के लिये कुल स्वीकृत लागत ₹ 3.59 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 1.44 करोड़ कार्यदायी संस्था उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड को दिसम्बर 2010 में बिना समझौता ज्ञाप हस्ताक्षरित किए अथवा अनुबन्ध गठित किये ही अवमुक्त किया गया। उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड ने कार्य जनवरी 2011 में शुरू किया। द्वितीय किश्त ₹ 144.36 लाख कार्यदायी संस्था को मार्च 2012 में अवमुक्त की गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

विभाग द्वारा उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड को समस्त नियम व शर्तें समाहित करते हुए समझौता ज्ञाप हस्ताक्षरित किए बिना ही निर्माण कार्य सौंपा गया था।। इसके अतिरिक्त, शासकीय स्वीकृति में कार्य पूर्ण किए जाने कि कोई समय सीमा भी नहीं निर्धारित की गई थी। विलम्ब होने की स्थिति में और निर्माण की समय-सीमा का पालन न करने एवं गुणवत्ता का मापदण्ड पूर्ण न होने पर कार्यदायी संस्था को उत्तरदायी ठहराया जाने के लिये, विभागीय स्तर पर निर्माणदायी संस्था के

साथ अनुबन्ध गठित ना किया जाना अथवा समझौता ज्ञाप हस्ताक्षरित ना किया जाना पूर्णतया अनुचित था ।

विभाग द्वारा ₹ 2.88 करोड़ (स्वीकृत लागत का 80 प्रतिशत) निर्माणदायी संस्था को कार्य की वास्तविक प्रगति के सार्वक्ष भुगतान किये जाने को ध्यान में रखे बिना ही अवमुक्त कर दिया गया । यह वित्तीय नियमों की घोर उल्लंघन था जो विभाग में अनुश्रवण के पूर्णतः अभाव को दर्शाता था ।

₹ 2.78 करोड़ व्यय करने के उपरान्त उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड के उपयोगिता प्रमाण–पत्र (मई 2016) के अनुसार किये गये कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 40 प्रतिशत थी, तथा कार्य सितम्बर 2012 में बन्द कर दिया गया था । अवशेष धनराशि ₹ 0.10 करोड़ अभी भी (अगस्त 2016) उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड के पास थी । विभाग द्वारा अवशेष धनराशि के साथ साथ ब्याज की धनराशि को दोषी निर्माणदायी संस्था से वापस लिये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी । धनराशि के समय से अवमुक्त किये जाने के बाद भी निर्माणदायी संस्था के कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर न तो कोई दण्ड आरोपित किया गया और न ही जाँच करने तथा विलम्ब का उत्तरदायित्व तय करने के लिये प्रकरण उचित संस्था के सौंपा गया ।

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, (निदेशक) द्वारा उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड के स्थान पर अन्य निर्माणदायी संस्था का नामांकन करने के लिये अनुरोध करने पर (अक्टूबर 2012), शासन द्वारा उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड को अग्रेतर धन अवमुक्त करने पर रोक लगाने तथा लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग के तकनीकी लेखापरीक्षा कोष्ठ द्वारा निर्माण कार्य के गुणवत्ता तथा कार्य की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति की जाँच कर रिपोर्ट को शीघ्रतीशीघ्र भेजने के निर्देश दिये गये (नवम्बर 2012) । शासन द्वारा तकनीकी लेखापरीक्षा कोष्ठ से जाँच कराने की कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गयी थी तथापि, निदेशक द्वारा (दिसम्बर 2012) प्रधानाचार्य को एक सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये गये । यद्यपि, लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग के अभियंताओं की दो सदस्यीय जाँच कमेटी मार्च 2013 में बनायी गयी थी किन्तु कमेटी द्वारा निदेशक को रिपोर्ट बहुत विलम्ब से सौंपी गयी (नवम्बर 2013) । कमेटी द्वारा इस जाँच रिपोर्ट में बताया गया कि निर्माण इकाई द्वारा अधोमानक सामग्री का उपयोग किया गया था तथा कार्यकुशलता बहुत खराब थी, फिर भी शासन अथवा निदेशक द्वारा गड़बड़ी/कमी को निर्माणदायी संस्था से ठीक कराने अथवा पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी ।

शासन द्वारा विलम्ब से (जनवरी 2015) उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड के स्थान पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्माणदायी संस्था के रूप में नामित किया गया, परन्तु आगणन की स्वीकृति में प्रक्रियात्मक विलम्ब होने के कारण कोई भी धनराशि नामित निर्माणदायी संस्था को अवशेष कार्य पूर्ण करने के लिये उपलब्ध नहीं करायी गयी ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (मई 2015 और अप्रैल 2016) प्रधानाचार्य तथा निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा बताया गया कि अधोमानक कार्य के कारण आई0टी0आई0 भवन के निर्माण कार्य को रोक दिया गया था । शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि निर्माणदायी संस्था का खाता आयकर अधिकारियों द्वारा सील कर दिया गया था तथा शासन द्वारा बची हुई धनराशि को उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड से वसूल नहीं किया जा सका है ।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निर्माणदायी संस्था को बिना प्रतिस्पर्धी दर आमंत्रित किये ही नामांकन के आधार पर कार्य आबंटित कर दिया गया था, जो कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के आदेश (जुलाई 2007) का उल्लंघन था । केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा यह

आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के उपरान्त निर्गत किया गया था जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि राज्यों, उसके निगमों एवं शासकीय संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निविदा/नीलामी के माध्यम से योग्य संस्थाओं द्वारा निविदायें आमंत्रित करके कार्य आबंटित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विस्तृत नियम एवं शर्तों को निर्धारित करते हुए कोई अनुबन्ध भी गठित नहीं किया गया था। यहाँ तक कि कार्य पूर्ण किये जाने की समय सीमा भी निर्धारित नहीं थी। इस प्रकार, कार्य के निष्पादन एवं प्रगति के अनुश्रवण के लिये कोई मापदण्ड नहीं था जिसका परिणाम कार्य में रुकावट तथा निर्माण में अधोमानक सामग्री के उपयोग/खराब कार्यकुशलता के रूप में परिलक्षित हुआ।

इस प्रकार, अनुसूचित जाति के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान किए जाने का उद्देश्य विफल हो गया क्योंकि पाँच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ जिससे ₹ 2.87 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(पी० के० कटारिया)

इलाहाबाद

प्रधान महालेखाकार (जी एण्ड एस०एस०ए०)

दिनांक 05 मार्च 2017

उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

दिनांक - 8 मार्च 2017